सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002 – 2007)

— फिरोजाबाद

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठ भूमि	1-8
2.	शैक्षिक परिदृश्य	9-20
3.	नियोजन प्रक्रिया	21 - 20
4.	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	21-31
5.	समस्याएँ एवं रणनीतियाँ	32-34
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (नवीन विद्यालय)	35-38
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)	39-42
8.	ठहराव में वृद्धि	43-51
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	52-70
10.	परियोजना प्रबंधन एवं अनुश्रवण	71-131
11.	परियोजना लागत	132-144
12.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	150-151

सर्व शिक्षा अभियान
अध्याय—1

जनपद फिरोजाबाद एक दृष्टि में:

फिरोजाबाद नगर की स्थापना सम्राट अकबर के पूर्व इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। सम्राट बाबर ऐ से अधिक बार वर्तमान फिरोजाबाद के निकटवर्ती ग्राम चंदवार आया था, जिसकी चर्चा उसने अपनी आत्मकथा "तुजुक बाबरी" में की है, किन्तु फिरोजाबाद का उल्लेख बाबर की आत्मकथा में नहीं है। अतः यह निश्चित है कि बाबर के बाद ही फिरोजाबाद की स्थापना हुई होगी।

आगरा जिला के गजेटियर के सभी संस्करणों में इस जनश्रुति का उल्लेख किया गया है कि 1566 ई० के आसपास राजा टोडरमल गया की तीर्थयात्रा की वापसी में वर्तमान फिरोजाबाद के निकट आसिफाबाद में ठहरे थे। राजा टोडरमल गया से अपने पिता का श्राद्ध और पिण्डदान करने गये थे। राजा टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के मंत्रियों में से एक थे। चोर तथा डाकुओं के भय से वह 30—40 आदमियों के साथ यात्रा करते थे। जब वह गया से लौट रहे थे तो सिर मुड़ाये हुये थे और दाढ़ी, मूँछ भी साफ थी। लोग इन्हें पहचानते नहीं थे। जब वह आसिफाबाद में ठहरे तो गाँव वालों ने उन्हें लूट लिया। आसिफाबाद आज भी फिरोजाबाद के विद्यमान है। जिसे आसाबाद कहते है।

राजा टोडरमल ने आगरा पहुँचकर बादशाह अकबर से उपरोक्त घटना की शिकायत की। सम्राट अकबर को आसिफाबाद के लोगों पर बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने एक मंत्री की ऐसी दुर्दशा की बादशाह ने तुरन्त हीर अपनें हरम की रक्षा करने वाले सेनापति ख्वाजा सर फिरोज को बलाया और उसे आज्ञा दी कि वह जाकर आसिफाबाद को नेस्तानाबूद कर दें। ख्वाजा फिरोज ने शाही फरमान के अनुसार एक सेना लेकर आसिफाबाद आया तथा इसे नष्ट कर गया। अब गाँव वालों को अपनी भूल मालूम हुई और वे सब एक अर्जी लेकर फिरोज के पास आये। उन्होंने बड़ी दीनता के साथ वहीं बसने के लिये फिरोज से बिनती की। फिरोज को दया आ गई और तब उसने अपने नाम पर फिरोजाबाद नगर

बसाया। इस प्रकार मुगलकाल में ख्वाजा फिरोज ने फिरोजाबाद नगर बसाया था। ख्वाजा फिरोज का मकबरा आज भी फिरोजाबाद में विद्यमान है।

फिरोजाबाद जनपद आगरा मण्डल के पश्चिम में स्थित है।स फिरोजाबाद के उत्तर में जनपद एटा, पूर्व में इटावा व मैनपुरी, दक्षिण में यमुना नदी व आगरा जनपद की समीाएं पश्चिम में है। जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम कोने पर 27 और 27.24 उत्तरी अक्षांश तथा 77.60 और पूर्वी 70.04 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। फिरोजाबाद उत्तर रेलवे के प्रसिद्ध टूण्डला जंक्सन रेलवे स्टेशन के पूर्व में 18 किलोमीटर की दूर पर दिल्ली हावड़ा की मुख्य लाइन पर स्थित है। इस जनपद की दक्षिणी सीमा पर यमुना नदी तथा सिरसा व संगर नदी हैं, जनपद का अधिकांश क्षेत्रफला समसतल है। अधिकांश भूमि उपजाऊ है, जमीन का ढलाना उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर है। फिरोजाबाद जनपद का कुल क्षेत्रफला 2362 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 20,45737 है जिसमें 11,05,203 पुरुष तथा 9,40,534 स्त्रियां हैं। जनपद की जनसंख्या धनत्व 866 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

फिरोजाबाद जनपद को 4 तहसीलों में बाँटा गया है। इनके नाम शिकोहाबाद, जसराना, फिरोजाबाद व टूण्डला है। जनपद में कुल 9 विकास खण्ड है। फिरोजाबाद जनपद में यमुना सिरसा, सेंगर, अरिन्द तथा ईसन प्रमुख नदियाँ है। भूमि का उपयोग, कृषि चारागाह, जंगल भूमि तथा अन्य कार्य जैसे मकान उद्योग रेल सड़क कब्रिस्तान, जलाशय आदि के रूप में होता है। रवी व खरीफ की फसलें प्रमुख है।

पर्यटक स्थल

विकास खण्ड फिरोजाबाद मे श्री छदामी लाल जैन मंदिर, शिकोहाबाद में नटेश्वर के पास जैन तीर्थ स्थलि जसराना तहसील में पाढम पुरीक्षत गढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसा कि जनश्रुति है कि वहाँ राजा परीक्षत के बेटे जनमेजय द्वारा नाग यज्ञ किया गया था।

भूमि व उपज :

रबी की फसलें समस्त बोये गये क्षेत्रफल के 65 प्रतिशत भाग पर खरीफ की फसलें 35 प्रतिशत भाग पर बोई जाती है। जनपद में कोई भी ऐसा खनिज नहीं मिला है जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। चिकनी मिट्टी बालू, कंकड़ तथा रेह प्रमुख खनिज है।

सिंचाई के साधन :

फिरोजाबाद जनपद में सिंचाई के मुख्य साधन नहरे, व नलकूप है। काफी क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहता है। ऊपरी गंगा नहर व निचली गंगा नहर ये दो नहरें फिरोजाबाद में सिंचाई के साधन के रूप में प्रयाग की जाती है।

उद्योग धन्धे :

फिरोजाबाद के काँच उद्योग में अनेक प्रकार के सामान बनाये जाते है। किन्तु यह उद्योग विशेष रूप से चूड़ी निर्माण के लिये प्रसिद्ध है। काँच उद्योग द्वारा निर्मित काँच के अन्य समान जैसे "ग्लास डेकोरेशन, पोटकीज, ग्लास ट्यूब्स, ग्लास वीड्स, ब्लाउग्लास, ग्लासबेबर, इलैक्ट्रिक लैम्पस विद्युत बल्ब, मूँगा, मोती आदि। फिरोजाबाद में काँच बनाने से सम्बन्धित कोई भी कच्चा माल यहाँ उपलब्ध नहीं है, फिर भी काँच की चूड़ियाँ बनाने का कार्य केवल यहीं विकसित हुआ है। ऐसी मान्यता है कि फिरोजाबाद के निकट ही कुछ गाँव ऐसे है जहाँ काँच बनाने का मसाला पाया जाता है। 'उरमुरा और 'रपटी' गाँव में एक प्रकार का रेत पाया जाता है जिसे 'रेह' कहते है। इस रेह में काँच के आवश्यक पदार्थ बालू व सोडियम तथा पोटेशियम काफी मात्रा में विद्यमान है। यही देखकर यहाँ के आरम्भिक काँच बनाने वालो ने खुली भट्टी में इस रेह को पिघलाकर काँच बनाना शुरू [illegible] किया, [illegible] आगे इन्हीं से काँच की चूड़ियाँ व अन्य सामान बनाया जाने लगा। फिरोजाबाद जनपद के काँच उद्योग में कुल 200000 श्रमिकों में 50000 बाल श्रमिक पाये जाते है, कुल श्रमिकों में बाल श्रमिकों का 25 प्रतिशत है।

भाषा एवं संस्कृति :

फिरोजाबाद में 93 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते है। उर्दू बोलने वाले लगभग 5 प्रतिशत है। सिंधी, पंजाबी, बंगाली तथा अंग्रेजी भाषायें बोलने वाले बहुत कम है। सामान्य रूप से जनपद की बोलचाल की भाषा ब्रजभाषा है। इसके साथ खड़ी बोली का मिश्र पाया जाता है। नगरों में हिन्दी के साथ अंग्रेजी शब्दों को मिलाकर बोलने का प्रचलन है।

जिले के प्रशासनिक इकाइयाँ :

फिरोजाबाद को जिला बनाये जाने की संस्तुति उ०प्र० की राज्य पुर्नगठन समिति द्वारा 1975 में की गई थी। 4 फरवरी, 1989 को, जिले की विधिवत अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा की गई। फलस्वरूप 5 फरवरी, 1989 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 61वें जनपद फिरोजाबाद का उद्घाटन कर जनता को सौंपा।

जिला पर्सपेक्टिव प्लान की संरचना हेतु रूपरेखा
सारणी 1.1

ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
तहसील	4
विकास खण्ड	9
न्याय पंचायत	79
ग्राम सभायें	514
आबाद ग्राम	836
बस्तियों की संख्या	1578
नगर निगम :	
नगर निगम	0
नगर महापालिका	0
नगर पालिका	4
टाउन एरिया	1
वार्ड	102

जनसंख्या :

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 15,33054 थी जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2045737 थी जिनमें पुरूष की जनसंख्या 1105203 थी तथा स्त्रियाँ 940534 पायी गई। जिनमें से 0–6 वर्ष के बच्चों की संख्या 391744 है। जिनमें से 188054 बच्चियाँ है। वर्ष 1991 में जनपद की कुल साक्षरता 29.85 थी जबकि 2001 में जनपद की कुल साक्षरता 66.53 जिसमें से महिला साक्षरता 53.02 हो चुकी है। वर्ष 1991 में लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर 832 था जो वर्ष 2001 में बढ़कर 851 प्रति हजार हो गया है।

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

सारणी—1.2

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	जनगणना					
		कुल जनसंख्या					
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	अरॉव	54037	44613	98650	11933	9381	21814
2.	एका	74100	61508	135608	11338	9128	20466
3.	फिरोजाबाद	88671	72044	160715	16667	13136	29583
4.	जसराना	47451	38801	86252	6909	5667	12576
5.	खैरागढ़	59347	48991	108338	12754	10173	22927
6.	मदनपुर	79002	65604	144606	13206	10687	23893
7.	नारखी	71321	58454	129775	20913	16919	37832
8.	शिकोहाबाद	71545	58470	130015	13922	11331	25253
9.	टूण्डला	72413	59122	131535	17187	13698	30885
	योग	617887	507607	1125494	124829	100120	225229
	नगर क्षेत्र	**487316**	**432927**	**920243**			
	महायोग	1105203	940534	2045737			

स्रोत: डी.ई.एस.टी.ओ., फिरोजाबाद

शैक्षिक संस्थाऐं

सारणी—2.3

क्र० सं०	विद्यालय	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	918	55	983	171	183	354	1089	238	1327	10	11	12
2.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	01	02	03	08	10	18	09	12	21	141	35	175
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	176	05	181	118	66	185	294	72	366			
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्रा० अनुभाग	02	02	04	29	19	48	31	21	46	74	12	86
5.	केन्द्रीय विद्यालय	01	01	02				01	01	02			
6.	नवोदय विद्यालय							01		01			
7.	हाई स्कूल	01		01	26	18	40	27	14	41	05		05
8.	इण्टरमीडिएट	01	01	02	34	33	67	35	27	62			
9.	डिग्री कालेज	01		01	01	01	02	02	01	03			
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय					08	08		08	08			
11.	विश्वविद्यालय												
12.	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई. / पालिटेक्निक)	02		02		02	02	02	02	04			
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाऐं					10	10		10	10			
14.	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	889		962				889	73	962			
15.	मकतब / मदरसे		73			09	09		09	09			
16.	संस्कृत पाठशालाऐ			01	01		01	01	01	02			
17.	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाऐं		01			01	01		01	01	01		
18.	बाल श्रमिक विद्यालय	18		18		43	43	18	43	61			

ब्लाकवार प्रशासनिक संरचना

सारणी—1.3

क्र०सं०	ब्लाक का नाम	न्याय पंचायतो की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्राम	बस्तियों की संख्या
1.	अरॉव	07	48	69	138
2.	एका	08	52	116	204
3.	फिरोजाबाद	10	74	101	206
4.	जसराना	07	46	66	133
5.	खैरागढ़	09	60	112	202
6.	मदनपुर	11	63	106	203
7.	नारखी	09	59	88	749
8.	शिकोहाबाद	10	64	110	207
9.	टूण्डला	08	48	68	749
	योग	79	514	539	1578
	नगर क्षेत्र				
	महायोग				

अध्याय - 2
शैक्षिक परिदृश्य

जनपद में डी.पी.ई.पी. 1997 में लागू हुई थी जो वर्ष 2002 में समाप्त हो रही है। इसके अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में 136 प्रा०वि० का निर्माण हुआ। परियोजना के अन्तर्गत 169 अतिरिक्त कक्षा कक्षा व 639 शौचालयों का निर्माण हुआ। दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत 16 पूर्व० प्रा० विद्यालय 53 शौचालयों तथा 30 हैण्डपम्पों का निर्माण कराया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन एवं विकास हेतु 9 ब्लाक केन्द्रों का निर्माण हो चुका है। तथा 79 संकुल भवनों का निर्माण हो चुका है।

डी०पी०ई०पी० के कारण जनपद में विद्यालयों में नामांकन दर में आशातीत वृद्धि हुई तथा ठहराव में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक जन सहभागिता द्वारा सहायक शिक्षा सामग्री शिक्षक प्रशिक्षण, अकादामिक अनुसमर्थन द्वारा शिक्षा स्तर में सन्तोषजनक प्रगति हुई तथा जिले पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा।

साक्षरता दर
सारणी 2.1

	राज्य की साक्षरता दर 1991	जनपद की साक्षरता दर 1991	जनपद की साक्षरता दर 2001
कुल साक्षरता दर	537	46.3	66.53
ग्रामीण साक्षरता दर	513	46.3	50.1
नगरीय साक्षरता	583	57.63	61.6
कुल पुरूष साक्षरता	662	46.3	77.81
महिला साक्षरता	383	29.85	53.02
ग्रामीण पुरूष साक्षरता	647	59.75	62.0
ग्रामीण महिला साक्षरता	347	23.13	35.4
नगरीय पुरूष साक्षरता	744	66.10	69.5
नगरीय महिला साक्षरता	570	47.64	52.3

साक्षरता :

फिरोजाबाद में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 66.53 है। जिसमें महिला साक्षरता 53.02 है। जबकि वर्ष 1991 में फिरोजाबाद की कुल साक्षरताा 46.3 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता 29.85 प्रतिशत थी। पिछले दशक में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं अन्य शैक्षिक अभियानों के द्वारा साक्षरता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

विकास खण्डवार साक्षरता
सारणी 2.2

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर 1991			साक्षरता दर 2001		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	अरांव	56.54	24.96	43.91	65.8	43.8	56.2
2.	एका	55.05	18.40	38.73	61.4	31.2	47.8
3.	फिरोजाबाद	55.12	20.82	39.69	61.1	34.4	49.3
4.	जसराना	55.38	21.09	40.81	62.1	34.0	49.6
5.	खैरगढ़	58.74	20.89	39.76	64.0	36.0	51.6
6.	मदनपुर	59.23	29.75	47.92	68.[illegible]	39.0	52.2
7.	नारखी	57.47	25.94	43.82	63.3	38.9	52.5
8.	शिकोहाबाद	62.95	22.95	41.39	63.2	34.5	50.4
9.	टूण्डला	54.89	22.56	42.66	64.5	33.9	51.8
10.	नगर क्षेत्र	66.10	47.64	57.63	—	—	—
	कुल	59.75	29.85	46.30	77.81	53.02	66.53

स्रोत : जिला साक्षरता कार्यालय फिरोजाबाद

उपरोक्त साक्षरता की ब्लाकवार सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत दशक से ब्लाकों की साक्षरताा में वृद्धि परिलक्षित हुई है। साक्षरता सारणी से स्पष्ट है कि महिलाओं में साक्षरता वृद्धि पिछले दशक में काफी हुई है।

परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक एवं शिक्षामित्र की उपलब्धता एवं मांग

वर्ष	परिषदीय विद्यालयो में छात्र संख्या	वर्तमान शिक्षकों की संख्या	वर्तमान में शिक्षामित्रों की संख्या	योग	1:40 के औसत से शिक्षक / शिक्षा मित्रों की आवश्यकता	मांग		
						कुल आव–श्यकता	शिक्षक	शिक्षा मित्र
2003–04	213453	2940	876	3814	5336	1522	761	761
2004–05	217786	3701	1635	5336	5444	108	54	54
2005–06	222207	3755	1659	5444	5555	111	55	56
2006–07	226717	3810	1745	5555	5667	112	56	56

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 2803 पद सृजित है जिसके सापेक्ष 2446 अध्यापक कार्यरत है। इस प्रकार 475 अध्यापकों के पद रिक्त है। जनपद फिरोजाबाद में 286 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गयी है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 511 सृजित पदों के सापेक्ष 422 अध्यापक कार्यरत है। इस प्रकार 89 अध्यापकों के पद उच्च प्राथमिक विद्यालयो में रिक्त है।

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

सारणी – 2.4

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 01.07.2001	स्वीकृत शिक्षामित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	2803	2446	475	486
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	511	422	89	

जनपद फिरोजाबाद में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 518 एवं बस्तियों की संख्या 765 है। 465 ग्रामों एवं 393 बस्तियों में 1 कि०मी० कम दूरी पर प्रा० वि० स्थित है 32 ग्रामों एवं 181 बस्तियों में 1.5 कि०मी० से कम दूरी पर प्रा०वि० उपलब्ध है।

जनपद में 22 ग्राम तथा 191 ऐसी बस्तियाँ है जिनमें 1.5 कि०मी० से अधिक दूरी पर प्रा०वि० उपलब्द्व है। इन असेवित बस्तियों को प्रा० वि० खोलकर सेवित किया जाना है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी – 2.5

	1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी. तक 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर उपलब्ध विद्या०	प्रस्तावित नवीन प्राथमिक ई.जी.एस.
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	797	394	–	–
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है	172	147	60	60
योग	969	531	60	60

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाले 470 गांव तथा 187 बस्तियों इनमें से 357 गांव एवं 160 बस्तियां ऐसी हैं जहां 3 कि0मी0 से कम देरी पर परिषदीय/मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 वि0 उपलब्ध है।

जनपद में 800 से अधिक अबादी वाले 113 गांव तथा बस्तियां ऐसी है जहां 3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्रा0 शिक्षा उपलब्ध है। उच्च प्रा0वि0 एवं प्रा0वि0 को 1:2 करने के हेतु अतिरिक्त 124 उच्च प्रा0वि0 की आवश्यकता होगी।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी 2.6

	3 कि0मी0 से कम दूरी पर परिषदीय/मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक/वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	481	—	—
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	481	—	48

विधालयों में भौतिक सुविधाएं(परिषदीय [illegible] .2001 की स्थिति)

प्राथमिक स्तर–

सारणी–2.7

क्रमांक	मद	संख्या
1	प्राथमिक विधालय भवनहीन जर्जर पुर्ननिर्माण	0
2	एक कक्षीय विधालयों की संख्या	01
	दो कक्षीय विधालयों की संख्या	562
	तीन कक्षीय विधालयों की संख्या	258
	चार कक्षीय विधालयों की संख्या	32
	पांच कक्षीय विधालयों की संख्या	02
	पांच से अधिक कक्षीय विधालयों की संख्या	03
	योग	
3	मरम्मत योग्य विधालय- लघु	25
	वृहद	126
4	शौचालय विहीन विधालय	71
5	हैण्डपम्प विहीन विधालय	51
6	चहार दीवारी विहीन विधालय	753

जनपद फिरोजाबाद मे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे क्रमश 918 व 55 मिलाकर कुल 973 परिषदीय प्राथमिक विधालय है। जनपद के परिषदीय प्राथमिक विधालय 151 मरम्मत योग्य है। जिनमें से 126 प्राथमिक विधालय मरम्मत योग्य है जिन्हे सर्वशिक्षा अभियान के तहत लघु मरम्मत के 26 प्राथमिक विधालयों को वरीयता के आधार पर प्रथम व द्वितीय वर्ष मरम्मत कराई जायेगी। जिले मे हण्ड पम्प विहीन 51 प्राथमिक विधालय मे चहारदीवारी विहीन 940 प्रा0 वि0 में चहार-दीवारी का निर्माण कराया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरः–

सारणी–2.8

क्रमांक	मद	संख्या
1	कुल उच्च प्राथमिक विधालय	181
2	एक कक्षीय विधालयों की संख्या	02
	दो कक्षीय विधालयों की संख्या	13
	तीन कक्षीय विधालयों की संख्या	46
	चार कक्षीय विधालयों की संख्या	101
	पांच कक्षीय विधालयों की संख्या	10
	पांच से अधिक कक्षीय विधालयों की संख्या	01
3	भवनहीन	08
[illegible]	मरम्मत योग्य विधालय-- लघु	07
	वृहद	20
4	शौचालय विहीन विधालय	78
5	हण्डपम्प विहीन विधालय	145
6	चहार दीवारी विहीन विधालय	53

जनपद फिरोजाबाद मे कुल 181 उच्च प्राथमिक विधालय कार्यरत है जिसमे 8 विधालय भवनहीन है तथा 17 उच्च प्राथमिक विधालय जर्जर अवस्था मे है तथा 27 विधालय मरम्मत [illegible] वरीयता के आधार पर मरम्मत [illegible] जायेगा।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र० सं०	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी.पी.ई.पी. – II/11वें वित्त आयोग में प्राविधान जिला योजना/अन्य श्रोत	मांग	कमी	11वें वित्त आयोग में प्राविधान जिला योजना/अन्य श्रोत	मांग
1.	नवीन विद्यालय						
2.	विद्यालय पुनः निर्माण						
3.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	1251		1251	388		388
4.	पेय जल						
5.	शौचालय				65		46

विकास खण्डवार शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

सारणी 2.10

क्र०सं०	विकास क्षेत्र	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		मान्यता सम्बद्ध उच्च प्रा०वि०		हाई स्कूल		इण्टर		डिग्री कॉलेज		स्नातकोत्तर		आंगनबाड़ी		मकतब		विकलांग		तकनीकी		कम्प्यूटर		संस्कृत विद्यालय	
		परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०	परि०	मा०
1.	टूण्डला	95	57	18	29	3	6	0	3	1	3	0	1	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	फिरोजाबाद	128	42	26	25	0	4	0	3	0	4	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	नारखी	101	10	17	13	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4.	शिकोहाबाद	96	12	21	10	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	मदनपुर	128	19	28	11	1	3	0	4	0	6	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	अरांव	87	14	15	13	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	खैरगढ़	101	14	19	7	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	जसराना	80	13	13	11	0	0	1	3	0	6	0	1	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	एका	102	24	18	18	0	13	0	5	0	8	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	फिरो० नगर क्षेत्र	40	149	04	40	0	16	0	8	0	18	0	0	0	4	73	0	0	0	0	2	0	2	0	7	0	1
11.	शिको० नगर क्षेत्र	15	15	02	08	0	0	0	4	0	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1
	योग	973	369	181	185	4	48	1	40	2	60	1	2	0	8	962	0	0	0	0	2	2	3	0	10	0	2

प्राथमिक स्तर के आंकड़े व महत्वपूर्ण सूचकांक

जनपद फिरोजाबाद

यह जनपद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। का रहा है यहां कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप से कार्य करती रही है, डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत वर्ष 1997--98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यकी तैयार की जाती रही।

सारणी 211

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षो में स्थिति निम्नवत है–

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997--98	1998--99	1999--2000	2000--01	2001--02	2002--03
कक्षा–1	74144	73713	74257	75926	65729	69851
कक्षा–2	46255	49489	53044	57709	52/03	60909
कक्षा–3	32706	38937	43330	46874	42521	53899
कक्षा–4	25152	28329	33275	37910	32337	34901
कक्षा–5	22247	24244	26269	30733	20880	25630
योग	200514	214712	230175	249152	214165	245190
जी0ई0आर0						
कुल	81.07	84.89	102.25	96.17	81.32	94.26
बालिका	73.93	80.11	96.96	93.40		
एन0ई0आर0						
कुल	67.83	73.19	88.03	83.96	73.94	88.34
बालिका	62.22	69.44	83.95	82.09		

स्रोत

ई0एम0आई0एस0
रिपोर्ट

जनपद के नामांकन में 7.5 की औसतन वार्षिक वृद्धि हुई है जी0ई0आर0 एवं एन0ई0 आर0 में प्रति वर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं के जी0ई0आर0 बालकों के जी0ई0 आर0 अधिक हो गया है।

डी0पी0ई0पी0 जनपदों में परियोजना के बाद विद्यालयों एवं शिक्षकों के संख्या में वृद्धि का विवरण निम्नवत है:—

विद्यालयों की स्थिति
सारणी 2.12

	डी0पी0ई0पी0 परियोजना से पूर्व	2001 की स्थिति	वृद्धि प्रतिशत
प्राथमिक विद्यालय परिषदीय	837	973	16
प्राथमिक अध्यापक	2343	2442	4.2

4 वर्षों की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 4.2 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई।

ड्राप आउट दर
सारणी 2.13

वर्ष						आउट दर
1998–99	15.5	17.6	18.4	15.28	–	45.2
1999–2000	10.45	15.68	8.87	5.52	--	38.7
2000–2001	8.7	9.3	8.7	4.3	–	

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है विगत तीन वर्षों में 79.14 प्रतिशत से घटकर 38.7 हो गया है जो महत्वपूर्ण है। यह और भी उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
सारणी 2.14

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1997–98	7.32	6.86
1998–99	[illegible]	6.82
1999–2000	5.56	6.54
2000–01		

रिपीटीशन दर मात्र ... क स्तर की 5 कक्षाएँ पूर्ण करने में बच्चों का ... रूप से अब 6.54 ... ... शिक्षा की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष 2000--01 — 1 57 2
एकल अध्यापकीय विद्यालय का प्रतिशत वर्ष 2000--01 — 13 95
छात्र कक्षा कक्ष अनुपात — 56 1

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुए है । इस के अतिरिक्त शिक्षा मित्र भी तैनात किये गये । फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत मे काफी कमी आई है। अध्यापक छात्र अनुपात फिर भी 1 57 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा यद्यपि छात्र कक्षा कक्ष अनुपात मे सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1 :56 है इस निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षो के निर्माण की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालय नामांकन (3 वर्ष)

सारणी 2 15

वर्ष	कक्षा–6	कक्षा -7	कक्षा--8	योग
1999 2000	25206	23504	19294	68004
2000 -01	27206	25504	20813	73523
2001 - 2002	28606	26704	20973	76283

ट्रांजिशन(कक्षा 5 से कक्षा 6)

सारणी 2.16

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998 99	24244		
1999--2000	26269	25206	95 9
2000 2001	30733	27206	88 5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वृद्धि

सारणी 2 17

	संख्या 1997	संख्या 2000	वृद्धि
उ0 प्रा0 विद्यालय	140	181	
उ0 प्रा0 विद्यालय के अध्यापक		422	

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

सारणी 2.18

	परिषदीय प्रा0वि0 संख्या	परिषदीय उ0प्रा0वि0 संख्या	उच्च प्रा0वि0 सम्बद्ध माध्य0 वि0	योग(3+4)	प्रा0वि0 उ0 प्रा0वि0 का अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	918	176	31	207	4:1
नगर क्षेत्र	55	05	21	26	2:1
योग	973	181	52	233	4:1

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पर ही बल दिया गया। प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधाओं [illegible] के फलस्वरूप उच्च प्राथमिक स्तर पर सुविधा विहीनता की स्थिति रही जिसके फलस्वरूप कक्षा 5 के बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध ना हो सके।

अध्याय–3
नियोजन प्रकिया
सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया [illegible] स्कूल न जाने वाले बच्चों [illegible] गया। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों [illegible] अध्यापकों [illegible] BRC [illegible] आयोजित [illegible] सूचनाओं का विश्लेषण [illegible] समस्याओं और आवश्यकताओं की पहचान [illegible] सूक्ष्म नियोजन [illegible] निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

1. [illegible] बच्चों की संख्या।
2. [illegible] शिक्षा केन्द्रों में [illegible] बच्चों की संख्या [illegible]
3. [illegible] की संख्या
4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय जाने का कारण।
5. [illegible] विद्यालय / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो मानक के अनुसार विद्यालय [illegible] आवश्यकता है।
6. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो [illegible] आवश्यकता [illegible] करता है।
7. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है यदि नहीं तो सुझाव क्या है।
8. क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है।
9. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते है।
10. शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल मानचित्रण / शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण ,विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी:-

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों , उत्साही युवक-युवतियों शिक्षक–शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ 2 अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रभावों के माध्यम से गॉव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गॉव की सम्पूर्ण स्थिति को परिभाषित किया गया । प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गॉव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई ।
शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनाऐं एकत्र की गई

1. बस्ती [illegible] जनसंख्या।
2. [illegible] के जनसंख्या।

3. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या।
4. पढने व न पढने वाले बच्चों की जनसंख्या।
5. बाल श्रमिकों की संख्या।
6. विकलांग बच्चों की जानकारी व उनकी वास्तविक संख्या।
7. बालिका शिक्षा की स्थिति कामकाजी बालिकाओं की संख्या।

उपर्युक्त सभी तथ्यों, समस्याओं पर बस्ती के लोगों व समुदाय के जागरूक व्यक्तियों के विचार विमर्श के बाद ग्राम शिक्षा योजना विकसित की गई। इस ग्राम शिक्षा योजना विकास के लिए डी०पी०ओ० में पहले से संकलित ई०एम०आई०एस० डाटा की मदद से भी सुधार / परिमार्जन किया गया। गत वर्षो के माइक्रोप्लानिंग के आकडो को भी जनपद स्तर पर भी संकलित करके जिले की आवश्यकता को पहचानने का प्रयास किया तथा आकडो को सर्वशिक्षा अभियान का आधार भी बनाया गया।

किसी भी योजना की सफलता वहॉ के आकडो की शुद्धता, नियोजन तथा प्रबन्धन पर निर्भर करती है। सूक्ष्म नियोजन के आकडो का परिवार वार / बस्तीवार संकलन किया गया विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा उत्साही जागरूक व्यक्तियों से सम्पर्क करके शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक केन्द्रों के लिए 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों मे आकलित की गई। जनपद फिरोजाबाद मे जहॉ कॉच व चूडी उद्योग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बालश्रमिक पाये जाते है उन्हे चिन्हॉकन में शहरी क्षेत्रों मे गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय मूकबधिर विद्यालय, "दिशा प्रोजेक्ट", "विवेक" तथा "हम" का सराहनीय योगदान रहा। बाल श्रम प्रभावित वार्डो, ब्लाको में विशेष कार्ययोजना के तहत शिक्षा गारण्टी योजना के केन्द्र, वैकल्पिक केन्द्रो, घरो मे काम कर रही बालश्रमिक लडकियो के लिए विशेष ब्रिजकोर्श कैम्प तथा उन्हे शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनायी गयी। विधालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्यक्रम रखे गये है जिनका विस्तृत विवरण शिक्षा की पहुँच एवं विस्तार नामक अध्याय में किया गया है।

नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आकडो के लिए नगरीय क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है इस सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों का संकलन एवं सारणीयन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना में किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान–

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के हेतु 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया यह अभियान दो चरणों मे संचालित किया गया।

एक जुलाई से आठ जुलाई 2002 तक आयोजित किया गया। इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमन्त्रित किया गया तथा नगर क्षेत्र के प्रा०वि० परिषदीय के अलावा मान्यता प्राप्त विधालयों के बच्चों को लेकर एक वृहत रैली नगर के मुख्य मार्गो से होती हुई उन गलियों से गुजारी गई जिसमें विधालय न जाने वाले बालक / बालिकाऐं पाये जाते थे जिसके फलस्वरूप बालक बालिकाओ के नामाकन में आशातीत वृद्वि हुई है जिसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। स्कूल चलो अभियान का प्रभावी कियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर एक कार्ययोजना का निर्माण किया गया तथा कोर टीमों का गठन एवं अनुश्रवण हेतु अन्य विभागों से भी नोडल अधिकारी बनाये गये।

1. प्रत्येक विकास खण्ड के लिए स्कूल चलो अभियान के तहत B.D.O. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
2. जनपद की 79 न्याय पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान चलाने के लिए समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र को नोडल अधिकारी बनाया गया।

उक्त जनपद की 504 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिए ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

यह निर्देश दिये गये कि शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने 2 क्षेत्र का भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनायेंगे। इसके साथ–2 जिला विकास अधिकारी, प्राचार्य डायट फिरोजाबाद, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई०सी०डी०एस०), जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण [illegible], जिला सूचना अधिकारी [illegible] जिला अधिकारी भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल [illegible] की गई।

इस प्रकार [illegible] 2000 को स्कूल चलो अभियान का समापन किया गया एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों का नामांकन पूर्णशत प्रतिशत में सम्मिलित कराने हेतु प्रोत्साहित [illegible] गया।

	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
06–11 आयु वर्ग	168965	130220	299185	162316	124370	286686	6649	5850	12499
11–14 आयु वर्ग	41686	30616	72302	39919	29182	69101	1767	1434	3201

फिरोजाबाद जिले में सर्व शिक्षा अभियान की योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये।

1. नियोजन टीम का गठन – किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के लिए किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है इतने बड़े सार्थक उद्देश्य (सर्व शिक्षा) अभियान के लिए छः सदस्यीय टीम का गठन किया गया।
2. बस्ती ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गयी। सर्व शिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति सोच क्या है उसकी शिक्षा से क्या 2 अपेक्षाएं हैं, तथा वह इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इन विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है बिना इसके यह सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जिनको कार्यक्रम चलने पर सम्पर्क व्यक्ति सोसल एक्टीविस्ट के रूप में सहयोग ले सकते हैं। संदर्भ व्यक्तियों की पहचान, स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच, उनके सहयोग आदि की जानकारी ली जा सकती है।

परियोजना में वे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमैट इलाहाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्याशालाओं में प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त डी०पी०ई०पी० के जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, तमाम विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों से सहयोग मिला।

सभी प्रोजेक्ट गतिविधियों के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान, पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह संदेश एन०पी०आर०सी० समन्वयक के माध्यम से गया। ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना समाज की आवश्यकताओं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म

नियोजन ग्रास कर लेविल प्लानिंग के आधार पर निर्मित की जायेगी । योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्रामपंचायतों को इसमें नियोजन प्रबंधन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होगें अनुश्रवण व मूल्यांकन सम्बन्धी उनकी भागीदारी होगी। स्वंय सेवी स्वैच्छिक संस्थाओ की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थो में यह, जनता का आंदोलन बन सके।

जनपद स्तर पर नियोजन

जनपद विशेष मे स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारित किया गया।

क्रम सं.	जनपद स्तर / ब्लाक स्तर / ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण एंव संख्या	बैठक / विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	जिला स्तर	15-9-2001	टूण्डला	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य डाइट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, डी0पी0ओ0, ए0एल0सी0 फिरोजाबाद, जिला सूचना अधिकारी	1. बस्ती / ग्राम स्तर के व्यक्तियों से विचार विमर्श कर उनकी समस्याओं के आधर पर कार्य योजना का निर्माण 2. बिना भेदभाव के बालिकाओं की शिक्षा पर बल 3. समाज मे महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता 4. बालिकाओं के विद्यालय मे नामाकन 5. बालकों का विद्यालय में ठहराव बना रहे।
2.	विकासखण्ड स्तर	18-9-2001	जसराना	अधिकारी-5 ग्राम प्रधान -10 पंचायत के सदस्य-3 अभिभावक-4 कुल-22	1. अनु0 जाति वर्ग मे शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी है 2. शिक्षा से अन्धविश्वास मिटाना चाहते है 3. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता है।
3.	विकासखण्ड स्तर	18-9-2001	बैजुआरवास	अधिकारी-7 पंचायत के सदस्य-5 ग्राम प्रधान -12 अभिभावक-5 कुल-29	1. अनु0जाति वर्ग में बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिये जाने की आवश्यकता 2. सामाजिक रूढियों, अन्धविश्वास प्रगति में बाधक है, शिक्षा से ही इन्हे दूर किया जा सकता है

क्रम. स.	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण एंव संख्या	बैठक / विचार विमर्श में जो विन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
4.	टूण्डला	21-9-2001	बी0 आर0 सी0 टूण्डला	अधिकारी 10 अध्यापक-20 प्रधान-9 न्यायपंचायत प्रभारी-8 कुल-47	1. बाल श्रमिकों में शिक्षा के सभी साधनो के बावजूद शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह नही है। 2. अभिभावक बालिकाओं का नामांकन विद्यालओं में नही कराते। 3. शिक्षा के साथ-साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल सिखाना चाहते है 4. लिंग भेद समाप्त करना चाहते है।
5	ग्राम स्तर	16-10-2001	[illegible] बगिया	ग्राम वासी 10 अधिकारी 02 कुल-12	1. [illegible] मजदूरी करने के कारण शिक्षा के लिए समय नही मिल पाता है। 2. पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नही कर सकते। 3. शिक्षा के साथ हस्तकारी सम्बन्धी शिक्षा दी [illegible] जानी चाहिए।
6	जनपद स्तर	16-10-2001	फिरोजाबाद	जिला पंचायत अध्यक्ष 1 जिला पंचायत अधिकारी [illegible] जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी [illegible] जिला समन्वयक 4 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी [illegible] उप बेसिक शिक्षा अधिकारी 2 वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक) 1 कुल 16	1. शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार अपेक्षित 2. जिन बस्तियों में विद्यालय नही है वहाँ के बच्चों के लिए विद्यालय खोलना [illegible] अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलना 5. [illegible] में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए [illegible] शिक्षा की व्यवस्था करना। 6. [illegible] गली (रेडलाइट एरिया) में रहने वाली शोषित नारियों के बच्चो की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं।
[illegible]	[illegible] ग्राम [illegible] [illegible]पुर	20-10-2001	सिरसा खास	अधिकारी [illegible] अध्यापक [illegible] अभिभावक [illegible] ग्राम [illegible] कुल [illegible]	[illegible] आर्थिक एवं सामाजिक [illegible] [illegible] शिक्षा की उपादेयता [illegible] है। [illegible] कठिनाई [illegible]

				आदि के कारण शिक्षा मे अवरोध।
ग्राम स्तर	20-10-2001	कोरांव	प्रधान-1 बी.डी.सी. सदस्य-1 अभिभावक-10 अधिकारी-1 कुल-13	1. विद्यालयो मे भौतिक ससाधनो का अभाव जैसे फर्नीचर, बिजली आदि। 2. शौचालय पेयजल एव चहारदीवारी की कमी।
[illegible]	20-10-2001	[illegible]	अधिकारी-1 अध्यापक 4 अभिभावक 2 कुल 7	1. शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चो मे जागरूकता का अभाव। 2. बच्चो के व्यक्तिगत रूचि मे कमी। 3. शिक्षक की व्यवहार कुशलता एव व्यक्तित्व मे कमी।
[illegible]	19-10-2001	[illegible]	अधिकारी 2 प्रधान 1 पचायत सदस्य 2 अभिभावक 4 कुल 9	1. गरीबी के कारण छात्रो के पास पाठय पुस्तको का न होना। 2. अध्यापको का मानक के अनुसार सख्या मे उपलब्ध न होना। 3. विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना। 4. अध्यापक से अन्य विभागो का काम करना।
[illegible]	29-10-2001	[illegible]	अधिकारी 1 प्रधान 1 पचायत सदस्य 2 अभिभावक 1 कुल 5	1. अध्यापक का विद्यालय मे कम ठहराव 2. अध्यापक मे शिक्षण कार्य मे अरूचि
[illegible]	26-10-2001	[illegible]	अध्यक्ष नगरपालिका 1 शिक्षा अधिकारी 1 अभिभावक 20 अधिकारी 2 कुल 24	1. अध्यापको / अभिभावको एव छात्रो मे सामजस्य न होना। 2. सतत मूल्याकन का अभाव। 3. निरीक्षण / पर्यवेक्षण मे कमी 4. साहित्य सामाजिक सहभागिता का अभाव।
[illegible]	6-11-2001	[illegible]	अध्यक्ष 1 नागरिक 20 शिक्षा अधिकारी 5 न्याय पचायत प्रभारी -10 कुल 36	1. विकलाग बच्चो की शिक्षण व्यवस्था 2. बाल श्रमिको के अभिभावको मे शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव।

ग्राम पंचायत की खुली बैठकें:

जनपद- फिरोजाबाद

क्र.	विकास खण्ड का नाम	22Sp 1	24	25	26	27	28	29	30 Oc 1	04	05	06	08	09	10	11.	12	योग
1.	अराव	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	1	54
2.	एका	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	1	51
3.	जसराना	3	4	4	4	3	-	4	3	4	4	4	-	-	3	2	2	44
4.	खैरगढ	5	5	5	5	-	3	3	3	4	4	4	3	3	-	1	2	48
5.	मदनपुर	4	4	-	4	4	3	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	51
6.	शिकोहाबाद	5	5	5	5	5	3	3	3	-	-	3	3	3	3	4	-	50
7.	फिरो0	4	4	4	4	4	4	3	3	-	3	3	3	3	2	2	-	46
8.	टूण्डला	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	3	4	4	4	-	55
9.	नारखी	4	4	4	6	6	6	-	-	3	3	3	3	-	3	3	1	48
	योग	38	36	33	35	33	30	29	27	26	29	27	21	19	23	23	13	448

उक्त के अतिरिक्त टाउनएरिया फरिया, जसराना, सिरसागंज में भी एक-एक बैठक आयोजित की गई। कुल ग्रामीण क्षेत्र में 448 बैठके की गई।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/ विभागो से समन्वय एंव सहयोग :–

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागो से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(1) <u>आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय :–</u>

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यो, एन.जी.ओ. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नलिखित आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

1. ऑगन बाड़ी केन्द्रो का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2. ऑगन बाड़ी केन्द्रो की स्थापना विद्यालय प्रागंण में या उनके निकट की जाती है।
3. ऑगन बाड़ी केन्द्रो को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रो के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रो के संचालन के अतिरिक्त समय हेतु आनुपातिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(2) <u>स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय :–</u>

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयो में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चो के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके स्वास्थ्य कार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाऐं ली जाती है। चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(3) <u>समाज कल्याण विभाग से समन्वयः–</u>

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विधालयों व उच्च प्राथमिक विधालयों के अनु0 जाति के सभी बच्चो को शिक्षा के प्रतिप्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/= व 480/= प्रति छात्र की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(4) <u>ग्राम पचायतों से समन्वयः–</u>

असेवित क्षेत्रो में नवीन विधालयो की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पचायत भूमि प्रबन्ध समितियो द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहॉं पर विधालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(5) <u>खाद्य एव आपूर्ति विभाग से समन्वयः–</u>

खाद्य और आपूर्ति विभागके समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विधालय में 80: मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को 3KG प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

(6) <u>विकलाग कल्याण विभाग से समन्वयः–</u>

विकलांग कल्याण विभग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (ट्राईसाइकिल बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण म सहयोग लिया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये जाते है कि विकलांगो की सहायतार्थ उपकरणों सयत्रो के वितरण में छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाय।

(7) <u>उ0प्र0 जल निगम/ यू0पी0 एग्रो से समन्वयः–</u>

इन दोनो विभागो के सहयोग से प्राथमिक विधालय व उच्च प्रा0वि0 में छात्र–छात्राओं के लिए पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की व्यवस्था की जाती है।

(8) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर खेलकूद प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती [illegible] विभाग के [illegible] युवा [illegible] युवक मंगल दलों के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्रनामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में [illegible] प्रतियोगिता [illegible] की जाती है।

(9) पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय.—

[illegible] विभाग से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को [illegible] आवश्यक [illegible] सकें।

(10) जिला ग्राम विकास अभिकरण से समन्वय.-

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम विकास अभिकरण D.R.D.A. से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम विकास विभाग से प्राप्त करायी जाती है।

हाउस होल्ड सर्वे २००३ में चिन्हित विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

5+6, 7–10+ तथा 11–14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

क्र० सं०	कारण	5+ से 6+		7–10+		11–14	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बलिका
1.	अपने घर के काम में लगे रहना	0	0	4485	3826	0	1021
2.	मजदूरी में लगे रहना	0	0	0	0	1765	0
3.	भाई–बहनों की देखभाल	2144	1944	0	0	0	408
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	0	0	0	0	0	0
5.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	योग	**2144**	**1944**	**4485**	**3826**	**1765**	**1429**

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत 11793 बच्चों का नामांकन कराया गया। शेष बच्चों के लिए 100 ई०जी०एस० तथा 40 ए०आई०ई० तथा 40 शिक्षा–घर खोले जाने का प्रस्ताव है, जिनमें बचे हुए सभी बच्चे नामांकित हो जायेंगे।

विवरण

वर्ष	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या
ई०जी०एस०	100	3500	100	2500	100	2500	100	2500
मकतब मदरसा	–	–	11	440	11	440	11	440
ब्रिज कोर्स	11	440	2	70	2	70	2	70
ब्रिज कोर्स एन.पी.आर.सी.	1	40	1	40	1	40	1	40
योग		3980		3050		3050		3050

अध्याय--4

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जिसमें कक्षा 1--8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य है,भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम को संचालित किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। इस योजना के संचालन मे केन्द्र एवं राज्य का वित्तीय अंशदान इस प्रकार रहेगा।

सारणी 4.1

पंचवर्षीय योजना	वर्ष	केन्द्र: राज्य अंशदान
नवी	1997--2002	85:15
दसवी	2002--2007	75:25
ग्यारहवी	2007--2012	50:50

सर्वशिक्षा अभियान योजना के राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूतलक्ष्य निर्धारित किये गये है।

- वर्ष 2003 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विधालयो में नाम्नांकित कराना
- 2007 तक समस्त बच्चो को प्राथमिक शिक्षा (कक्षा- 5 तक) पूर्णकराना ।
- वर्ष 2010 तक 6 -14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी,व्यावहारिक एव प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा--8 तक) पूर्ण करा देना ।
- शिक्षा मे सामाजिक , क्षेत्रीय एव लैंगिक विषमताओ को दूर करना।
- वर्ष 2010 तक शत प्रतिशत ठहराव एव सम्प्राप्ति ।

उपरोक्त मूलभूत लक्ष्यों को जनपदो के लिये निर्धारित लक्ष्य माना गया है। इनके साथ ही साथ जनपद की भौगोलिक, सामाजिक आर्थिक विशिष्टताओं को दृष्टिगत रखते हुये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है ।

नामांकन के लक्ष्य

बाल गणना तथा नामांकन प्रक्षेपण हेतु अपनाई गयी विधा

वर्ष2001 की जनगणना से प्रदेश केजनपदवार आंकडे उपलब्ध हो गये है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के आंकड़ो को आधार मानतेहुये जनपद मे जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सीमेट नई दिल्ली के मॉड्यूल में उल्लिखित "कम्पाउन्ड रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.4 है। इस वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष जनपद की जनसंख्या प्रक्षेपित की गई है। जो सारणी 4.2 मे उल्लिखित है।

2001 की जनगणना मे आयु वर्गवार जनसंख्या के आंकडे उपलब्ध नही है। अतः 1991 की जनगणना मे आयु वर्ग वार जनसंख्या प्रतिशत को आधार मानते हुये वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या मे 6- 11 वर्ष की बालगणना ज्ञात करने के लिये 18.1 तथा 11--14 वर्ष की बालगणना ज्ञात करने के लिये 6.2 का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण--नगरीय, अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति के लिये विशिष्ट आकडे उपलब्ध होने पर इन आकड़ो का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओ में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रक्षेपण हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानकर नीपा नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित नामांकन अनुपात विधि से 2002 से 2010 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल गणना से उस वर्ष का नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर(6–11 आयु वर्ग के लिये) वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक (11 से 14 वर्ष) के लिए वर्ष 2001 तक शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ अधिक एवं कुछ कम आयु के होंगे। अतः जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2007 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे आयु वर्ग 6–11 एवं 11 से 14 वर्ष में बढ़ेगें उतने ही लगभग नामांकित हो जायेंगे। वर्ष 2001 से 2010 तक जनपद की वर्ष वार प्रक्षेपित ,6–11 वर्ष की बालगणना व नामांकन व 11 से 14 की बालगणना एवं नामांकन इस प्रकार है–

सारणी 4.2 प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद फिरोजाबाद

वर्ष	06–11 वयवर्ग बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
2000–2001							
2001–2002	164675	140139	304814	138290	118591	256881	84%
2002–2003	168627	143502	312129	142232	138684	280916	90%
2003–2004	172674	146946	319620	163037	143798	306835	96%
2004–2005	176818	150472	327290	176818	150472	327290	100%
2005–2006	181061	154083	335144	193612	161640	355252	106%
2006–2007	185406	157780	343186	204052	173452	377504	110%
2007–2008	189855	161566	351421	203911	161566	365477	104%
2008–2009	194411	165443	359854	194411	165443	359854	100%
2009–2010	199076	169413	368489	199076	169413	368489	100%

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद फिरोजाबाद

सारणी 4.3

वर्ष	11-14 वयवर्ग बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0 प्रतिशत
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-2001							
2001-2002	68512	58313	126825	53959	39220	93179	73:
2002-2003	70156	59712	129868	61947	41947	103894	80:
2003-2004	71839	61145	132984	66618	46418	113036	85:
2004-2005	73563	62612	136175	68278	54279	122557	90:
2005-2006	75328	64114	139442	69937	61138	131075	94:
2006-2007	77135	65652	142787	76535	63396	139931	98:
2007-2008	78986	67227	146213	79854	70745	150599	103:
2008-2009	80881	68840	149721	87316	74382	161698	108:
2009-2010	82822	70492	153314	92754	75791	68645	110:

ठहराव के लक्ष्य :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत फिरोजाबाद जनपद में 2007 तक प्रथिमिक स्तर पर' एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शतप्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट ज्ञात करने के लिए तीन ब्लाकों कमशः ठहराव एक, तथा जसराना के पॉच - पॉच विद्यालय का कोहार्ट ड्राप आऊट किया गया जिसके ड्रापआऊट दर 18प्रतिशत हुयी इसे कम करने के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित है।

ड्रापआउट दर

सारणी-4.4

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट की दर	उच्च प्रा. पर ड्रापआऊट
2001-2002	32.7	18
2002-2003	26.7	16
2003-2004	20.7	13
2004-2005	14.7	10
2005-2006	8.7	7
2006-2007	2.7	4
2007-2008	0	3
2008-2009	0	1
2009 2010	0	0

कोहोर्ट स्टडी :- परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद मे ड्राप-आउट से सम्बंधित प्रगति तथा इसके अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक कोहोर्ट-स्टडी कराई जायेगी।

अध्याय 5

समस्याएँ एवं रणनीतियाँ

जनपद फिरोजाबाद मे सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रिकृत रूपेण तथा क्षेत्र की जनता की सहभागिता प्राप्त करने हेतु अपनाई गई है। इस अभियान के अर्न्तगत 6 से 14आयु वर्ग के सभी बच्चो को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। ज्ञातव्य है कि यह जनपद बालश्रम से बुरी तरह प्रभावित है।अतः यहाँ की रणनीति बनाते समय कुछ खास बातो पर ध्यान देना आवश्यक है। यहीं के कॉच उधोग मे छोटे – छोटे बच्चे कार्यरत है।इस पेशे से उसके परिवार का जीविकोपार्जन चलता है। वैसे बालश्रमिको एवं उनके अभिभावको के लिये शिक्षा मे समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। इस कारण नियोजन की प्रक्रिया मे सामुदायिक सहभागिता को आवश्यक माना गया है।

स्कूल से बाहर शालात्यागी बच्चों को विधालय , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो एवं ब्रिज कोर्स के माध्यम से शतप्रतिशत नामांकन कराने ,उनका ठहराव बनाये रखने एवं शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार लाये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।इसलिये शिक्षा से जुड़े हुये व्यक्तियों शिक्षाप्रेमी , ग्रामप्रधानो , अभिभावको आदि से चर्चा मे जो बिन्दु शिक्षा से संम्बंधित समस्याओं एवं उनके समाधान से सम्बंधित उभरकर आये सारणी रूप में निम्नलिखित है।

सारणी 5 1

(क) शिक्षा की पहुँच	राजनीतियाँ
(1) असेवित बस्तियों मे विधालय उपलब्ध नही।	परिवार सर्वशिक्षा के आधार पर अधिक से अधिक है आबादी वाले 213 प्रा0वि0 तथा (2:1 प्राथमिक विधालय तथा उच्च प्रा0 वि0) जनपद मे 124उच्च प्रा0वि0 खोले जायेगें।
(2) 300 से कम आबादी वाली बिखरी बस्तियों मे 1-5km के अन्दर कोई शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नही है।	इन बस्तियो मे 300EGS केन्द्र स्थापित किये जायेगें।
(3) कामकाजी बच्चों/ बाल श्रमिको के लिए शिक्षक की विशेष सुविधाओं का अभाव है।	समस्त कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। चूड़ी उधोग में लगे हुए परिवारो के बच्चों के लिए 1280 शिक्षा घर तथा 120 ग्रीष्मकालीन ब्रिजकोर्स का आयेजन किया जायेगा।
(ख) नामांकन सम्बन्धी	
(1) समुदाय मे बच्चों के नियमित पठन पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता नही है।	ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करते हुए मासिक बैठको का आयोजन कराया जायेगा। विद्यालयों द्वारा रैली का आयोजन शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जागृति तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित यिा जायेगा।
(2) समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित है।	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनके बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जायेगा।
(3) बच्चों का घरेलू कार्यो में व्यस्त होना	अभिभावको तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता लाते हुए बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया

	जायेगा। विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।
(4) छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों के सदुपयोग की कमी।	विद्यालय में छात्रो का नामांकन बढ़ाने, उनके ठहराव को बनाये रखने तथा अभिभावको की आर्थिक दृष्टि से दिया जाने वाला स्कूल पोषाहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण प्रकिया में सुधार किया जायेगा।
(ग) ठहराव सम्बन्धी	
(1) जनसहयोग एवं समर्थन की कमी।	सामाजिक रूढियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जनसहयोग प्राप्त करके बच्चो का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण में आकर्षण का अभाव।	विद्यालय को बागवानी, साज सज्जा से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जायेगा तथा विद्यालय में बच्चों के खेलने तथा सांस्कृतिक कार्यकमों हेतु वातावरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।
(3) सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा का अभाव।	चहारदीवारी विहीन 743 प्रा0वि0 तथा 86 पू0मा0वि0 विद्यालयो मे चहारदीवारी का निर्माण कराते हुए विद्यालय के लिए आकर्षक बागवानी की सुविधा दी जायेगी।
(4) पेयजल, शौचालय का अभाव।	पेयजल सुविधा विहीन 38 प्रा0वि0तथा 21 उ0प्रा0वि0 तथा शौचालय विहीन 29 प्रा0वि0 तथा 86 पू0मा0वि0 विद्यालयों में कमशः हैण्डपम्प तथा शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव को बढाया जायेगा।
(5) उपयुक्त भवन कक्षा कक्ष, साज सज्जा तथा शिक्षको की कमी।	प्राथमिक स्तर पर 396 अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं पू0मा0वि0 स्तर पर 02 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कराया जायेगा सभी विद्यालयों मे पर्याप्त साज सज्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ठहराव की समस्या दूर की जायेगी।
(6) शिक्षकों में बहुश्रेणी शिक्षण के कौशल का न होना।	शिक्षकों को बहुश्रेणी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
(घ) गुणवत्ता सम्बन्धी	
(1) नवीन पाठ्य कमानुसार शिक्षकों के ज्ञान [illegible] कमी।	नवीन पाठ्यकमानुसार शिक्षको के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयो में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित विषयो में उच्च प्रा0 स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जायेगा।
(2) विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण [illegible] का अभाव।	सामाजिक रीतिरिवाज स्थानीय स्थितियो तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में उनके अनूरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा।

(3) निरीक्षण अधिकारियों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण का न होना।	नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी , सर्वशिक्षा के अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों के गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।
(4) समुदाय में पठन पाठन प्रक्रिया के सम्बन्धित ज्ञान की कमी।	शिक्षा में सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो, माता शिक्षकतथा अभिभावक शिक्षक एसोसिएसन के सदस्यो को शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमो से भी परिचित कराया जायेगा
(5) शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्त होना।	पाठो को अनुरूप सहायक शिक्षा सामग्री का निर्माण सम्बन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा। ताकि छात्रो में विषयवस्तु को समझने में आसानी हो सके साथ ही कक्षा शिक्षण रूचिकर हो सके , इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान दिया जायेगा।
(6) शिक्षकों का गैर शैक्षिक कार्यों में व्यस्त होना	विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओ का संकलन, भवन निर्माण,पोषाहार वितरण तथा अन्य गैर विभागीय कार्यो के निस्तारण में शिक्षको की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रो के हितो में व्यतीत हो ऐसा कियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय प्रबन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी।
(ड) संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी	
1 न्याय पचायत एव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयो के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमताएं होना विद्यालयो को सतत् रूप से अकादमिक सपोर्ट न मिल पाना।	न्याय पंचायत प्रभारियो तथा ब्लाक समन्वयको का मुख्य कार्य शैक्षणिक गुणवत्ता का विकास करना है परन्तु वे मात्र सूचना संकलन मीटिंग में ही समय का अपव्यय किया करते है। कक्षा शिक्षण में क्या हो रहा है वे यह देख नहीं पा रहे है सर्वशिक्षा अभियान में ब्लाक संसाधन केन्द्रो तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो को शैक्षिक पर्यवेक्षण व अकादमिक सपोर्ट देने के लिए क्षमतावान बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षको को निरन्तर व नियमित अकादमिक सहयोग प्राप्त होता रहे।
(7) कक्षा कक्ष की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना।	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे अध्यापकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष. की स्थितियों। आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षको की कमी की स्थिति में वह कक्षा शिक्षण की विधा से परिचित कराया

	जायेगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे शोध कार्य की कमी।	प्राथमिक शिक्षा की समस्याए प्रगति तथा विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध कार्य की व्यवस्था की जायेगी तथा सुझाये गये तरीको का उपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में किया जायेगा। प्राप्त निष्कर्षो का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन मे किया जायेगा।
(4) विद्यालय सांख्यिकी तथा इण्डीकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग।	ई०एम०आई०एस० को और सुदृढ बनाया जायेगा और ऑकडे नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कर्षो का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना निर्माण में किया जायेगा।

अध्याय -6
शिक्षा की पहुँच का विस्तार

: प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक भवनों की आवश्यकता:-

जनपद फिरोजाबाद के 09 विकास खण्डो मे 514 ग्राम सभाये हैं जिनमे से 836 राजस्व ग्राम हैं तथा बस्तियों की संख्या 1578 हैं जिनमें से 918 प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र तथा 55 प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र में संचालित हैं। 300 की अवादी तथा 1.5 कि0मी की दूरी का मानक पूरा करने वाले कुल 22 गॉव और 191 बस्तियां ही शेष असेवित रहती हैं। जहॉ यदि प्राथमिक विद्यालय खुल जाये तो सेवित हो सकती हैं।

विकास खण्डवार असेवित ग्राम / बस्तियॉ

सारणी 6.1

क्र0स0	विकास खण्ड	असेवित ग्राम / बस्तियों की संख्या
1	अरॉव	18
2	एका	39
3	जसराना	08
4.	खैरगढ़	25
5	मदनपुर	27
6	शिकोहाबाद	37
7	फिरोजाबाद	01
8	टुण्डला	28
9	नारखी	35
10	योग	213

अतः सर्व शिक्षा अभियान में कुल 138 प्रा0 वि0 प्रस्तावित है जिनमे से 0 प्रा0 वि0 का निर्माण द्वितीय वर्ष , तृतीय वर्ष 38 प्रा0 वि0 का निर्माण तथा चतुर्थ वर्ष 100 प्रा0वि0 का निर्माण कराकर शिक्षा की पहुँच का विस्तार किया जायेगा।

सारणी 6.2

वर्ष	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
प्रस्तावित विद्यालय	-	38	100		-	-	-

2 उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विधालय:-

जनपद मे 800 की आबादी एवं 3 कि0मी दूरी के मानक पर असेवित वस्तियों की पहचान की गई

। उच्च प्रा0 वि0 मे एक प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी।

नवीन उच्चप्राथ0 विधालय खोलने का आधार निम्नवत हैं:-

सारणी 6.3

कुल परिषदीय विद्यालय	973
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	213
कुल प्राथमिक विद्यालय	1186
1:2 के अनुसार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	1186 / 2 =593
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	181
मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय	185
हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट विद्यालय	103
कुल विद्यालय	469

नवीन प्रा0 विघालय साज सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विघालय को सुसज्जित करने तथा विघालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यापट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलो मे विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते है, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से करायी जायेगी ।

नवीन उ0प्रा0 विघालय साज सज्जा- ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा- मेज कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट; (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग से [illegible] कक्षा कक्ष टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी) ।

मानक के अनुसार सभी बस्तियों को सेवित करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में 78 विद्यालय और खोले जाने की व्यवस्था है जिसका वर्षवार विवरण निम्न है :-

सारणी 6.4

वर्ष	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
प्रस्तावित विद्यालय		[illegible]	[illegible]				

शिक्षक की व्यवस्था-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय मे एक प्र0अ0 तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2002-03 में 38 प्रा0वि0 का निर्माण प्रस्तावित है जिनमे मे 70 प्रधान अध्यापक और 28 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में 100 [illegible] है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्र0अ0 तथा 04 सहायक अध्यापको सहित कुल 05 अध्यापको की व्यवस्था प्रस्तावित है। चार अध्यापकों में एक विज्ञान एवं गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। कुल 78 नवीन उ0प्रा0 वि0 के लिए 78 प्रधान अध्यापक और 312 स0अ0 की आवश्यक्ता होगी।

सारणी 6.5

वर्ष	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
प्रस्तावित प्रा0 अ0	-	25	53	-	-	-	-
प्रस्तावित स0 अ0	-	100	212	-	-	-	-

विद्यालय साज सज्जा:-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमे टाट पट्टी ,श्यामपट्ट , मेज कुर्सी ,अध्यापको के लिये अलमारी ,संदूक पंजिकाएँ , खेल सामग्री ,पुस्तकालय हेतु पुस्तके एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। यह व्यवस्था प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिये 10,000 रु0 की दर से की जायेगी ।

नवीन उच्च0 प्रा0 वि0 में काष्टोपरक शिक्षण सामग्री ,खेल सामग्री ,पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था वी0ई0सी0 के माध्यम से की जायेगी। यह अनुदान 50,000 रु0 की दर से प्रत्येक विद्यालय के लिये होगा।

…र्माण कार्यदायी संस्था :-

…मुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति समाज में स्व की भावना को जाग्रत करने के …देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है।

…वीन उच्च प्रा0 विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था:-

…र्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्रा0 वि0 की …पलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय मे आवश्यक भूमि …वन,हैण्डपम्प,शौचालय आदि यथा सम्भव उपलब्ध है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया …कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्रा0 विद्यालयों का उच्चीकरण करते …ए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय मे उपलब्ध भूमि, …वन,हैण्डपम्प, शौचालय,चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा …के। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मे हैण्डपम्प, शौचालय आदि पर …चत की जा सकेगी।

…क्षिक सुविधाओं की आवश्यक्ता हेतु सर्वेक्षण :-

…थमत नवीन प्राथमिक-एवं उच्च प्रा0वि0 की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की …बादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती मे छात्र -छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे नवीन प्राथमिक-व-उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यक्ता एवं …द्यालयों मे भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके …धार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा ।

…द्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :-

विद्यालय भवन ,शौचालय,हैण्डपम्प , चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति …रा किये जायेंगे। निर्माण कार्यो का तकनीकि पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण …भियन्त्रण सेवा के अभियन्ताओ से कराया जायेगा। इस सम्बंध में आवश्यक विवरण अध्याय 10 …रियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (द्वितीय)

शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक योजना वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना माइक्रो प्लानिंग एवं विलेज सर्वेक्षण के आधार पर ज्ञात होता है कि जनपद फिरोजाबाद में कामकाजी बच्चों मजदूरी या पारिवारिक पेशा में अपने परिवार के सदस्यों को सहयोग प्रदान करते है। ऐसी हालत में औपचारिक विद्यालय इन बच्चों के लिये अनुपयोगी होता है। शिक्षा को बच्चों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिये कई स्तर पर दृष्टिकोण एवं व्यवहार में लचीलापन लाना आवश्यक है। इसके अलावा समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यालय समय एवं पाठ्यक्रमों मे बदलाव भी आवश्यक है।

2000–2001 मे जनपद मे 6 से 11 आयु वर्ग की सकल नामांकन दर 84%, है। । जबकि ड्राप आउट रेट 38.7%है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद म शिक्षा गारंटी एव नवाचार शिक्षा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सूक्ष्म योजना का आधार

सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था। उसी को आधार मानकर विकास खण्डवार निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित की गई है। उपरोक्त सूक्ष्म नियोजन एवं सर्वेक्षण द्वारा जो आंकडे उपलब्ध हुए उन्हें 2001 में पुनः अधतन किया गया है। ' सर्व शिक्षा अभियान हेतु पुनः बस्ती/ग्रामवार परिवार सर्वेक्षण कराया गया है। इसे पुनः अधतन किया जाता रहेगा ताकि उन बच्चों को चिन्हित किया जायेगा जो किन्ही कारणें से विद्यालयी शिक्षा से वंचित या दूर है। किसी भी योजना की सफलता उसकी नियोजन पर निर्भर करती है। ये सर्वेक्षण इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे परियोजना वर्ष 2002 – 2003 मे एव इसके बाद आगे बढ़ती है। जायेगी, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक नवाचर शिक्षा ग्रीष्म कालीन शिविर आदि कार्यक्रमो को बच्चों के लक्षित/चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सकेगा।

जनपद मे ऐसी असेवित बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथ 1 किमी की परिधि मे औपचारिक विद्यालय नही है ऐसी बस्तियों में शिक्षा योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई.जी.एस.) खोले जाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ 300 की आबादी से भी विद्यालय के निर्माण कार्य होने तक विद्या केन्द्र संचालित रहेंगे।

फिरोजाबाद जनपद में फिरोजाबाद एव शिकोहाबाद जनपद में यमुना का बीहड़ तो फिरोजाबाद नगर के आस–पास के बहुसंख्यक गरीब बच्चे कॉच उद्योग में बाल श्रमिकों के रूप मे कार्यरत है। अतः इन क्षेत्रों में अनौपचारिक एवं नवाचार शिक्षा के द्वारा ही शत–प्रतिशत नामांकन प्राप्त किया जा सकता है। ध्यातव्य ह इस योजना में लाभन्वित होने वालों की उम्र 6–14 वर्ष व विकलांग बच्चों की आयु सीमा 18 वर्ष तक है।

इस योजनांतर्गत 6–11 आयु वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों मे पंजीकृत कराया जायेगा अथवा EGS केन्द्र मे प्रवेश दिलाया जायेगा। 9–14 आयु वर्गके बच्चो जो पूर्व मे ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके है अथवा कभी भी विद्यालय मे पंजीकृत नही हुए है, उन्हें वैकल्पिक एव नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कार्स अथवा ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा मे जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा।

हाउस होल्ड सर्वे २००३ में चिन्हित विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

5+6, 7–10+ तथा 11–14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

क्र० सं०	कारण	5+ से 6+		7–10+		11–14	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बलिका
1.	अपने घर के काम में लगे रहना	0	0	4485	3826	0	1021
2.	मजदूरी में लगे रहना	0	0	0	0	1765	0
3.	भाई–बहनों की देखभाल	2144	1944	0	0	0	408
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	0	0	0	0	0	0
5.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	योग	2144	1944	4485	3826	1765	1429

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत 11793 बच्चों का नामांकन कराया गया। शेष बच्चों के लिए 100 ई०जी०एस० तथा 40 ए०आई०ई० तथा 40 शिक्षा–घर खोले जाने का प्रस्ताव है, जिनमें बचे हुए सभी बच्चे नामांकित हो जायेंगे।

विवरण

वर्ष	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या
ई०जी०एस०	100	3500	100	2500	100	2500	100	2500
मकतब मदरसा	–	–	11	440	11	440	11	440
ब्रिज कोर्स	11	440	2	70	2	70	2	70
ब्रिज कोर्स एन.पी.आर.सी.	1	40	1	40	1	40	1	40
योग		3980		3050		3050		3050

सर्वेक्षण :-
ग्रामीण क्षेत्र के सर्वे के ऑकड़े सूक्ष्म नियोजन के आधार पर प्राप्त किये गये हैं। पुनः द्रुत सर्वेक्षण किया गये है। जिसके आकड़ो के आधार पर ब्रिज कोर्स , नगर क्षेत्र में लगाये जायेंगे। सर्वे के अनुसार 6 से 14 वर्ग के उपलब्ध बच्चो का वितरण निम्न है--

सारणी--7.1

बालक	बालिका	योग
29306	24102	53408

सर्व शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक एव नवाचार शिक्षा ब्रिज कोर्सो आदि के माध्यम से विद्यालय नही जाने वाले 6 – 8 आयु वर्ग के 19302 बच्चों एवं 9 – 14 आयु वर्ग के 34101 बच्चो को शिक्षा की मुख्य - धारा से जोड़ना है। इसमें समय का कोई प्रतिबन्ध नही है। इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चो को उपलब्धि के आधार पर मुख्य धारा से जोड़ दिया जायगा।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियाँ जिनकी आबादी 300 से कम है तथा। किसी की परिधि मे औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नही है. ऐसी असेवित बस्तियों में शिक्षा गांरटी योजना के अंतर्गत शिक्षा केन्द्र (EGS) खोले जाने का लक्ष्य है साथ ही साथ 300 से ज्यादा आबादी वाली बस्तिया जहाँ पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है. ऐसी बस्तियों में भी विद्यालयो के निर्माण होने तक EGS केन्द्र सचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये जनपद में EGS एवं (वैकल्पिक एव नवाचार केन्द्र) खोले जाना प्रस्तावित है। जनपद मे प्रस्तावित शिक्षा केन्द्र एवं ज्ञान केन्द्रों की संख्या निम्न है –

सारणी–7.2

शिक्षा गारण्टी योजना(ई0जी0एस0) एव नवाचार शिक्षा योजना हेतु चिन्हित बस्तियों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	पहचान किये गये केन्द्रों की संख्या		
		ए0आइ0ई0 नवाचार	
	ई0जी0एस0	प्राथ0स्तर	उ0प्राथ0 स्तर
01 अरॉव	10	04	4
02 एका	10	07	3
03 जसराना	13	06	9
04 खैरगढ	05	0	4
05 मदनपुर	06	06	3
06 शिकोहाबाद	06	05	4
07 फिरोज़ाबाद	21	16	8
08 टूण्डला	20	9	5
09 नारखी	16	10	0
योग	107	63	40

शिक्षा को आम आदमी तक पहुँच के विस्तार हेतु जनपद फिरोजाबाद में निम्नांकित कार्यक्रम बनाये गये है –

सारणी–7.3

वर्ष	2001–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07
ई0जी0एस0	–	50	57	–	–	–
ए0 आई0ई0 प्रा0स्तर	–	–	30	0	–	–
ए0 आई0ई0 उ0प्रा0 स्तर	–	–	30	10	–	–
योग	–	50	117	10	–	–

केन्द्रों की स्थापना :–

शिक्षा की पहुँच के विस्तार हेतु जनपद फिरोजाबाद में निम्नांकित कार्यक्रम बनाये गये है। जनपद फिरोजाबाद मे निम्नलिखित बस्तियों मे ई0जी0एस0 केन्द्रो की स्थापना प्रस्तावित है -

सारणी--7.4

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्र
1	अराँव	1 नगला हीरामन 2. खेरिया 3. नगला ठार 4 नगला बीसा 5. नगला राई 6. नगला तुला 7. नगला हरिवंश 8. फकरपुर 9. सुमेरपुर 10. नगलाधुले 11.नगला कोठी
2	एका	1. पहाड़पुर 2.भूड़गट्ठा 3.नगला मिर्जा 4. सुनारी 5.कुचलपुरा 6 नगला रजीत 7. छीतली 8. श्यामपुर 9.तेजपुर 10.नगला बनिया 11. उलायतपुर
3	जसराना	1. नगला पदम 2. मोहम्मदपुर 3.नगला मानसिंह 4. नगला लखपति 5.नगला तुर्सी 6. नगला मेंहदी 7.नगला जरेला 8. नगला पीपल 9.हरिदासपुर 10. नगला काश 11. नगला खंदारी 12 नगला केहरी 13.नगला मानसिंह
4	खैरगढ़	1.सूखपुरा 2 नगिपुरा 3 सूखना 4 नगला मुखराम 5 नगला हरविजिया
5	मदनपुर	1 ऐमा लखनई 2. नगला चतुर्भुज 3. नगला पंचक 4.,ठार मगल 5. पथरी वाहा 6. महकेपुरा 7. मुलाकापुरा
6	शिकोहाबाद	1. नगला उमराम 2. नगला भाट 3. मेवली 4. नौरंगी घाट 5. कल्यानपुर 6. नगला बंजारा
7	फिरोजाबाद	1 बिहारी पुर 2. ठार पीताम्बर 3. लाल बैग 4. नकटपुरा 5. कमराक 6 नगला आशा 7. नगला दमा 8. ठैका 9. पुरा उमराव 10 सतकार्ड 11. ताडीवाली बगिया 12. नगला पिपरिया 13 ठार पूठा 14.छोटालालपुर 15. हजीरा 16. नारायण नगर 17. अम्बेडकर पार्क 18 ठार मानसिंह(भाजीपुर) 19 किशनदारा का पुरा 20. ठार मानसिंह
8	टूण्डला	1 नगल शिवलाल 2 नगला कुआं 3 ठार बंजारा 4 बालापुर 5. ना0 मीरो 6 ना0 आम 7 गढ़ी साहब 8 जटई 9 ना0 कदम 10 गढ़ी बादशाह 11 निवाजपुर 12 ना0पूरी 13 रापापुर 14 ना0बरी 15 ना0प्रेम 16 गुंजिल 17 नगुरपुरा
9	नारखी	1 गढ़ी तारा 2 ना0 हिम्मत 3 नगरिया पद्म 4 नगरिया पचम 5 महोपुरा 6 नगरिया बुजा 7 खुशालपुरा 8. नगला तोताराम 9 गढ़ी उदी 10. कुकरपुर 11. परीक्षातपुर 12. शामपुर 13 टापा फेक 14. इसनपुर 15. जारिया 16. भरतपुरा

शिक्षा केन्द्र की स्थापना

विभिन्न कारणों से बच्चे बीच में विद्यालय जाना बन्द कर देते है। फिरोजाबाद में बाल श्रम की समस्या और उबाऊ विद्यालयी माहौल के कारण यह समस्या ज्यादा ही विकट है। इस समस्या से निपटने के लिये नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाने की योजना है। विकास खण्ड वार ये केन्द्र निम्नलिखित है –

सारणी--7.5

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित शिक्षा केन्द्र
1	अरॉव	1. इब्राहीमपुर 2. नगला वाले 3. खेरिया 4. सहजनी
2	एका	1. नगला अचल 2. नगला केवल 3. नगला दयाराम 4. विरामपुर 5. मकरसों 6.गीगना 6. गोछपुर
3	जसराना	1. धीमरी 2. नगला धमन 3. नगला किन्नर 4. वछामई 5. नगला झील 6. नगला हंसराम
4	खैरगढ़	शून्य
5	मदनपुर	1. नगला लोकमन 2. नगला केहरी 3. नगला उखेराज 4. नगला भदोरिया 5. मुवारकपुर 6. कांधउ
6	शिकोहाबाद	1. नगला प्रभु 2 ब्रहमावाद 3. घाघउ पट्टी 4. नगला भोला 5. नगला कन्हई
7	फिरोजाबाद	1. जोनपाई 2. नगला चिरोंजी 3. शंकरपुर 4. गढ़ी छत्रपति 5. अकवरपुर 6. खेमकरनपुर 7. नगला मोती 8. नगला गुलरिया 9.वॉसठ 10. रुपवासपुर 11. दाईपुर 12. खडेरिया 13. खेरा 14. नरगापुर की नारः 15 प्रकाशनगर 16. नगला गोकुल
8	टूण्डला	1. ठार तुलसी 2. नगला सोना 3. गाढे 4. नगला दुलई 5. गढी वादशाह 6. डेरा वंजारा 7. गढी दयाराम 8. वैसपुरा 9. तारानगर
9	नारखी	1. नगला चोखे 2. पानसहाय 3. गढी कोठी 4. मिलिक 5. रामगढी 6. नगला गोजी 7. डेरा बंजारा 8. नगला नारायण 9. नगला अखई 10. मोहम्मदपुर

6 से 14 वयवर्ग के लिये ज्ञानशाला –

सारणी--7.6

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित शिक्षा केन्द्र
1	अरॉव	1 दरिगापुर 2. रुधेमई 3.कुंजपुर हवेली 4. पीथेपुर 5. गयामई 6. मसाहतपुर
2	एका	1. नगला गोकुल 2. कोठरा 3. ईखू 4. कछुआई 5. गुहाना
3	जसराना	1. खेरिया 2. नगला ऑकल 3. छुआपुर 4. आवू 5. मलिकपुर 6 नगला सागंती 7. नगला रंजीम 8. नगला पदमन 9. नगला मदना 10. अल्लापुर 11. नगला रांजे 12. फतेहपुर नारायण 13. नगला किशनी

4.	खैरगढ	1. नन्दपुर 2. खरगपुर 3. दयामई 4. नया बाँस 5. साँथी 6. अगोधा
5.	मदनपुर	1. नगला गुमानी 2. नगला सिधमन 3. नगला परिहार 4. नगला धनपाल 5. नगला हिमायूँ
6.	शिकोहाबाद	1. 1- 1. नगला काश 2. मोहिमीपुर 3. नगला पिपरानी 4. लाजपुर 5. रसूलपुर 6. जाफराबाद 7. नगला राधे
7.	फिरोजाबाद	1. अलीनगर कैंजरा 2. उसायनी 3. खगरई 4. आजमपुर जारखी 5. नागऊ 6. लहुरी 7. मटामई 8. बजीरपुर 9.आसफाबाद 10. जलालपुर 11. अलहदादपुर
8.	टूण्डला	2. 1. नगला शिवलाल 2. नगला छेकुर 3. नगला कदम 4. अलावलपुर 5. नगला खरगा 6. मोती गढ़ी 7. नगला धूरी
9.	नारखी	शून्य

ब्रिज कोर्स केम्प :-

पैतृक व्यवसाय एवं बाल श्रमिकों की संख्या की अधिकता के कारण जनपद में ब्रिज कोर्स आयोजित कर ड्राप आऊट एवं विद्यालय नही जाने वाले अधिक उम्र के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोडा जायेगा।

उपरोक्त कैम्प 6 माह के लिए ग्रीष्म कालीन अवकाश में लगयें जायेगे तो कि इन केम्पो से निकले बच्चों को अगले सत्र में औपचारिक विद्यालयों से जोडा जा सके। आवश्यकतानुसार अन्य आगामी सत्रों में ये कैम्प आयोजित होते रहेंगे।

सारणी-7.7

वर्ष	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	
ब्रिज कोर्स केम्प	....	1	2	2	2	2	—

प्रतिवर्ष 2 ब्रिज कोर्स केम्पो का आयोजन प्रस्तावित है ताकि कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न हो । इन ब्रिज कोर्स केम्पो मे कामकाजी लड़कियों व किसी कारणवश शिक्षा से वंचित बालक /बालिकाओं को इनकी परधि मे लाया जायेगा ।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प):

समर कैम्प का प्रमुख उद्देश्य शाला त्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह शिविर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिये ही चलाये जाने है। शिविरों का संचालन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके है और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये है, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक; प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी, इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो कि विद्यालय से बाहर रहे है और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे है और शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमन्त्रित किया जायेगा. और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा।

जनपद में 120 समर कैम्पों का आयोजना बस्तियों के निकटस्थ विद्यालयों में कराने का प्रस्ताव है। जिसको वर्ष 2002-03 में 50 तथा 2003-04 में 70 संचालित किये जायेगें। प्रत्येक में प्रति भागियों की संख्या 40 होगी।

मकतबों का सुदृढ़ीकरण:-

जनपद के शहरी क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में 9 मक्तब/मदरसे संचालित हैं इन मक्तबों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनके सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

EGS एवं AIE केन्द्रों की स्थापना की प्रक्रिया :-

ये केन्द्र ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चयनित स्थान पर खोले जायेगें जहाँ विधालय नही जाने वाले 25 या 30 बच्चे उपलब्ध होंगे। स्थान एवं कक्ष की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा ग्राम या बस्ती के ऐसे स्थान पर सभी बच्चे आ सकें व किसी वर्ग समुदाय के लोगों को आपत्ति न हो।

आचार्य एवं अनुदेशकों की नियुक्ति / चयन की प्रक्रिया :-

यह आवश्यक है कि केन्द्र स्थापित करना है यथा संभव अनुदेशक एवं आचार्य उसी स्थान का निवासी हो। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ई.जी.एस. के लिए हाईस्कूल एवं उच्च प्राथमिक वैकल्पिक केन्द्रों के लिए स्नातक होगी, स्नातक न होने पर इंटर पास महिला को वरीयता दी

आचार्य/अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर परीक्षा के अंकों के प्रतिशत का ध्यान रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। नियुक्ति पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिया जायेगा।

<u>आचार्य एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण :-</u> एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 द्वारा विकसित माड्यूल के अनुसार डायट पर 30 दिनों का प्रशिक्षण होगा । उच्च प्राथमिक का प्रशिक्षण 40 दिनों का होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त उनको नियुक्ति पत्र दिया। प्रशिक्षण मे पूरे समय भाग न लेने या असत्य होने पर नियुक्ति पत्र देय नहीं होगा।

<u>शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था :-</u>

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज - सज्जा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते मे स्थानान्तरित की जायगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सभी अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जायेगी।

<u>केन्द्रों के संचालन हेतु आनुषंगिक व्यय का प्रावधान :-</u>

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा शिक्षा केन्द्रो के सचालन हेतु अनुदेशक को प्राथमिक स्तर पर रु 1000 प्रतिमाह प्रति अनुदेशक को प्राथमिक केन्द के अनुदेशक को 2000 रु प्रतिमाह दो अनुदेशकों के लिए दिया जायेगा। इसी प्रकार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक केन्द्र के अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 1500 रु एवं 4000 रु दिया जायेगा। केन्द्रों के शिक्षण सामग्री के लिये प्रति प्रथमिक 1100 रु एव उच्च प्राथमिक के लिये 1200 रु दिया जायेगा। प्राथमिक केन्द्रों के कंटीजेंसी के लिए प्राथमिक स्तर पर 469 रु प्रतिकेन्द 500 रु प्रति अपर प्रथमिक केन्द्र दिया जायेगा। उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड स्तर के प्रबंधन पर व्यय सम्मिलित है।

<u>पर्यवेक्षण की व्यवस्था :-</u>

<u>पर्यवेक्षण हेतु मानक तथा पर्यवेक्षण की प्रणाली :-</u>

1 ग्राम शिक्षा समिति के सद !	- प्रतिदिन
2 बी आर सी समन्वयक	-- 10 केन्द्र प्रतिमाह
3 संकुल प्रभारी	– सप्ताह मे सभी विद्यालय
4 डी / ए0बी0एस0ए0	5 केन्द्र प्रतिमाह
5 विकास खण्ड अधिकारी	5 केन्द्र प्रतिमाह
6 जिला प्रशासन शिक्षा अधिकारी	5 केन्द्र प्रतिमाह
जिला प्रशासन	2 केन्द्र प्रतिमाह
सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक	2 केन्द्र प्रतिमाह

शिक्षार्थियों का मूल्यांकन एवं मुख्य धारा मे शामिल करने की व्यवस्था :-

शिक्षार्थी व अनुदेशक दोनो का मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिये। मूल्यांकन हेतु प्रपत्र का निर्धारण होना चाहिये । मूल्यांकन मे यह देखना है कि शिक्षार्थी मुख्यधारा की किस कक्षा मे जाने की योग्यता को प्राप्त कर चुका है। उसे उस कक्षा को मुख्य धारा मे जाने के लिये उपलब्ध निकटत्तम औपचारिक विद्यालय मे नामांकित कराना है। नामांकन किसी भी माह मे हो सकता है। अनुदेशक का मूल्यांकन उसके प्रतिदिन के कार्य ड्रॉप आउट बच्चो की केन्द्र पर उपस्थिति व रुचिपूर्ण शिक्षण के माध्यम से बच्चो का ठहराव व उन्हे मुख्य धारा से जोडने आधार पर किया जायगा।

अनुश्रवण की व्यवस्था :-

प्रत्येक केन्द्र के [illegible]

स्थल का रख रखाव, सामुदायिक सहभागिता, निरीक्षण, मूल्यांकन तथा उनकी अन्य कठिनाइयों, बैठकों के आंकणों का संकलन मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक बैठकों में खण्ड स्तर पर किया जायेगा। प्रधान, बी.डी.सी सदस्य, ब्लाक प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को संचालित केन्द्रों की सूची अनुदेशक के नाम, स्थल व समय के उल्लेखों के साथ अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी ताकि पारदार्शिता बनी रहे और उनका सहयोग भी लिया जा सके।

उस क्षेत्र के निकवर्ती विद्यालय में बाहर बोर्ड पर केन्द्र का नाम अनुदेशक का नाम समय व स्थान अंकित किया जायेगा जिससे जनसमुदाय को संपूर्ण जानकारी रहे।

परिवार सर्वेक्षण आंकणों का अध्यावधिकरण सूक्ष्म नियोजन के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6–11 व 11–14 वय वर्ग के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर विद्यालय के बाहर के बच्चों को चिन्हित किया जाता है। कम वय व अति वय वर्ग के बच्चों को भी चिन्हित कर मुख्य धारा से जोडा जाता है।

अध्याय-8

ठहराव मे वृद्धि कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में विगत चार वर्षो में विद्यालयों के बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये। योजना आंरम्भ करते समय जनपद में शाला त्याग की दर 79.14 प्रतिशत थी जो 2000-2001में सर्वशिक्षा अभियान में किए गये इ.एम.आई.एस. डाटा के अनुसार 38.7: रह गयी है परन्तु अभी भी शाला त्याग की दर बहुत अधिक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शाला त्याग की दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए गये। जनपद के 890 विद्यालयों में हैण्डपाइप लगवाये गये और 902 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय बनवाये गये। बढ़ते हुए छात्र नामांकन को देखते हुए 169 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाये गये। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के पश्चात परिषदीय प्राथमिक वि0 के अध्यापकों को तीन बार किया आधारित बाल केन्द्रित प्रशिक्षण दिया गया। ठहराव हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिए 514 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको को विज्ञान, गणित एवं आम्लभाषा का बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। परन्तु अन्य विषयों में प्रशिक्षण नहीं हो पाया। प्राथमिक स्तर पर अनु0 जाति, अनु0 जनजाति के बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं अनु0 जाति, जनजाति,पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रो छात्र वृत्तियॉं दी जा रही है। इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय में ठहराव वृद्धि के अनेको प्रयास किए गये। उपरियुक्त प्रयासों के बावजूद अभी भी शाला त्याग की दर बहुत अधिक है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा शत प्रतिशत विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से युक्त हो।

विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण

जनपद में जर्जर विद्यालयों की संख्या 34 है। जिसमें 23 प्राथमिक तथा 11 उच्च प्राथमिक है। इन विद्यालयों की कक्षाऐं या तो पेड़ नीचे लगती है या खुले मैदान में जिसके कारण सामान्यतया बच्चे मध्यावकाश के बाद वापस नहीं आते साथ ही साथ कुछ महीनो तक अध्ययन करने के पश्चात् बच्चे विद्यालय आना बन्द कर देते है। जिससे ड्राप आऊट में वृद्धि होती है जिसे रोकने के लिए 34 विद्यालयों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष:-

वर्तमान में जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में कुल कक्षा कक्षों की संख्या 2115 है। प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्षा कक्ष का मानक पूरा करने हेतु प्रभावी नामाकंन के अनुसार 40:1 मानक में 2001-2002 में 4235 [illegible] की आवश्यकता होगी। अस्तु वांछित कक्षा कक्ष प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक होगें जिन्हे निम्न सारणी के अनुसार पूरा कराया जायेगा।

सारणी 8.1

वर्ष	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
संख्या प्रा0वि	--	176	511	650	115	218	–	–	—
संख्या उ.प्रा.वि	—	-	-	-	-	-	-	-	-

शौचालय

वर्तमान में विद्यालय शौचालय युक्त करने के लिए 86 शौचालय बनाया जाना प्रस्तावित है। जिन्हे 2004-2005 में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है:-

सारणी 8.4

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
संख्या			40	46

हैण्डपम्प

यद्यपि डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 890 हैण्डपम्प लगवाये गये परन्तु फिर भी 21 उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल सुविधा से वंचित हैं जिनके कारण इन विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति नहीं हो पाती।

सारणी 8.5

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
संख्या			

चाहारदीवारी

विद्यालयों का सुन्दरीकरण बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करता है। विद्यालय बागवानी तथा विद्यालय सामाग्री की सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी की नितान्त आवश्यकता है। चाहरदीवारी होने से विद्यालय भूमि का अतिक्रमण भी रूकता है जनपद में 90 से भी अधिक विद्यालय चाहारदीवारी विहीन है। निम्न तालिका अनुसार 743 विद्यालय प्राथमिक एवं 113 उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहारदीवारी विहीन है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चाहारदीवारी का प्रस्ताव नहीं किया गया।

सारणी 8.6

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
संख्या						

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रूपया 40,000 से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी।

भवन मरम्मत

विद्यालय भवन का रखरखाव ग्राम शिक्षा समिति के ऊपर निर्भर है। साधन के अभाव के कारण ग्राम शिक्षा समितियां अपेक्षित सहयोग नही दे पा रही हैं। दस वर्ष से पूर्व निर्मित विद्यालयों की मरम्मत की आवश्यकता पड रही है। 126 प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत एवं 25 विद्यालय लघु मरम्मत हेतु चिन्हांकित किये गये हैं। 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय मरम्मत एवं 7 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत हेतु चिन्हांकित किये गये हैं।

लघु मरम्मत हेतु 20,000 रूपये की दर से एवं वृहत मरम्मत हेतु 70,000 रूपये की धनराशि दी जायेगी।

लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का विवरण एवं मांग

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	उपलब्ध कक्षा–कक्षों की संख्या	प्रस्तावित	मांग
1	2003–04	1121	2112	3363	1251
2	2004–05	1121	2112	3363	500
3	2005–06	1121	2612	3363	500
4	2006–07	1121	3112	3363	251

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का विवरण एवं मांग

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	उपलब्ध कक्षा–कक्षों की संख्या	प्रस्तावित	मांग
1	2003–04	247	847	1235	388
2	2004–05	247	847	1235	188
3	2005–06	247	1035	1235	150
4	2006–07	247	1185	1235	50

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **प्राप्त होने** पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं** उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जांयेगा।**

उच्च प्र थमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

IROZABAD

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल वियालय	नवीन वियालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	7
1	2001-2002	181	0	905	422	483
2	2002 2003	181	50	1155	905	250
3	2003-2004	231	53	1420	1155	265
4	2004-2005	284	0	1420	1420	0
5	2005-2006	284	0	1420	1420	0
6	2006-2007	284	0	1420	1420	0
7	2007-2008	284	0	1420	1420	0
8	2008-2009	284	0	1420	1420	0
9	2009-2010	284	0	1420	1420	0

FIROZABAD

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल वियालय	नवीन वियालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	SSA में प्रस्ता.
	1	2	3	4	5	6
1	2001-2002	181	0	724	626	0
2	2002-2003	181	50	924	724	0
3	2003-2004	231	53	1136	924	0
4	2004-2005	284	0	1136	1136	0
5	2005-2006	284	0	1136	1136	0
6	2006-2007	284	0	1136	1136	0
7	2007-2008	284	0	1136	1136	0
8	2008-2009	284	0	1136	1136	0
9	2009-2010	284	0	1136	1136	0

उपरोक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों शिक्षामित्रों की मांग

प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ते हुए नामांकन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों की मांग प्रस्तावित है। यह आंकलन छात्र अध्यापक अनुपात 40:1 करने हेतु की गयी है। इन शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का प्राविधान है प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों का वर्षवार लक्ष्य इस प्रकार है।

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		परिषदीय छात्र	सहायता प्राप्त	योग
2003–2004	134075	38051	0	38051
2004–2005	136231	48190	3000	51190
2005–2006	138819	58132	3100	61232
2006–2007	140394	59129	3333	62247

परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक एवं शिक्षामित्र की उपलब्धता एवं मांग

वर्ष	परिषदीय विद्यालयो में छात्र संख्या	वर्तमान शिक्षकों की संख्या	वर्तमान में शिक्षामित्रों की संख्या	योग	1:40 के औसत से शिक्षक/ शिक्षा मित्रों की आवश्यकता	मांग		
						कुल आव–श्यकता	शिक्षक	शिक्षा मित्र
2003–04	213453	2940	876	3814	5336	1522	761	
2004–05	217786	3701	1635	5336	5444	108	54	815
2005–06	222207	3755	1689	5444	5555	111	55	56
2006–07	226717	3810	1745	5555	5667	112	56	56

वर्ष	2001 02	2002-03	2003-04	2004 05	2005 06	2006 07
लघुमरम्मत	-	0	-		-	
वृहत् मरम्मत	-	0	46	-	-	-

विधालय विकास अनुदान

विधालयों में होने वाले सामान्य व्यय जैसे चाक , डस्टर की व्यवस्था स्टेशनरी विधालय अभिलेखों हेतु रजिस्टर तथा अन्य अल्प व्यय के लिए रूपया 2000 प्रति विधालय की दर से धनराशि की मॉग की गयी है। तथा उनके रखरखाव हेतु 5000 रू. प्रति विधालय की व्यवस्था प्रस्तावित है यह सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर यह डी.पी.ई.पी. योजना समाप्त होने के बाद दी जायेगी।

बालिका शिक्षा

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 की कुल साक्षरता 57.3: है जिसमें महिला साक्षरता दर 52.98:, जबकि पुरूष साक्षरता 70.23: पायी गयी है। जनपद फिरोजाबाद की कुल साक्षरता 66.53: जिसमें महिला साक्षरता 53.02: जबकि पुरूष साक्षरता 77.81: रही। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा मे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदनुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये गये और जो अभी भी चल रहे है।

साक्षरता तथा नामांकन दोनो दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना मे पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहॉं की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अत: बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत् प्रतिशत करने के साथ-साथ सभी वर्ग की शत् प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी 100 प्रतिशत करना है।

नामांकन हेतु चलाए गये विभिन्न अभियानों और गॉव स्तर पर बैठक में कर आई है जिसके समाधान के लिए बालिकाओं को विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान आवश्यक है। फिरोजाबाद जनपद में सत्र 2000-01 में की गयी बाल गणना के अनुसार बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीतियॉं प्रस्तावित है।

बालिकाओं में ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एव प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ:

ऐसे गॉव जहॉं प्राथमिक विधालय है उस गॉव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल

ऐसे गाव। मजरे जो विधालय से कुछ दूरी पर होगें वहॉं बालिकाओं की विधालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल की स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र। विधा केन्द्र तथा विधालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगें।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन:

बच्चों की विधालय मे उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गॉव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे विधालय मे कम उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोडी देर तक रूक कर नारे लगाकर बच्चे को विधालय आने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

बच्चो की उपस्थिति के प्रति अभिभावको एवं बच्चो को सचेत करने के लिए बच्चो को हरा, पीला एवं लाल निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

माह में 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति - हरा निशान
माह में 14 दिन या 7 दिन से अधिक उपस्थिति - पीला निशान
माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति - लाल निशान

बच्चो तथा अभिभावको को बच्चो के मिले निशान से अवगत कराया जायेगा। तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय सम्पर्क की बैठको में चर्चा किया जायेगा। बच्चो को रिबन से बने बेज प्रदान किये जायेंगे।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावको की बैठक में छात्रो की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चो के अभिभावको को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रांत समारोह में गाँव के समस्त अभिभावको को बुलाकर ऐसे बच्चो तथा अभिभावको को प्रोत्साहित करे। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं सत्रांत समारोह में अगले सत्र के लिए बच्चो का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोहर्ट स्टडी :-

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयो में पिछले पांच वर्षों का शालात्याग दर रजि0 से निकालकर ऐसे बच्चो को सूची बद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोडा है ऐसे बच्चो के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरो के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर :

ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहां न्यूनतम 40 बालिकायें शालात्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमे 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

वर्ष	2001-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	10-11
शिक्षकों की सख्या	–	10	10	10	10	10	–	–	–

बेटी हो स्कूल में कला जत्था अभियान :-

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलाजत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकाएं बीच में विद्यालय न छोड दे यह सुनिश्चित करने के लिए बेटी हो स्कूल में कलाजत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमे स्थानीय कलाकारो को प्रशिक्षित कर गाँव-गाँव में नाटको की प्रस्तुतिया की जायेगी यह अभियान ऐसे गाँव मे चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शालात्याग दर अधिकतम है।

शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चो/ बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड देने के कारणो उनके निराकरणो तथा उपायो/ उपक्रमों पर चर्चा/ अभ्यासकर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव-

करके सीखने की शिक्षा के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अर्न्तगत खिलौने बनाना, कला शिक्षण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई बुनाई की शिक्षा के

साथा-साथ स्थानीय ... आओ कच्चे ... की ... के आधार पर टोकरियां, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान ... की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि पशुपालन, पुस्तक कला आदि से सम्बन्धित ... ज्ञान, अनुभव ... कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्य कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित है इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर के शिक्षा की व्यवस्था की गयी है जो बालिकाओं के लिये रोजगारपरक होगा ... लक्ष्य निम्न है।

वर्ष	2001-02	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-

माडल क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच

एम.सी.डी.ए. के अन्तर्गत जिन न्याय पंचायतों बालिका शिक्षा दर न्यून है को प्राथमिकता देते हुये यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा इसका वर्षवार लक्ष्य निम्न है:

वर्ष	2001-02	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
न्याय पंचायतों की संख्या	,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	—

कार्यक्रम

जन जागरण आह्वान – जनपद फिरोजाबाद में 6-14 वय वर्ग की 24,102 बालिकायें है जो अभी भी औपचारिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जो जागरण अभियान चलाये जायेंगे विशेषकर विकास खण्ड फिरोजाबाद, नारखी, खैरगढ़, एका ऐसे है जहाँ पर बालिकाएं घरों में कांच की चूड़िया खिलाने बनाती है इनमे माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह ... बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा इसके अन्तर्गत प्रभात फेरिया, जुलूस तथा पोस्टर तथा नारों का लेखन जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा ... मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु ... समर्थन कार्यक्रम

समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे महिला ... समूहों, माता ... समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण, जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण

11-14 वय वर्ग की ऐसी बालिकायें जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी है परन्तु बालकों के साथ ... उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके माता पिता तैयार नहीं हो रहे है उनके लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे

बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीति :-

जनपद ... अत्यन्त पिछड़े एवं सुदूरवर्ती ... विकासखण्डों न्याय पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण

जनपद फिरोजाबाद में 3-6 वय वर्ग के बच्चों के लिए बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, ई.सी.सी.ई. तथा आई.सी.डी.एस. केन्द्र ... इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और इन्द्रियों के विकास के लिए शिक्षा दी जायेगी इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:

... छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगी बालिकाओं को मुक्त कर विद्यालय तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

2. 3-6 आयु के प्रथम पीढ़ी के बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना
3. उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओ की देखभाल के लिए माताओं को योग्य बनाना। 11-18 वर्ग की किशोरी बालिकाओ चयन एवं उन्हे आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवायें प्रदान करना।
इन केन्द्रो में पूरक पोषाहार, टीकाकरण ,स्वास्थ्य जांच ,सन्दर्भ सेवाये ,महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा दी जायगी जहां 3-6 वय वर्ग के बच्चो को विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं सामाजिक बौद्धिक भावनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेंगे सामान्यतया इसमें 3-6 वर्ष के बच्चे 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलायें और किशोरियां लाभान्वित होती है।

बालिका शाला त्यागी दर एवं प्रतिशत

सारणी 8.8

ब्लाक का नाम	प्रतिशत दर	कुल दर
01 अरॉव	25.6	33.4
02 एका	32.[illegible]	36.2
03 जसराना	34.[illegible]	38.5
04 कोटला	2[illegible]	30.1
05 मदनपुर	25.[illegible]	33.2
06 शिकोहाबाद	24.6	24.6
07 फिरोजाबाद	28.5	36.1
08 टूण्डला	26.4	34.2
09 नारखी	31.3	30.3
10 नगर क्षेत्र शिकोहाबाद	17.[illegible]	25.2
11 नगर क्षेत्र फिरोजाबाद	1[illegible]	22.3

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एव एस.एस.ए के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा मे कम्प्यूटर के उपयोग किये जाने से अधिक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर जहाँ लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10-10 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/- रु. व्यय किये जायेंगे।

वर्षवार	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
कम्प्यूटर हेतु उ.प्रा. विद्यालयों की संख्या	-	—	[illegible]	5	5	5	-	-	-

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार--प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता सवंर्धन कार्यक्रम :-

समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगें महिला प्रेरक समूहो , माता शिक्षा समूहो का गठन एव प्रशिक्षण , जनपद के समस्त विद्यालयो के सेवारत अध्यापको का बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण

11–14 वय वर्ग की ऐसी बालिकाये जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी है परन्तु बालको के साथ बैठकर उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके माता पिता तैयार नही हो रहे है उनके लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जायेगें ।

बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीति :-

जनपद के अत्यन्त पिछडे एव सुदूरवर्ती क्षेत्रो , विकासखण्डो न्याय पंचायतो एंव ग्राम सभाओ मे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे ।

शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना तथा सुदृढीकरण :-

जनपद फिरोजाबाद मे 3–6 वय वर्ग के बच्चो के लिए बालवाडी ,आँगनबाडी, ई सी सी ई तथा आई.सी. डी.एस. केन्द्र चल रहे है इस स्तर पर बच्चो के शारीरिक ,मानसिक और इन्द्रियो के विकास के लिए शिक्षा दी जायेगी इनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।

1 छोटे भाई बहनो की देखरेख मे लगी बालिकाओ को मुक्त कर विद्यालय तक लाना एव प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

2. 3–6 आयु के प्रथम पीढी के बच्चो को स्कूल पूर्व तैयारी विषयक गतिविधिया उपलब्ध कराना।

3 उचित पोषण आहार एव स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चो के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओ की देखरेख के लिए माताओ को योग्य बनाना। 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओ चयन एंव उन्हे आँगनवाडी केन्द्र की सेवाये प्रदान करना।

इन केन्द्रो मे पूरक पोषाहार, टीकाकरण ,स्वास्थ्य जाँच ,सन्दर्भ सेवाये ,महिला एव बालविकास विभाग द्वारा दी जायेगी जबकि 3–6 वय वर्ग के बच्चो को विद्यालय पूर्व शिक्षा एंव सामाजिक बौद्धिक भावनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेगें सामान्यतया इसमे 3–6 वर्ष के बच्चे 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे गर्भवती तथा धात्री महिलाये और किशोरियाँ लाभान्वित होती है।

बालिका शाला त्यागी दर एव प्रतिशत

सारणी 6 6

ब्लाक का नाम	प्रतिशत दर	कुल दर
01 अरांव	25 6	33 4
02 एका	3[illegible]	36 7
03 जसराना	34 2	38 5
04 खैरगढ	22 2	30 1
05 मदनपुर	25 3	33 2
06 शिकोहाबाद	[illegible]	24 6
07 फिरोजाबाद	28 5	36 1
08 टूण्डला	26 4	34 2
09 नारखी	[illegible]	30 3
10 नगर क्षेत्र शिकोहाबाद	[illegible]	25 2
11 नगर क्षेत्र फिरोजाबाद	15 6	22 3

FIROZABAD -

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1	2001-2002	[illegible]	2803	0	2803	4236	1433
2	2002-2003	[illegible]	[illegible]	717	[illegible]	4765	529
3	2003-2004	213453	3784	981	4765	5336	571
4	2004-2005	[illegible]	4070	1266	5336?	5707	431
5	2005-2006	[illegible]	[illegible]	1482	5797?	5912?	115
6	2006-2007	239590?	4342	1540	5882	5999	117
7	2007-2008	244779?	4401	1598	5999	6119	120
8	2008-2009	249675	4461	1658	6119	6242	123
9	2009-2010	254668	4522	1720	6242	6367	125

क्रमांक	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा.वि. के शिक्षक (प.अ. + शिक्षा मित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षा मित्र
1	2001-2002	1433	76	678	579?	716?	717
2	2002-2003	529	150	190	189?	361?	991
3	2003-2004	571	200	186	185	1267	1266
4	2004-2005	431	0	215	216	1482	1482
5	2005-2006	115	0	57	58	[illegible]	1540
6	2006-2007	117	0	59	58?	1598	1596
7	2007-2008	120	0	60	60	1658	1658
8	2008-2009	123	0	61	62	1719	1720
9	2009-2010	125	0	62	63	1781	1783

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त शिक्षक तथा शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव निम्न है -

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
अति. शिक्षक	134	433	115	57	159
शिक्षा मित्र	134	432	116	57	159

समेकित शिक्षा–विशेष वर्ग की शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी 6–14 वय वर्ग के बच्चो की शिक्षा को सुनश्चित करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये और इन्हे शिक्षा के लिये सभी अवसर सुलभ कराये जाये जो सामान्य बच्चे को प्राप्त होते है। जिससे वे शिक्षा की मुख्य धारा से अपने को वंचित न समझें । इस बात को ध्यान में रखते हुये जनपद में विकलांग बच्चों की शिक्षा के सन्दर्भ मे निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है–

1. प्राथमिक विद्यालयों मे सामान्य बच्चों के साथ–साथ अल्प विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना ।
2. लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को सामान्य बच्चो के समान शिक्षा के अवसर सुलभ कराना ।
3. 6–14 वय वर्ग के बच्चों मे आत्म सम्मान एवं विश्वास विकसित करने के लिये विधालयों मे अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
4. समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति समुदाय में जनजागरण और संवेदनशीलता का विकास करना ।
5. स्वयंसेवी संगठनों को विकलांग शिक्षा से जोडने का प्रयास करना ।
6. शिक्षा अभिकर्मियों को विकलांग बच्चों की शिक्षा देने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयंसेवी संगठनो की सहभागिता:–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग, बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा मे सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनो का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहा है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनो द्वारा सामाजिक जागृति अभियान तथा शिक्षको का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षको के कौशल विकसित करने , छात्रों के स्वास्थय परीक्षण में अध्यापको को संसाधन एवं सहायता प्रदान करने मे सहयोग दिया जा सकता है। स्वयंसेवी संगठनो के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनो से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है। इन प्रस्तावो का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनो को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

उपर्युक्त लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये जनपद मे अपनाई जाने वाली कार्यनीति इस प्रकार होगी–

1. जिला एवं ब्लाक स्तर पर एक सन्दर्भ समूह तैयार किया जायेगा जिसे विकलांग बच्चो की शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. इस सन्दर्भ समूह द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक एवं अध्यापको को विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
3. ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय के लोगो मे इन बच्चो के प्रति संवेदनशीलता जागृत हो सके इसके लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे । सभी प्रकार के प्रशिक्षण में विकलांग बच्चो की शिक्षा के लिये एक माड्यूल जोड़ा जायेगा।
4. स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं और समाज कल्याण संस्थाओ का सहयोग लेकर विकलांग बच्चो का चिन्हीकरण किया जायेगा और निकटस्थ विधालयो मे भर्ती कराया जायेगा।

5. विकलांग बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके इसके लिये उन्हें आवश्यक उपकरण जैसे कैलीपर, सुनने की मशीन, चश्मे तथा अत्यावश्यक वस्तुओं को डाक्टर की सलाह के अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा।
6. विकलांग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा तथा उन्हे स्वस्थता कार्ड दिये जायेगें।

आवश्यक सहायता /उपकरण

क्र म	सहायता का प्रकार	अरॉव	शिको0	मदनपुर	अरसाना	एका	खैरगढ़	नारखी	फिरो0	टूण्डला	न0क्षे0 फिरो0	न0क्षे0 शिकोहाबाद
1	कंपोज	42	39	32	25	41	36	42	25	31	52	38
2	W/C & T/C	63	49	67	25	44	39	39	27	65	48	36
3	कैलिपर्स	49	69	52	26	51	56	42	32	49	36	42
4.	श्रवण यन्त्र	32	36	37	42	44	32	26	43	33	32	29
5	ब्रेल	11	13	22	20	09	18	21	18	21	19	21
6	विशिष्ट विद्यालय	64	45	38	24	15	24	32	42	32	42	36
7	विशिष्ट शिक्षक	64	45	54	24	17	23	46	41	45	46	45
8	गतिशील शिक्षक	18	13	16	46	27	11	23	16	18	28	19

समेकित शिक्षा हेतु त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेगें--

1 <u>मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण:-</u> इसमें जनपद स्तर पर प्रति ब्लाक 4 मास्टर ट्रेनर के हिसाब से ट्रेनर प्रशिक्षित किये जायेगें, जिनका प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा प्रशिक्षण की अवधि तथा चक्रों का निर्धारण विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार किया जायेगा।
2 <u>ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण:-</u> जनपद स्तर पर प्रशिक्षित चार मास्टर ट्रेनर द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। समेकित शिक्षा के अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित सहायक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3 <u>सम्वेदन शीलता का प्रशिक्षण :-</u>
विकलांग बच्चो के प्रति सम्वेदनशीलता का विकास करने हेतु दो दिवसीय सम्वेदन शीलता का विकास करने हेतु दो दिवसीय सम्वेदन शीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर पर चलाये जायेंगे, जिसमे ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो को प्रशिक्षित किया जायेगा।

<u>विश्लेषण:-</u>

विश्लेषण मे से तथ्य उभरकर सामने आये है कि अक्षम बच्चो की शिक्षा के संबध मे अनेक भ्रान्तियाँ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चो की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है।

विकलांग बच्चों को पढाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, केवल अध्यापक को कुछ बातो का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनकी विकलांगता असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुकी होती है।

समेकित शिक्षा कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण

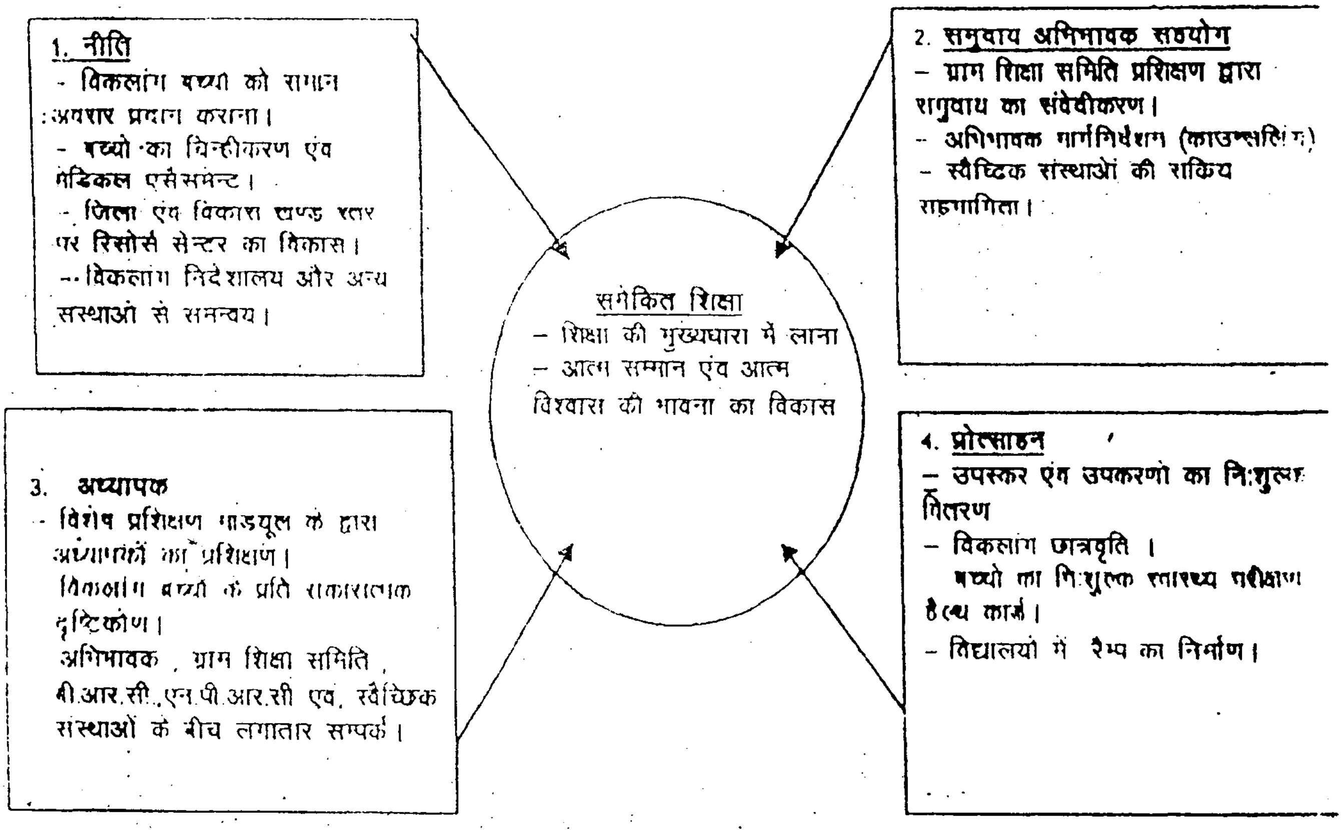

आवश्यकताएँ / कार्य योजना:–

समेकित शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रथम कारक संवेदीकरण है। संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। इस हेतु समुदाय , परिवार एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संवेदीकरण:–

1. समुदाय का संवेदीकरण:–

इसके अन्तर्गत जन समुदाय की भ्रान्तियों को दूर किया जायेगा , तथा उनमें विकलांगता के प्रति जागरुकता बढाया जायेगी साथ ही ऐसे बच्चों को स्कूलों में लाने के प्रेरित किया जायेगा।इस हेतु गोष्ठी , कार्यशाला एवं प्रचार के माध्यम का उपयोग किया जायेगा।

2. सामुहिक जनसम्पर्क करके परिवार का मार्गदर्शन किया जायेगा। विकलांगता अभिशाप नहीं है। हमें दया के बजाय सहयोग करने की भावना विकसित करनी चाहिए। जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

3. अध्यापकों का संवेदीकरण:--

इसके अन्तर्गत उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया जायेगा कि ऐसे बच्चों के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तथा कार्यशाला आयोजित की जायेगी। संवेदीकरण का मुख्य उद्देश्य दृष्टिकोण परिवर्तन का है।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :--

1 ब्लाक स्तर के चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य सफलताओं के बारे में अवगत कराया जायेगा। अंतरक्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास किया जायेगा। बैठक के माध्यम से जॉच दल का चुनाव किया जायेगा।

2. चिकित्सा दल चुने हुए स्कूल के अध्यापक-- अध्यापिका के साथ मिलकर छात्रों की जॉच पर विचार-विमर्श कर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से किया जायेगा।

3 तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा चुने जायेगे।

4 बच्चों के स्वास्थ्य रिपोर्ट की रिकार्डिंग सत्यापित की जायेगी।

5 विकलांग बच्चों का चिन्हांकन किया जायेगा।

उपकरण एवं उपस्कर :--

सक्षम बच्चों की विकलांगता प्रमाणपत्र, उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने तथा उपलब्ध कराने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोपेडिक सर्जन एक ई०एन०टी० डाक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल असेसमेंट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जायेगी। इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा।

1 क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, सरोजनी नगर, लखनऊ

2 राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून

3 मगजम, ए-445, इंदिरा नगर लखनऊ

4 विकलांग जन संस्थान, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग नई दिल्ली- 110002

5 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद

अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का विन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा। सक्षम विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

शिक्षकों के लिए साहित्य सामग्री का विकास :--

शिक्षकों के लिए साहित्य का मुद्रण कराया जाएगा जिसमें शिक्षकों के लिये हस्त पुस्तिका व विभिन्न विकलांगताओं जैसे दृष्टि, श्रवण, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डरों का मुद्रण कराया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता की जानकारी पर बल दिया जायेगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा।

1 विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आकलन।

2 विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।

3 इन बच्चों के समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।

4 कक्षा बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन।

5 विकलांग बच्चो के आवश्यकताओं के सम्बंध में अन्य बच्चों मे जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयं सेवी संस्थाओ की भागीदारी :-

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वय सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकताओ वाले बच्चो की शिक्षा के लिए कार्य कर रही है और निम्न पात्रताऐं रखती हो।

1 संस्था / सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अर्न्तगत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो ।

2 संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र मे विशेषज्ञ की उपलब्धता।

3 विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

4 संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अर्न्तगत पंजीकृत हो।

विकलांग बच्चों की सर्वेक्षण आख्या

जनपद का नाम :- फिरोजाबाद

क्र०	विकास खण्ड नाम	बालक	बालिका	कुल	0–3 बालक	0–3 बालिका	3–6 बा	3–6 बालि	6–11 बा	6–11 बालि	11–14 बा	11–14 बालि	विद्यालय में बा	विद्यालय में बालि	विद्यालय से बाहर बा	विद्यालय से बाहर बालि	दृष्टि बा	दृष्टि बालि	अस्थि बा	अस्थि बालि	श्रवण एवं वाणी बा	श्रवण एवं वाणी बालि	मानसिक बा	मानसिक बालि	अन्य बा
1	फिरोजाबाद	[illegible]	197	407	03	[illegible]	05	07	118	95	83	90	172	129	29	59	34	39	87	86	39	35	[illegible]	40	[illegible]
2	शिकोहाबाद	[illegible]	206	476	02	[illegible]	03	05	134	117	131	76	189	127	76	66	39	32	107	85	43	37	[illegible]	36	[illegible]
3	टूण्डला	[illegible]	[illegible]	343	--	[illegible]	04	02	[illegible]	72	[illegible]	92	134	122	38	42	[illegible]	21	91	72	22	27	41	34	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01		07	05	97	75	[illegible]	95	139	124	34	50	26	[illegible]	[illegible]	85	22	31	36	32	04
5	जसराना	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--		03	05	63	[illegible]	[illegible]	77	131	[illegible]	34	50	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	29	[illegible]	33	11
6	मदनपुर	[illegible]	[illegible]	374	08	[illegible]	--	06	93	[illegible]	[illegible]	90	137	134	36	69	21	31	91	85	22	36	[illegible]	37	02
7	अरांव	230	208	435	--	--	04	03	122	113	104	92	177	130	49	75	23	34	121	87	41	39		38	10
8	नारखी	[illegible]	180	362	--	[illegible]	02	01	107	90	[illegible]	86	136	121	44	55	30	23	84	90	33	20	38	43	04
9	एका	[illegible]	145	301	02	[illegible]	11	06	81	70	61	69	128	086	14	51	14	11	76	79	28	29	27	20	10
10	न० क्षे० फि०	[illegible]	131	269	03	[illegible]	03	06	56	52	[illegible]	62	124	089	03	35	[illegible]	09	63	[illegible]	26	32	25	11	[illegible]
11	न० क्षे० शि०	[illegible]	135	279	-	[illegible]	09	[illegible]	70	[illegible]	52	54	103	[illegible]	29	35	[illegible]	14	52	[illegible]	30	26	26	30	[illegible]
	योग	2035	1915	3950	15	15	59	57	1057	955	905	886	1570	1255	391	577	251	251	937	[illegible]	343	341	395	354	[illegible]

अध्याय–9

गुणवत्ता सम्बर्धन

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम फेज–II के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद का चयन अन्य 15 जनपदों (जो बाद में पुर्नगठन के बाद 18 हो गये) के साथ किया गया था। परियोजनावधि सितम्बर 1997 से 31 दिसम्बर 2002 है। जनपद फिरोजाबाद को छोड़कर अन्य जनपदों का चयन न्यून महिला साक्षरता दर (राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 29.2% के सापेक्ष) के आधार पर हुआ था जबकि जनपद फिरोजाबाद का चयन यहाँ के काँच उद्योग में बालश्रमिकों के अधिसंख्यक संलग्नता के आधार पर किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों यथा–

- लिंग तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच नामांकन, शालात्यागी (ड्रापआउट) और अधिगम सम्प्रति के अन्तर को 5% तक कम करना
- प्राथमिक स्तर पर समस्त शालात्यागी बच्चों की दर 10% तक कम करना
- भाषा तथा गणित की दक्षताओं में 25% तथा अन्य विषयों की दक्षताओं की समप्राप्ति में औसतन 40% तक वृद्धि लाना
- औपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा सभी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था

के सन्दर्भ में सर्वप्रथम वर्ष 1997 में जनपद फिरोजाबाद का बेस लाइन अध्ययन सर्वेक्षण (B.S.A.) सम्पन्न कराया गया और आँकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त प्राप्त निष्कर्षों उपरान्त व्यापक सेवारत प्रशिक्षण प्रारम्भ हुए। ब्लाक स्तर पर संसाधन केन्द्र समन्वयक/सहसमन्वयक तथा न्यायपंचायत स्तर पर न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक का चयन। नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाकर की गई। आशय शिक्षकों को उनके कार्यस्थल पर ही सहयोग और शैक्षिक अनुसमर्थन हेतु योजनान्तर्गत शक्तीकरण किया जाना था। बी.आर.सी. समन्वयकों/सहसमन्वयकों तथा न्याय पंचायत समन्वयकों को उनके कार्य एवं दायित्व के सम्बद्ध में पाँच द्विवसीय विशद प्रशिक्षण दिया गया तथा तदुपरांत प्रतिवर्ष माह फरवरी/मार्च में वार्षिक कार्ययोजना निर्माण एवं अकादमिक पर्यवेक्षण में 3 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित

की जाती रही है जिससे डायट की क्षेत्रीय इकाइयों के अभिकर्मी नियमित विद्यालय भ्रमण कर क्रिया आधारित पाठों का प्रस्तुतीकरण (विशेषरूप से पाठ्यपुस्तकों के कठिन स्थलों से सम्बन्धित), विद्यालयों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का भौतिक तथा अकादमिक पक्षों के आधार पर नियमित श्रेणीकरण कर सकें एवं बी.आर.सी. । एन.पी.आर.सी. स्तर पर ऐजेण्डानुसार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान (आपसी वार्तालाप और सहभागिता द्वारा) और इस तरह प्राथमिक विद्यालयों का नियमित गुणवत्ता आधारित अनुश्रवण कर सकें। उपरोक्त सभी कार्य सम्बन्धित अभिकर्मियों द्वारा डायट ब्लाक मेण्टर के निर्देशन में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु नियमित रूप से किये जाते रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही रहा है अतः कतिपय अन्य क्षेत्र अनाच्छादित रहे है, जिन्हें अपेक्षित सहयोग और समर्थन नहीं दिया जा सका है।

1. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मूलतः प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें मुख्य बल 6-11 वय वर्ग की बच्चों की शिक्षा पर रहा है, उच्च प्रा० वि० (जिन्हें अब पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है) की अकादमिक आवश्यकताओं पर उच्च प्रा० वि० के शिक्षकों के एस०ओ०पी०टी० गणित प्रशिक्षण के अतिरिक्त पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका है।

2. इसी प्रकार मान्यता प्राप्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कॉलेजों के साथ संचालित कक्षा 1-5 व 6 से 8 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं कठिनाइयों के निवारण/गुणवत्ता सम्वर्द्धन एवं सम्बन्धित शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में जनपद में अभी कुछ नहीं किया जा सका है।

3. जनपद फिरोजाबाद की बाल श्रमिक समस्या के परिप्रेक्ष्य में बालश्रमिकों (वय वर्ग 6-14) की समुचित शिक्षा व्यवस्था तथा सम्प्रति यहाँ संचालित 65 बालश्रम विद्यालयों (जो विभिन्न एन०जी०ओ० तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से आच्छादित है) के बच्चों तथा कार्यरत शिक्षकों/अनुदेशकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु इन्हें शैक्षिक अनुसमर्थन/पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की परिधि में नहीं लाया जा सका है और न ही इन विद्यालयों के अकादमिक स्टाफ के सदस्यों/अनुदेशकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण के विशिष्ट पैकेज की ही व्यवस्था की जा सकी है।

4. जनपद फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र - फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, टूण्डला तथा इनसे जुड़े अर्द्धनगरीय क्षेत्र कॉच उद्योग से संलग्न बालश्रमिकों की अनुमानित संख्या 50,000 है।

- जनपद फिरोजाबाद में सरकारी संस्था यू०पी० डेस्को द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में बालश्रमिकों की कुल जनसंख्या (खतरनाक व गैर खतरनाक में संलग्न को मिलाकर) 12,942 है।

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्रम विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार (अप्रैल 03-20, 1997 व अप्रैल 24-मई 20 1997) द्वारा कुल संलग्न बाल श्रमिकों की संख्या 5,011 है।

- अभी तक जनपद फिरोजाबाद में बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या ज्ञात करने हेतु किसी भी संस्था द्वारा (डोर टू डोर) सर्व आयोजित नहीं किया जा सका है। प्रयास अनेकों बार किये गये हैं परन्तु कठोर श्रम कानूनों और नियोजकों के प्रति अर्थ दण्ड के प्रावधानों के चलते इनकी सही संख्या का अनुमान लगाना अत्यन्त दुसाध्य है।

तालिका

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम संख्या	ब्लाक / नगर क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		कुल विद्यालय	कुल अध्यापक	कुल विद्यालय	कुल अध्यापक
1.	अरांव	87	195	15	34
2.	एका	102	193	18	24
3.	जसराना	80	184	13	24
4.	खैरगढ़	[illegible]	227	19	45
5.	मदनपुर	[illegible]	246	28	48
6.	शिकोहाबाद	56	257	21	38
7.	फिरोजाबाद	128	404	26	101
8.	टूण्डला	95	318	18	58
9.	नारखी	101	304	17	50
10.	न.क्षे. फिरो./ शिको.	55	118	6	24
	योग	973	2446	181	422

विद्यालय पूर्व शिक्षा :-

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सम्वर्द्धन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बालिका शिक्षा के लिए सही प्रयास करना हमारी प्राथमिकता है। प्रायः देखा जाता है कि ग्रामीण अंचल की बालिकाएँ खेती, गृहकार्य आदि में व्यस्त रहती हैं। तथा शहरी क्षेत्र की निम्न आयवर्ग की महिलाएँ काँच चूड़ी आदि कार्यों में अपनी बालिकाओं को अर्थोपार्जन की दृष्टि से व्यस्त रखती हैं। अतः इस प्रकार की बालिकाएँ प्रायः विद्यालय प्रवेश से वंचित रह जाती है। उपरोक्त दोनों स्थितियों के अतिरिक्त विद्यालय जाने वाले वय वर्ग की बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल का भी भार होता है। शासन के निर्देशानुसार प्रारम्भिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में ही ई०सी०सी०ई० केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जिससे इस तरह की बालिकाएँ विद्यालय में पढ़े और उनके छोटे भाई बहन संलग्न केन्द्र से जुड़ जायें।

यह कार्यक्रम छोटे-छोटे शिशुओं की प्राथमिक शिक्षा की तैयारी का कार्यक्रम भी कहा जा सकता है

- शिशु के जीवन काल के प्रथम 6 वर्ष निर्णायक होते हैं और इस काल में विकास की गति इतनी तीव्र होती है उतनी किसी अन्य वय वर्ग को नहीं।
- शिशु में चिन्हित क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण की जरूरत होती है। प्रेरक वातावरण से तात्पर्य ऐसे वातावरण से है जो बालक को :-
  - विविध प्रकार के अनुभवों, वस्तुओं तथा स्थानों से परिचित करायें तथा उनके साथ प्रयोग करने के अवसर दें।
  - वयस्कों, समवयस्कों तथा अन्य लोगों के साथ अर्थपूर्ण तथा लाभकारी अन्तःक्रिया करने के अवसर दें।
  - संवेगात्मक सुरक्षा तथा सहायक वातावरण दें।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय विशेषताओं का समादर करते हुये विकेन्द्रीकृत नियोजन पर बल देता है, जिसमें सक्रिय सामुदायिक सहभागिता परमावश्यक है। हॉलाकि पिछले कुछ वर्षों में विद्यालयीय शिक्षा का व्यापक फैलाव हुआ है। तथा देश की 90 प्रतिशत आबादी को एक किमी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है, फिर भी विभिन्न राज्यों में 35 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत विद्यालय जाने वाली वयवर्ग के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं और ये बच्चे समाज के उस अपवंचित वर्ग से आते हैं जो उन्हें बाल श्रमिक के रूप में विद्यालय के समय में बाल श्रम की विभिन्न औद्योगिक व व्यावसायिक प्रक्रियाओं में व्यस्त रखता है। इन बच्चों में अधिकांश बालिकायें हैं जो हमारे समाज का "लिंग के आधार पर पार्थक्य का वीभत्स चित्रण है।

प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहने वाली बालकों की यह श्रेणी बहु-आयामी है। इस श्रेणी के बच्चों में से बाल श्रमिकों तथा गलियों में घूमने वाले आवारा बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रन) हैं। डी. पी.ई.पी. के वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय से दूर रहने वाले ऐसे बच्चों को गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने की चुनौती को एक समेकित प्रयास के रूप में स्वीकारा गया है।

अपवंचित वर्ग के बच्चों को विशेष रूप से इस दिशा में कोई सुविधा नहीं मिल पाती। पढ़े लिखे न होने से इस वर्ग के माता-पिता प्रभावी ढंग से बच्चों से अन्तःक्रिया नहीं कर पाते और उनके मानसिक विकास तथा भाषायी कौशलों के विकास में योगदान नहीं दे पाते। ऐसे बच्चों के शारीरिक मानसिक भाषा सम्बन्धी संवेगात्मक विकास के लिए ई.सी.सी.ई. केन्द्र प्रेरक अनुभव देता है। जनपद फिरोजाबाद में प्रारम्भिक बाल देखरेख एवं शिक्षा योजना 5 ब्लाकों में संचालित है जिनमें प्रशिक्षित कार्यकत्रियों कार्य कर रही हैं जनपद फिरोजाबाद में ई.सी.सी. ई. केन्द्रों की प्रभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तर की अत्यन्त आवश्यक है।

तालिका : ई. सी. सी. ई. केन्द्र

	ब्लाक का नाम	कुल केन्द्र	प्रशिक्षित कार्यकत्रियों की सं.
प्रथम चक्र में चयनित केन्द्र सं.	खेरागढ़	28	27
	एका	23	23
	फिरोजाबाद	34	34
द्वितीय चक्र में चयनित केन्द्र सं.	टूण्डला	41	39
	शिकोहाबाद	49	47
योग		175	170

<u>बालश्रमिक, वैकल्पिक शिक्षा</u> :

जनपद फिरोजाबाद की यह विडम्बना है कि यहाँ विद्यालय जाने वाले आयु के मलिन बस्तियों तथा निम्न आयवर्ग के अधिकांश बच्चे काँच कारखानों तथा तत्सम्बन्धी रोजगार परक अनेकानेक खतरनाक और गैर खतरनाक प्रक्रिआओं में बाल श्रमिक के रूप में प्रतिदिन संलग्न नियोजित किये/कराये जाते है और इस तरह उन्हें अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रखा जाता है। इस असामाजिक, घृणित कृत्य / अपराध को रोकने में भारत सरकार के विभिन्न श्रम अधिनियमों तथा संविधान के प्राविधानों सम्प्रति निरर्थक सिद्ध हो रहे। उ०प्र० डी०पी०ई०पी० फेज ।। में शामिल किये गये 18 जनपदों में से जनपद फिरोजाबाद काँच के कारखानों में बालश्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है तथा श्रम विभाग तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रयासो के बावजूद इन बालश्रमिकों की प्रारम्भिक शिक्षा की कोई सर्वमान्य वैकल्पिक शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। जनपद फिरोजाबाद में 35% से लेकर 50% तक विद्यालय जाने वाले वय वर्ग के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित है और ये बच्चे समाज के उस अपवंचित वर्ग से आते है जो उन्हें बाल श्रमिक के रूप में विद्यालय के समय में बाल श्रम की विभिन्न औद्योगिक व व्यवसायिक प्रक्रियाओं में व्यस्त रखता है। इन बच्चों में अधिकांशतः अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम) बालिकायें

है जो हमारे समाज का लिंग के आधार पर पार्थक्य का वीभत्स चित्रण है। प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहने वाले बालकों की यह श्रेणी बहुआयामी है इस श्रेणी के बच्चो में से घर में बंद दरवाजे के अन्दर कॉच की चूड़ी का काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के हैं और कभी भी आधिकारिक अनुमानों में असंगठित क्षेत्र के बालश्रमिकों को शामिल नहीं किया जाता। फिरोजाबाद के बाल श्रमिकों का जीवन अत्यन्त कष्टप्रद है वे औसतन 12 घण्टे तक कार्य करते हैं और सफल राष्ट्रीय उत्पाद में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं परन्तु बदले में प्राप्त करते हैं :-

- रु० 90/- मासिक का औसत वेतन
- मानसिक और शारीरिक शोषण
- असीमित शारीरिक क्षति इससे पूर्व कि वे 14 वर्ष के हों
- शिक्षा, भोजन, जल तथा रहने के स्थान की अल्प व्यवस्था
- उनके बहुमूल्य बचपन का सम्पूर्ण ह्रास
- प्रौढ़ होने पर अपर्याप्त मजदूरी और प्रायः बेरोजगारी
- सम्पूर्ण जीवन काल के लिए (कमजोर स्वास्थ्य) बीमारी और मजबूरी

जनपद फिरोजाबाद के बाल श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु विगत वर्षों में 2 प्रदेश/राष्ट्र स्तरीय कार्यशालाएँ डायट फिरोजाबाद में आयोजित की जा चुकी हैं। नीचे दिये गये बाल श्रमिक सर्वेक्षण के आधार पर 60 बालश्रमिक विद्यालय श्रमविभाग द्वारा जनपद फिरोजाबाद के एन०जी०ओ० के साथ चलाये जा रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षाघर, बालशाखाएँ फिरोजाबाद की दो मलिन बस्तियों, दो ब्लाकों खैरगढ़ व टूण्डला में चलाये जा रहे हैं जो कि बाल श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अपर्याप्त हैं अग्रेतर प्रयास की अत्यन्त आवश्यकता है।

जनपद फिरोजाबाद में बाल श्रमिकों हेतु उ0 प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0) लखनऊ द्वारा किये गये सर्वेक्षण का विवरण

क्रम संख्या	क्षेत्र	स्पष्ट बाल श्रमिक		संदिग्ध बाल श्रमिक		कुल बाल श्रमिक	कुल बाल श्रमिक प्रभावित परिवार	सर्वेक्षण में चिन्हित बाल श्रमिक जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, प्रवेश कराये गये
		बालक	बालिका	बालक	बालिका			
1.	फिरोजाबाद नगर	3745	2174	67	645	6631	4683	5735
2.	फिरोजाबाद ब्लॉक	2298	968	766	929	4961	3697	1590
3.	शिकोहाबाद नगर	684	205	02	20	911	718	479
4.	शिकोहाबाद ब्लॉक	1549	672	09	75	2305	1755	1189
5.	टूण्डला नगर	69	48	01	02	120	58	79
6.	टूण्डला ब्लॉक	1402	660	26	113	2201	1644	1160
7.	खेरगढ़	765	197	41	223	1226	1029	841
8.	नारखी ब्लाक	1968	724	89	188	2967	2305	1869
	योग	12478	5648	1001	2195	21322	15889	12942

इण्डो–यू. एस. डोल प्रोजेक्ट

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 5 जनपदों – अलीगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा कानपुर नगर में बाल श्रमिकों को ट्रांजिनशल एजूकेशन सेन्टर एवं अल्टरनेटिव सेन्टर के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 'इण्डो–यू.एस डोल प्रोजेक्ट' स्वीकृत किया गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट तथा श्रम विभाग की भागीदारी है। यह प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जायगा। प्रोजेक्ट क अन्तर्गत सर्वेक्षण कराकर बाल श्रमिकों को चिन्हित किया जायेगा और उनकी शिक्षा हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एजूकेशन सेन्टर स्थापित किये जायेगें अथवा औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। इण्डो–यू. एस. डोल प्रोजेक्ट के संचालन क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु जनपद स्तर पर एक सहायक शिक्षा अधिकारी, एक सहायक, एक आशुलिपिक तथा एक परिचारक के वेतन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जो कि भारत सरकार के अंशदान के रूप में मानी जायेगीं।

ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए तथा सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कराने के सन्दर्भ में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित ग्राम शिक्षा समिति को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से एव प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने तथा विद्यालय के सम्पूर्ण वातावरण को भौतिक रूप से आकर्षक एवं बच्चो के अनुरूप रुचिकर व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला फिरोजाबाद की समस्त 512 ग्राम शिक्षा समितियो हेतु एक त्रिदिवसीय सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा गठित राज्य सन्दर्भ समूह द्वारा सर्वप्रथम ब्लाक सन्दर्भ समूह (ग्राम शिक्षा समिति) को प्रशिक्षत किया गया। यह प्रशिक्षण 4 दिवसीय था और पूर्ण स्वतन्त्र एव सक्रिय सहभागिता पर आधारित था। ग्राम शिक्षा समिति के इन प्रशिक्षणों में निम्नांकित क्रियाकलाप ग्राम शिक्षा समिति के दायित्व के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत बनाने के लिए किये गये

- परिचय सत्र
- ग्रामीण शिक्षा के प्रति समाज की इच्छायें
- ग्रामीण शिक्षा की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति में बाधायें तथा उनके स्थानीय स्तर पर सम्भावित समाधान
- ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता
- ग्राम शिक्षा समिति का स्वरूप एवं गठन
- ग्राम शिक्षा समिति के कार्य ग्राम शिक्षा व्यवस्था प्रबन्ध, कक्षा, शिक्षण एवं वित्तीय
- लिंग भेद बालिका शिक्षा की समस्याएं / सम्भावित समाधान
- विद्यालय पुनर्निरीक्षण
- ग्राम शिक्षा योजना
- [illegible]
- ग्राम शिक्षा समिति [illegible] माडल [illegible])
- मूल्यांकन

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियोंको अधिक क्रियाशील बनाने तथा विद्यालय स्वामित्व एवं प्रबन्धन सम्बन्धी कौशल विकसित करने, स्कूल मैपिंग तथा माइक्रो प्लानिंग सम्बन्धी अभ्यास भी कराये गये और इस हेतु उन्हें, ''ग्राम शिक्षा समिति संकल्प एवं प्रयास'' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका भी उपलब्ध करायी गई।

राजाज्ञाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप ग्राम शिक्षा समितियों का स्वरूप भी बदल गया है। शिक्षा समितियों के निरन्तर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण की आवश्यक है जिससे उन्हें सतत् सक्रिय रखा जा सके।

डायट द्वारा किये गये अन्य कार्य :-

कार्यशाला ''बाल श्रमिक-वैकल्पिक शिक्षा''

इस द्वि-दिवसीय कार्यशाला में गहन विचार-विमर्श हेतु सामूहिक सहभागिता से निम्नांकित उद्देश्य/बिन्दु निर्धारित किये गये -

(1) ''6 11 वयवर्ग'' के प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान करना तथा उनकी सम्यक शिक्षा व्यवस्था करना

(2) शत-प्रतिशत नामांकन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बाल श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों (एन.जी.ओ.) और समुदाय आधारित संगठनों (सी.डी.ओ.) की पहचान कर सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।

(3) ''वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु ''वालंटीयर्स'' (शिक्षकों) का चयन, उनका प्रशिक्षण तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पाठ्यक्रम का निर्धारण''

(4) ''वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सतत्, व्यापक मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं पश्चपोषण हेतु रणनीति का निर्धारण।

जिला फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद एवं अनौपचारिक शिक्षा अधिकारियों की चार दिवसीय डी.पी.ई.पी. जनपद स्तरीय 'विजनिंग कार्यशाला' (पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक-विकास एवं अध्यापक-प्रशिक्षण)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आदर्श विद्यालय के सन्दर्भ में हमारा क्या "विजन" (भविष्य दृष्टि) है आदर्श विद्यालय कैसा हो, उसका परिवेश कैसा हो, बच्चे विद्यालय में कौन-कौन से क्रियाकलाप में व्यस्त दिखाई दें, और विद्यालय किस तरह पूर्णरूपेण क्रियाशील होकर प्राथमिक शिक्षा के स्तरानुकूल लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, आदि-आदि पर एक सामान्य भविष्य दृष्टि निर्धारित करने का प्रयास इस कार्यशाला में किया गया कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य, यथा -

- एक आदर्श क्रियाशील प्राथमिक विद्यालय का विजन विकसित करना,
- क्षेत्र विशेष की वस्तुस्थिति एवं स्थानीय आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम का परिवर्द्धन निर्माण व पुनर्निरीक्षण संशोधन,
- संवैधानिक नीतियों तथा सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप समय-समय पर पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन कर उनमें अपेक्षित संशोधन करना,
- जिला संदर्भ समूह (डी.आर.जी.) को आकदमिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाना, तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से प्रासंगिक शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण के योग्य बनाना,
- प्राथमिक विद्यालयों में "बहुश्रेणी" व्यवस्था के सन्दर्भ में प्रभावी शिक्षण अधिगम विधाओं/तकनीकों का विकास करना,
- [illegible] उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विविध [illegible] में आवश्यक परिवर्तन लाना,
- [illegible] एवं अनवरत मूल्यांकन को [illegible] करते हुए उपर्युक्त क्षेत्रों में किये गये [illegible] का अनुश्रवण करते [illegible] तकनीकों का प्रचार प्रसार करना।

पाठ्यक्रम

अनुभूत विसंगतियां :-

1. पाठ्यक्रम बोझिल, उबाऊ तथा सैद्धान्तिक है।
2. इसके कतिपय प्रकरण बालकों की आयु के परिप्रेक्ष्य में दुरूह है।
3. पाठ्यक्रम में स्थानीयता का पूर्ण अभाव है।
4. पाठ्यक्रम, बालक की क्रियाशीलता/कार्यकलापों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
5. पाठ्यक्रम बच्चों के वास्तविक पूर्व अनुभवों से सम्बंधित नहीं है।
6. पाठ्यक्रम में उपरोक्त कारणों से नीरसता है, तथा यह बच्चों में अपेक्षित, स्तरानुकूल दक्षताओं के विकास में सहायक नहीं है।
7. पुस्तकें, उनकी विषय-वस्तु, उनकी-सम्प्रेषण विधा आदि बच्चों की आवश्यकताओं, उनके पर्यावरण तथा पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई नहीं हैं, और सम्पूर्ण विद्यापीठ सामाजिक वास्तविकताओं से असम्बद्ध है।

सुझाव

1. पाठ्यक्रम में विविधता हो तथा वह बच्चों की आयु मानसिक स्तरानुकूल हो.
2. शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तक में शिक्षकों के लिए विभिन्न सम्बोधों को बच्चों के पूर्वज्ञान से जोड़ने हेतु व्यापक निर्देशों का समावेश हो.
3. अध्यापकों की शिक्षण कार्य योजना बच्चों की कठिनाई / स्तर, ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर हो.
4. पाठ्यक्रम में स्थानीय संसाधनों के क्रियाशील प्रयोग हेतु प्रावधान हो.
5. बच्चों को [illegible] अधिगम का सम्पूर्ण अवसर प्राप्त हो, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पाठ्यक्रम आधारित न बनकर दक्षताधारित बन सके।

प्रक्रिया (शिक्षण अधिगम कार्यनीति)

अनुभूति विसंगतियां

1. कार्यनीति मात्र कक्षा कक्ष तक सीमित है और मौखिक है बच्चों की क्रियाशीलता का कोई उपयोग नहीं है।

2. कक्षा कक्ष का [illegible] वातावरण यांत्रिक है, शिक्षक छात्र के मध्य सदैव दूरी रहती है तथा रटने पर अधिक बल है।

3. कक्षा सदा [illegible] रहता है। बच्चों की क्रियाशीलता हेतु कोई अवसर नहीं और इस तरह सीखने के सिद्धान्त का कोई प्रयोग नहीं।

4. शिक्षण कार्यनीति का कभी मूल्यांकन नहीं तथा सामुदायिक सहभागिता का कोई प्रयास नहीं।

सुझाव

1. कक्षा-कक्ष में ऐसे क्रिया कलापों हों, जिनमें बच्चे सक्रिय सहभागिता कर सकें।

2. कक्षा कक्ष की कार्यनीति का निर्धारण, बच्चों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करते हुये आपसी समझौते के आधार पर हो।

3. कक्षा कक्ष का प्रत्येक क्रिया-कलाप पारस्परिक सहभागिता पर आधारित हो, तथा बच्चों को स्थानीय तथा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का पूर्ण अवसर हो, स्व-अधिगम पर अधिक बल हो।

4. प्रत्येक [illegible] पर सामुदायिक सहभागिता प्राप्त की जाये।

सहायक शिक्षण सामग्री

अनुभूत कठिनाइयाँ

1. सहायक शिक्षण सामग्री का प्रायः पूर्ण अभाव तथा इस दिशा में शिक्षक द्वारा कोई प्रयास नहीं।

2. शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने के प्रति पूर्णतया उदासीन है, और न ही [illegible] में कोई प्रयोग हेतु यह उत्सुक ही है।

3. [illegible] अध्यापक [illegible] विद्यालय होने के कारण बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण [illegible]

सुझाव

1. [illegible] स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अल्प लागत तथा बिना लागत की सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने तथा बच्चों की सहायता से सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण [illegible]

2 जिला सन्दर्भ समूह एवं पाठ्यक्रम विकास विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में पाठ्यक्रम के सम्बन्धों तथा दक्षताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाली सहायक शिक्षण सामग्री के विकास/निर्माण हेतु शिक्षकों के लिए एक सामान्य निर्देशिका का विकास करना।

3 बहुश्रेणी शिक्षण वाले विद्यालयों हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री का विकास, कार्यशाला के माध्यम से विकसित की जाये।

पाठ्य पुस्तकें

अनुभूत विसंगतियाँ

1 पुस्तक साज-सज्जा की दृष्टि से अनाकर्षक हैं।

2 पाठ्य पुस्तकें बालकों के परिवेश से पृथक और बच्चों के पूर्वज्ञान से असम्बद्ध हैं।

3. पाठ्य-पुस्तकों में बच्चों की क्रियाशीलता के प्रयोग हेतु, क्रियाधारित पाठों का पूर्ण आभाव है।

4. पाठ्य-पुस्तकों का चित्रण, विषय-वस्तु के अधिगम में प्रायः सहायक नहीं।

5. मुद्रण तथा कागज की गुणवत्ता मानक से निम्न स्तर की है।

6. पाठ में उपयुक्त शीर्षकों/उपशीर्षकों का पूर्ण आभाव है तथा विषयवस्तु में निरन्तरता नहीं है।

7 बच्चों को स्व-मूल्यांकन हेतु कोई अवसर नहीं और इस तरह उन्हें स्व-अधिगम का कोई अवसर नहीं है।

सुझाव

1. पाठ्यपुस्तकों में रंग, छपाई का आकार तथा कागज की गुणवत्ता में सुधार हो।

2 पाठ्यपुस्तक निर्माण हेतु विशेषज्ञों की एक कार्यशाला में पृथक से हो जिसमें उत्पादन विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाय।

3 विषयवस्तु में सृजनात्मकता, नवाचार व निरन्तरता हो तथा चित्र [illegible] आकर्षक व स्पष्ट हो।

4 विषय वस्तु का उपयुक्त उप शीर्षकों में विभाजन हो।

5 अभ्यास बच्चों के स्व अधिगम, स्व मूल्यांकन में पूर्णतया सहायक, रुचिकर तथा क्रियाशीलता पर आधारित हो।

6 [illegible] लिंग भेद से पूर्णतया मुक्त हो, तथा प्रस्तुतीकरण मूल्यपरक हो, जिससे मूल्यों का विकास [illegible] रूप से हो सके।

7 पाठ की भाषा बच्चे की मानसिक आयु और बोध के स्तरानुरूप हो।

8 पाठों में स्थान विशेष की विशेषताओं से परिचित कराने हेतु, स्थानीय विषय सामग्री के समावेश के पर्याप्त स्थान और अवसर हो।

9. पाठ्य-पुस्तक संरचना के सूचीबद्ध सोपान पूर्व लेखन, सम्पादन, उत्पादन, प्रकाशन हेतु पृथक-पृथक गंभीर प्रयास किये जाये तथा विशेषज्ञों की सहमति ली जाय।

प्रशिक्षण

अनुभूत विसंगतियाँ :-

1. प्रशिक्षण कक्षा-कक्ष में शिक्षक द्वारा अनुभूत कठिनाइयों से सम्बद्ध नहीं।

2. प्रशिक्षण सैद्धान्तिक है और इसे प्रारम्भ करने से पहले प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं का आकलन नहीं किया जाता है।

3. प्रशिक्षण सहभागिता पर आधारित नहीं है, तथा इसमें सम्प्रेषण का पूर्ण आभाव है।

4. प्रशिक्षण मूलरूप से सैद्धान्तिक है - प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से उन क्रिया-कलापों को आयोजित करने को कहता है, जिन्हें उसने स्वयं वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया होता है।

5 प्रशिक्षणोपरान्त अनुश्रवण/पश्चपोषण की भी कोई समुचित कारगर व्यवस्था नही है।

सुझाव :-

1 प्रशिक्षण पूर्णतया प्रशिक्षणार्थी आवश्यकता आधारित, समस्या तथा कक्षा-कक्ष की वास्तविक परिस्थितियों से सम्बन्धित होना चाहिए

2 [illegible] सहभागिता पर पूर्ण [illegible] होना चाहिए, जिसमें सम्प्रेषण [illegible]।

3 प्रशिक्षणार्थियों का [illegible] करने के साथ-साथ पुरस्कार / दण्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए

मूल्यांकन

अनुभूत विसंगतियां :-

1. सतत, व्यापक, अनवरत मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं। मात्र अर्ध-वार्षिक, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने कराने पर ही जोर है।
2. बालक के संज्ञानात्मक पक्ष की ही जाँच, संज्ञानेत्तर-बोध एवं कौशल पक्ष की पूर्ण उपेक्षा।
3. बोध विश्लेषण, संश्लेषण आदि दक्षताओं के विकास की पूर्ण उपेक्षा।
4. मूल्यांकन की नवीन विधियों के अद्यतन ज्ञान का पूर्ण आभाव।

सुझाव

1. मूल्यांकन-सतत, व्यापक एवं अनवरत हो। संज्ञानेत्तर पक्ष-बोध, कौशल सम्बन्धी दक्षताओं का भी मूल्यांकन हो।
2. बच्चों के सतत मूल्यांकन के आधार पर रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, मूल्यों आदि के विकास में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाय।
3. बच्चों के मूल्यांकन के साथ ही साथ, शिक्षकों को भी अपनी शिक्षण-विधा के स्व मूल्यांकन को दृष्टिगत रखें।

संदर्भ समूह सहयोग

अनुभूत विसंगतियाँ -

1. राज्य से जिला, ब्लॉक, न्याय पचायत एव ग्राम पचायत स्तर तक अपेक्षित संदर्भ के सहयोग की वांछित व्यवस्था नहीं।
2. राज्य स्तरीय संस्थाओं - राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षणिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेण्ट), राज्य शिक्षा संस्थान आदि तथा जिला - विकास खण्ड- न्यायपंचायत - ग्राम पचायत स्तर पर सम्प्रेषण का अन्तराल है, और अपेक्षित निर्देशन परामर्श तत्काल उपलब्ध नहीं है।

संदर्भ समूह सहयोग राज्य, समुदाय तथा विभिन्न स्तरों के अभिकरण एवं अभिकर्मियों से प्राप्त करने की तात्कालिक एवं समुचित क्रियाशील व्यवस्था हो।

राज्य से जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से न्याय पंचायत, तथा न्याय पचायत से ग्राम पंचायत स्तर तक स्वस्थ, क्रियाशील, प्रभावी सम्प्रेषण प्रवाह हो।

समुदाय तथा सन्दर्भ समूहों के मध्य बेहतर प्रभावी समन्वय स्थापित हो तथा पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व हो।

"यह मेरा संकल्प है और मैं इसको पूर्ण करूँगा" - इस जुड़ाव की भावना को सम्बन्धित अभिकर्मियों के मध्य विकसित और सुदृण किया जाय।

प्रतिभागियों ने एक "आदर्श विद्यालय" के "विजन" के रूप में, एक कक्षाकक्ष के संदर्भ में, क्रियाशील शिक्षण के प्रतिरूपों की अवधारणा की, यथा -

प्रत्येक कुछ न कुछ करने में व्यस्त है। खेल, गीत, संगीत, कहानी, नाटक व प्रयोग तथा स्वच्छता सम्बंधी क्रिया कलाप कक्षा कक्ष के अन्दर और बाहर पूर्ण तन्मयता एवं सहभागिता के साथ गतिमान हैं।

कक्षा-कक्ष में बालकों द्वारा निर्मित रेखाचित्र, रंगीन चार्ट, पोस्टर तथा अन्य प्रतिरूप स्थान-स्थान पर लगे हैं और बच्चे इसी तरह की अन्य सामग्री तैयार कर रहे हैं।

विद्यालय भौतिक परिवेश में भी चित्ताकर्षक लग रहा है। शौचालय/प्रसाधन तथा पेयजल की स्वच्छ व्यवस्था है।

विद्यालय की दीवार पर विद्यालय समाचार पत्र के रूप में हस्त लिखित एक समाचार पत्र लगा है। [illegible] पढ़कर समुदाय के लोगों को स्थानीय/राष्ट्रीय समाचारों तथा नवीन उपयोगी ज्ञान से अवगत करा रहे हैं।

विभिन्न [illegible] की [illegible] और [illegible] से समूह कार्य में व्यस्त हों तथा तत्काल कक्षा कक्ष में जाकर यह पहचानना मुश्किल है कि इनमें अध्यापक कहाँ है अर्थात् अध्यापक को मात्र आयु के आधार पर पहचाना जा सकता है कार्य कलापों के आधार पर नहीं। शायद यही कारण है कि विद्यालय समय समाप्ति की घण्टी बजने के बाद भी कोई बालक घर जाने के विषय में नहीं सोच रहा है।

II विगत पाँच वर्षों में जनपद स्तर पर संचालित गुणवत्ता संवर्द्धन विषयक कार्यक्रमों का विवरण

- डर का कोई स्थान नहीं है। कोई कुछ भी पूछ सकता है और उत्तर देने में भी किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं है। प्रश्न पूछा जाने पर कई चिल्ला उठते हैं मैं बताऊँ, मैं बताऊँ, और उत्तर दिये जाने पर सभी कह उठते हैं " समझ में आ गया"।

डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तीन प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं।

> *डी० पी० ई० पी० सेवारत अध्यापकों का 10 दिवसीय सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण :-*

उद्देश्य :-

- शिक्षकों को अभिप्रेरित कर उनमें व्यवसायात्मक, दृढ़ विश्वास तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर शिक्षकों में कार्य के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न करना
- शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढ़ाना
- कक्षा का वातावरण बच्चों की जिज्ञासापूर्ण बनाना
- गुणवत्ता विकास के कार्यक्रमों, विषयों की दक्षता बढ़ाना
- बालिका शिक्षा, कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियां, सामुदायिक सहभागिता, समता और समानता। आकर्षक स्कूल आदि से सम्बन्धित अभ्यासों का अध्ययन कराना
- गतिविधि आधारित शिक्षण कराना

10 व्यवसाय अभिप्रेरण प्रशिक्षण (फिरोजाबाद/वदायूँ) वर्ष 1997-98, 1998-99

कुल प्रशिक्षित 2383

क्र० सं०	विकास खण्ड/न०क्षे० का नाम	प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक												प्रशिक्षित सहा० अध्यापक												महायोग
		पुरुष						महिला						पुरुष						महिला						
		सा० जा०	अ० जा०	अ० जजा०	पि० जा०	अ० सं०	योग	सा० जा०	अ० जा०	अ० जजा०	पि० जा०	अ० सं०	योग	सा० जा०	अ० जा०	अ० जजा०	पि० जा०	अ० सं०	योग	सा० जा०	अ० जा०	अ० जजा०	पि० जा०	अ० सं०	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	अरांव	17	08	-	17		42	-		-	-	-	-	27	19	-	52	-	105	15	-	27	01	42	42	[illegible]
02	एका	11	04	-	24		39	01		-	-	-	01	25	21	-	56	02	104	01		08	01	13	13	[illegible]
03	जसराना	04	07	-	13		24	-		-	-	-	-	31	08		62	-	101	02	-	08	04	23	23	148
04	हाथवन्त	15	09	-	25		35			-	-	-		[illegible]	25		[illegible]	03	[illegible]	22		26	-	34	34	[illegible]
05	मदनपुर	17	04	-	27		48	03		-	-	-	03	34	15	-	77	01	127	20	-	18	01	47	47	225
06	शिकोहाबाद	10	06	-	18	01	14	01	01	-	01	-	03	26	18	-	66	02	112	36	-	16	01	58	58	227
07	फिरोजाबाद	32	14	-	21	-	67	03	-	-	-	-	03	67	25	-	101	17	210	40	05	-	06	14	65	345
08	टूण्डला	45	22	-	11	-	78	03		-	-	-	03	104	38	-	59	02	203	32	08	-	09	01	50	344
09	नारखी	59	17	-	07		38	-		-	-	-	-	124	50	-	36	01	211	35	05	-	07	05	52	345
10	न.क्षे. शिकोहाबाद	04	3	-	21	12	[illegible]	01	-	-	01	01	03	09	01	-	12	07	29	05		-	02	02	29	[illegible]
11	न.क्षे. फिरोजाबाद	06	05	-	02	04	17	01		-	01	01	03	11	-			16	27	07			04	09	20	67
12	अन्य	-	-	-	-					/-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			126
	योग	223	99	-	149	06	477	13	01	-	03	02	19	479	220	-	581	51	1349	224	43	-	106	39	412	2383

➢ डी० पी० ई० पी० संचालित अध्यापकों का 8 दिवसीय "सबल" प्रशिक्षण:-

उद्देश्य :-

- शिक्षकों को अपने कार्य में कुशल बनाना।
- बच्चों में पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को विकसित करने में शिक्षकों को दक्ष बनाना
- अपनी भूमिका और बच्चों के बारे में समझ विकसित करना।
- शिक्षण कला में निखार लाने के लिए खेल गतिविधियों से उन्हें सुसज्जित करना तथा इस भ्रान्ति से मुक्त कराना कि खेल गतिविधियां पाठ्यक्रम को पूरा करने में बाधक है
- विद्यालय / कक्षा नियोजन प्रबन्ध में दक्ष बनाना।
- मूल्यांकन के बारे में स्पष्ट एवं विस्तृत समझ और तरीके विकसित करना
- सहायक सामग्री चयन निर्माण प्रयोग एवं रखरखाव की विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी देना।
- विषयगत अवधारणाओं से क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं को सरलतम ढंग से बच्चों को कैसे बताये उसकी जानकारी कराना।

➢ डी०पी०ई०पी० संचालित अध्यापकों का 8 दिवसीय "साधन" प्रशिक्षण :-

उद्देश्य :-

- इस प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता यह थी कि यह नवीन पाठ्यपुस्तकों जिन्हें गत वर्ष लागू किया गया था पर आधारित एवं गतिविधि आधारित था इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। इसमें 46 सत्र थे जिनमें 16 सैद्धान्तिक तथा [illegible] क्रियात्मक थे। क्रियात्मक सत्रों में विषय वस्तु को गतिविधि व [illegible] पर बल दिया गया तथा पाठ्यपुस्तक को मात्र नहीं बल्कि एक पूरा साधन मानने के लिए कहा गया है जिससे बच्चों को असीम सम्भावनाओं व सारी दुनिया का परिचय कराता है।

- बच्चे स्वभाव से क्रियाशील होते हैं। अतः गतिविधियों द्वारा पाठ्यवस्तु को रोचक बनाने के विभिन्न तरीके सुझाये गये तथा गतिविधि का आशय मात्र खेलने से न लेकर शिक्षकों को यह स्पष्ट किया गया कि गति विधि से तात्पर्य उन सारी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। जिससे बच्चे रुचि, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन व मनोयोग से सीख सकें।

इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैं।

- प्रथम चक्र शिक्षण प्रशिक्षण के प्रमुख अंश
- द्वितीय चक्र शिक्षण प्रशिक्षण के प्रमुख अंश
- नवीन पाठ्यपुस्तकों का सामान्य परिचय एवं प्रयोग विधि
- बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री
- बहुकक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण
- समय प्रबन्धन
- समेकित शिक्षा
- विद्यालयों का मूल्यांकन-श्रेणीकरण
- सीखने का मूल्यांकन
- कहानी – सफल सम्भावना
- सुलेख – क्या ? क्यों ? कैसे ?
- वर्तनी में अशुद्धियाँ
- साप्ताहिक समय सारिणी

विद्यालयों का श्रेणीकरण निर्धारित [illegible] निम्नांकित पक्षों, जिनके अंक पूर्व में निर्धारित थे, के आधार पर किया गया यथा

- विद्यालय एवं कक्षा-कक्षों का भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण
- शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री
- छात्रों के सतत् व्यापक मूल्यांकन [illegible] सम्बन्धी पक्ष।

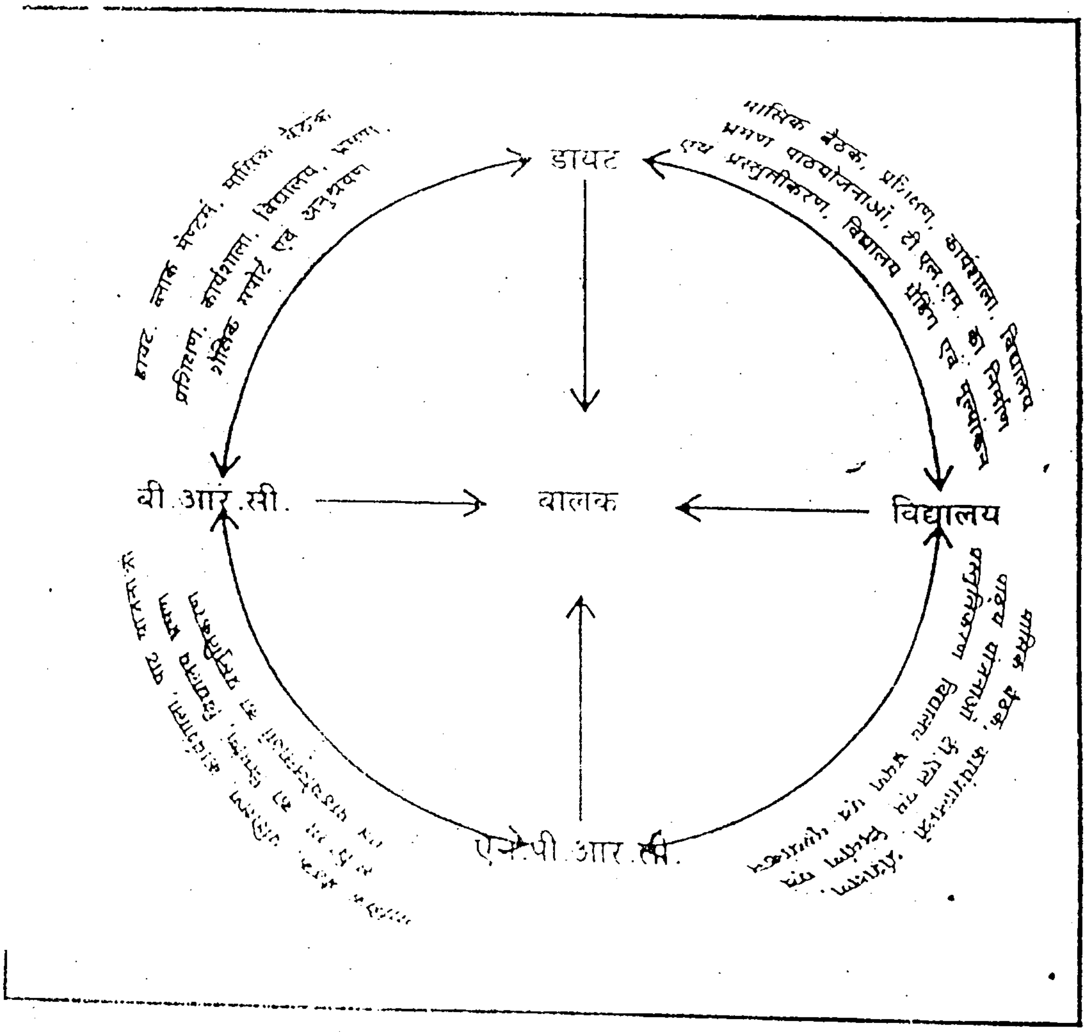
डायट
बी.आर.सी.
बालक
विद्यालय
एन.पी.आर.सी.

तालिका

जनपद में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक योग्यता के आधार पर विवरण

शैक्षिक योग्यता	प्राथ0 स्तर	उ0 प्रा0 स्तर
हाईस्कूल से कम	16	
हाईस्कूल	413	06
इण्टरमीडिएट	1522	152
स्नातक	14	274
स्नातकोत्तर	363	70
योग	2328	422

जनपद फिरोजाबाद में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर 363 अध्यापक स्नातकोत्तर है जबकि 16 अध्यापक हाईस्कूल उत्तीर्ण नहीं है। प्रदेश में वर्तमान प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक है और इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाय जो जनपद फिरोजाबाद में 50 प्रतिशत अध्यापक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। अतः प्रशिक्षण आयोजित करते समय इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक विधा के साथ-साथ विषयवस्तु (विशेष रूप से विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) का प्रशिक्षण किये जाने की परम आवश्यक है।

तालिका

जनपद में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण अनुभव के आधार पर विवरण

[illegible]	[illegible]	उ० प्रा० स्तर
पांच वर्ष से कम	724	74
5 से 10 वर्ष तक	52[illegible]	87
10 से 15 वर्ष तक	279	89
15 से 20 वर्ष तक	174	59
20 से 25 वर्ष तक	196	39
25 से 30 वर्ष तक	181	35
30 वर्ष से अधिक	257	59
योग	2328	422

जनपद में कार्यरत शिक्षण अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट है कि शिक्षकों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर अधिसंख्य को 15 से 20 वर्ष तक का औसत शिक्षण अनुभव है। अर्थात उन्हें शिक्षण की पुरानी विधाओं से हटाने तथा शिक्षण की नवीन बालकेन्द्रित एवं क्रियाधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न करने हेतु अधिक परिश्रम करना होगा और यदि वांछित अनुसमर्थन एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया तो वे अपने प्राचीन शिक्षण विधाओं को ही पुनः अपना लेंगे।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के आधार पर बच्चों का स्तर

जिला प्राथ0 शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने हेतु कक्षा - 2 एव कक्षा - 5 के बच्चों का भाषा एव गणित में परीक्षण किया गया। आधारभूत मूल्याकंन सर्वेक्षण (बी.ए.एस.) 1997 तथा मध्यसत्रीय मूल्यांकन का सर्वेक्षण (एम.ए.एस.) 2000 में निर्धारित विधि से एन.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से लिया गया तुलनात्मक निष्कर्ष निम्नांकित

1 कक्षा 1 - भाषा

कक्षा 1 के आधार भूत सर्वेक्षण के छात्र छात्राओं की भाषा की अधिगम सम्प्राप्ति का मध्यमान 9.56 (47.8 %) तथा मानक विचलन 5.87 (29.35%) रहा, जबकि अधिगम सम्प्राप्ति का अधिकतम प्राप्तांक 20 रहा। मध्यसत्रीय सर्वेक्षण मे माध्यान 13.026 (65.13%) तथा मानक विचलन 5.678 (28.54%) रहा यह उच्च मानक विचलन छात्रों की अधिगम सम्प्राप्ति मे अत्यधिक भिन्नता दर्शाता है। आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त अधिगम सम्प्राप्ति का गुणात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 17.5% छात्र और 18.7% छात्राये एम.एल.एल. मास्टरी लैयल तक पहुँचे और 10.6% छात्र एव 11.1% छात्राये एम.एल.एल. मास्टरी लैवल के समीप पहुँचे जबकि 41.3% छात्र तथा 43.8% छात्रायें एम.एल.एल. स्तर तक नही पहूँच पाये। मध्यसत्रीय सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 37.1% छात्र और 32.7% छात्राये एम.एल.एल. मास्टरी लैवल तक पहुँचे और 20.1% छात्र एव 21.9% छात्राये एम.एल.एल. मास्टरी लेवल के समीप पहुंचे जबकि 26.6% छात्र तथा [illegible] छात्राये एम. एल. एल. स्तर तक नहीं पहुँच पाये अर्थात वे उपलब्धि परीक्षण मे 39% से अधिक अंक प्राप्त करने मे असफल रहे। गुणवत्ता की दृष्टि से जहाँ आधारभूत सर्वेक्षण में छात्राओं का सम्प्राप्ति स्तर अत्यधिक न्यून था वहीं मध्यसत्रीय मूल्यांकन में अपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर होता है हालांकि अभी भी गंभीरता से प्रयास को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। यह शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों में एक है। आधारभूत सर्वेक्षण में जातिवार विश्लेषण में 46.7% अ.जा.ज.जा. 42.2% अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 34.3% सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं की उपलब्धि एम.एल.एल. स्तर से [illegible] मध्यसत्रीय मूल्यांकन के जातिवार विश्लेषण में 31.6% अ.जा.ज.जा., 23.3% अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 21.9% सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं की उपलब्धि एम.एल.एल. से नीचे रही। अतः गुणात्मक दृष्टि से सुधार दृष्टिगोचर होता है।

2. कक्षा - 1 - गणित

आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा 1 के छात्र छात्राओं का गणित विषय में अधिगम सम्प्राप्ति का मध्यमान 14.14% तथा मानक विचलन 1.28 (9.14%) रहा, जब कि अधिगम सम्प्राप्ति का अधिकतम प्राप्तांक 14 रहा। मध्य स्तरीय सर्वेक्षण के आधार पर माध्यमान 14.996 (74.95%) तथा मानक विचलन 4.878 (24.39%) रहा, जयकि अधिगम सम्प्राप्ति का अधिकतम प्राप्तांक 20 रहा। यह उच्च मानक विचलन छात्रों की अधिगम सम्प्राप्ति में अधिकतम विभिन्नता दर्शाता है। आधारभूत अधिगम सम्प्राप्ति का गुणात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 13.7% छात्र और 10.2% छात्रायें एम.एल.एल. के मास्टरी लेवल तक पहुँचे और 16.2% छात्र एवं 13.1% छात्रायें एम. एल. एल. के मास्टरी लेवल के समीप पहुँचे जबकि 51.1% छात्र तथा 58.8% छात्रायें एम. एल. एल. स्तर प्राप्त नहीं कर सके। मध्यस्त्रीय सर्वेक्षण के आधार पर 51.5% छात्र और 42.9% छात्रायें एम.एल.एल. के मास्टरी लैवल तक पहुँचे और 22.75% छात्र और 28.6% छात्रायें एम. एल. एल. के मास्टरी लैवल के समीप पहुँचे जबकि 10.78% छात्र तथा 17.3% छात्रायें एम. एल. एल. स्तर प्राप्त नहीं कर सके। गुणात्मक दृष्टि से वांछित सुधार दृष्टिगोचर होता है। आधारभूत सर्वेक्षण के जातिवार विश्लेषण में 60.3% अ.जा./ज.जा., 52.4 पिछड़ा वर्ग और 45.7% सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं एम.एल. एल. स्तर से भी नीचे रहे जबकि मध्यस्त्रीय मूल्यांकन के जातिवार विश्लेषण में 14.55% अ.जा./ज.जा., 7.73 अन्य पिछड़ा वर्ग और 10.46% सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं एम.एल. एल. स्तर से भी नीचे रहे। गुणात्मक दृष्टि से जातिवार उपलब्धि स्तर में भी वांछित सुधार स्पष्ट है।

3. कक्षा - 4 - भाषा

आधारभूत सर्वेक्षण में कक्षा 4 के विद्यार्थियों की भाषा उपलब्धि परीक्षण में मध्यस्त्रीय मूल्यांकन की भांति दो खण्ड से [illegible] शब्दार्थ एवं पठनबोध। प्रथम परीक्षण दिसम्बर 1996 जबकि द्वितीय परीक्षण जुलाई/अगस्त [illegible] में लिया गया। प्रथम परीक्षण (आधारभूत सर्वेक्षण) के आधार पर विद्यार्थियों की उपलब्धि का मध्यमान शब्दार्थ एवं पठन बोध में क्रमशः 20.5 (50.12%) तथा 13.16 (32.9%) रहा और मानक विचलन क्रमशः 4.38 (10.95%) तथा 4.47 (10.15%) रहा जबकि शब्दार्थ में [illegible] प्राप्तांक [illegible] एवं पठनबोध में अधिकतम प्राप्तांक

। द्वितीय परीक्षण (मध्य सत्रीय मूल्यांकन) में विद्यार्थियो की उपलब्धि का मध्यमान शब्दार्थ एवं पठनबोध में क्रमशः 15.27 (43.65%) तथा 14.73 (42.09%) रहा और मानक विचलन क्रमशः 5.63 (16.12%) 6.17 (20.14%) रहा जबकि शब्दार्थ में अधिकतम प्राप्तांक 35 एवं पठनबोध में अधिकतम प्राप्तांक 35 रहे। दोनों परीक्षणों में गुणात्मक दृष्टि से सार्थक सुधार दृष्टिगोचर है, परन्तु अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है।

आधारभूत सर्वेक्षण का लिंगवार विवरण यह दर्शाता है कि छात्रों की सम्प्राप्ति का मध्यमान शब्दार्थ और पठनबोध में क्रमशः 20.31 (50.78%) तथा 13.37 (30.39%) और छात्राओं की सम्प्राप्ति स्तर 19.60 (44.54%) एवं 12.80 (32%) था जबकि मध्यसत्रीय सर्वेक्षण का लिंगवार विवरण यह दर्शाता है कि सम्प्राप्ति का मध्यमान शब्दार्थ व पठनबोध में क्रमशः 15.19 (43.4%) तथा 14.43 (42.09%) और छात्राओं का 15.35 (43.89%) एवं 14.73 (42.09%) रहा। गुणात्मक दृष्टि से भाषा में शब्दार्थ की तुलना में पठनबोध के स्तर में सुधार हुआ है आधारभूत सर्वेक्षण में एम.एल.एल. स्केल पर अधिगम सम्प्राप्ति का गुणात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि कोई भी छात्र/छात्रा मास्टरी लैवल तक नहीं पहुँच सका और 1.6% छात्र तथा 0.9% छात्रायें ही मास्टरी लेवल के समीप पहुँच सके लेकिन 54.6% छात्र तथा 60.2% छात्रायें एम.एल.एल. स्तर से नीचे रहे। मध्य सत्रीय सर्वेक्षण में भी कोई छात्र/छात्रा मास्टरी लैवल प्राप्त नहीं कर सका और 11.9% छात्र तथा 12.1% छात्राएं ही मास्टरी लेवल के समीप पहुँच सकी लेकिन 48.5% तथा 44.7% छात्रायें एम.एल.एल. स्तर से नीचे रहे। तुलनात्मक दृष्टि से अभी गम्भीर प्रयास की आवश्यकता है।

4. कक्षा 4 गणित

आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर छात्रों की गणित में सम्प्राप्ति का मध्यमान 12.71 (31.78%) तथा छात्राओं का 11.11 (27.78%) रहा तथा मानक विचलन क्रमशः 4.22 (10.55%) एवं 3.69 (9.23%) रहा जबकि मध्यसत्रीय मूल्यांकन में छात्रों का मध्यमान 15.395 (38.49%) तथा छात्राओं का 15.428 (38.57%) रहा और मानक विचलन क्रमशः 6.492 (16.23%) एवं 6.676 (16.69%) रहा। गुणात्मक दृष्टि से उपलब्धि दृष्टिगोचर है। गुणात्मक विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि आधारभूत सर्वेक्षण में कोई भी छात्र मास्टरी लेवल नहीं प्राप्त कर सका। केवल 0.3% छात्र एवं 0.5% छात्रायें मास्टरी लेवल के समीप पहुँच सके जब कि

81.4% छात्र और 93.1% छात्राओं की सम्प्राप्ति एम.एल.एल. से न्यून रहीं। मध्यसत्रीय मूल्यांकन में मात्र 0.9% छात्र ही मास्टरी लेवल पर पहुँच सके तथा 6.8% छात्र एवं 11.37 छात्रायें ही मास्टरी लेवल के समीप पहुँच सके, जबकि 59.1% छात्र और 59.5% छात्राओं की सम्प्राप्ति एम.एल.एल. से नीचे रही। हालांकि धनात्मक परिवर्तन है फिर भी अति गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है।

5. शिक्षक:-

(1) कक्षा 8 उत्तीर्ण शिक्षक :

जनपद फिरोजाबाद में आधारभूत सर्वेक्षण एवं मध्यसत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण में क्रमशः 5.7% एवं 2.6% शिक्षक कक्षा 8 उत्तीर्ण पाये गये जबकि सम्प्राप्ति प्राथ० विद्यालय में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता स्नातक है। न्यूनतम योग्यताधारी शिक्षक छात्रों की न्यून अधिगम सम्प्राप्ति के कारणों में से एक हो सकते हैं। ऐसे अध्यापकों को शिक्षण के ज्ञान व कौशल में अद्यतन करने हेतु विषयवस्तु एवं शिक्षण विधि में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

(2) शिक्षण सामग्रीयों का प्रयोग :-

आधारभूत सर्वेक्षण तथा मध्यसत्रीय सर्वेक्षण में क्रमशः 2.1% व 62.3% शिक्षक शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करते पाये गये तथा 27.9% व 63.3% शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री का निमार्ण किया गया। निष्कर्षतः डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत शिक्षकों को प्राप्त होने वाले शिक्षक अनुदान रु० 500/- प्रति वर्ष का अपेक्षित प्रतिफल कक्षाओं में दृष्टिगोचर हो रहा है।

6. शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

आधारभूत अध्ययनरत सर्वेक्षण में 60.2% पुरुष शिक्षकों तथा 65.6% महिला शिक्षक द्वारा कोई भी प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया गया था जबकि मध्यसत्रीय मूल्यांकन में 62.4% अध्यापकों द्वारा डायट से प्रशिक्षण प्राप्त [illegible] आधिकरणों (बी.आर.सी./सी.आर.सी.) द्वारा प्रतिमाह प्रशिक्षण कार्यक्रम [illegible] आयोजित किये जाते रहे है।

7. गृहकार्य और उसकी जाँच

आधारभूत तथा मध्यसत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण में गृहकार्य देने और उसकी जाँच करने के

सम्बन्ध मे विद्यार्थियों और शिक्षकों के कथन में कोई साम्य नहीं पाया गया। आधारभूत सर्वेक्षण में 21.5% पिता और 57.7% माता निरक्षर तथा मध्य सत्रीय मूल्यांकन में 23.6% पिता व 57.7 माता निरक्षर पाये गये।

8. बहुकक्षा शिक्षण :-

आधारभूत सर्वेक्षण में प्रति विद्यालय शिक्षक की औसत संख्या 2.86 पाई गई जो मध्य सत्रीय सर्वेक्षण में 2.34 अर्थात छात्र पंजीकरण / नामांकन की तुलना में पहले से कम है। अतः अधिकतम विद्यालयों में अभी भी बहुकक्षा शिक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। अतः बहुकक्षा शिक्षण के प्रभावी प्रबन्धन में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

9. परीक्षा :-

आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण 0.7% विद्यार्थी कक्षा 5 में एक वर्ष से अधिक रोके हुए पाये गये तथा वर्तमान सर्वेक्षण में ऐसे विद्यार्थियों की सया शून्य रही। इसी प्रकार कक्षा 4 में 1.6% कक्षा 3 में 3.3% विद्यार्थी गत वर्ष अनुत्तीर्ण होने के कारण पुनः अध्ययन करते पाये गये।

सारणी-1 कक्षा-2 के बच्चों का भाषा का लिंग के आधार पर आधारभूत सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय अध्ययन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

लिंग	मध्यसत्रीय सर्वेक्षण			आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण			औसत अंतर
	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	
बालक	56	58.04	36.04	417	48	28.61	10.04
बालिका	46	62.83	26.34	343	47.55	29.63	15.26
योग	102	60.2[illegible]	31.97	760	47.8	29.35	12.40

सारणी-2 कक्षा 2 के बच्चे का गणित का लिंग के आधार पर आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय अध्ययन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

लिंग	मध्यसत्रीय सर्वेक्षण			आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण			औसत अंतर
	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	
बालक	56	74.87	32.52	417	41.79	28.68	33.08
बालिका	46	84.32	21.01	343	36.79	27.34	47.53
योग	102	79.13	28.19	760	14.14	9.14	64.99

सारणी-3 कक्षा 5 के बच्चों का भाषा के लिंग के आधार पर अधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्य सत्रीय सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुल्नात्मक अध्ययन।

लिंग	मध्यसत्रीय सर्वेक्षण			आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण			औसत अंतर
	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	
बालक	38	42.64	10.00	366	40.09	9.2	2.55
बालिका	44	42.21	10.88	216	38.57	8.93	3.64
योग	82	42.41	10.42	582	39.53	8.57	2.88

सारणी-6 कक्षा 2 के बच्चों का ग्रामश्रेणीवार भाषा का आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुल्नात्मक अध्ययन।

सर्वेक्षण	अ०जा० / अ०ज०जा०			अन्य पिछड़ी जाति			अन्य			[illegible]	[illegible] अंतर [illegible] पिछड़ी जाति / अन्य
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन		
आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण	280	[illegible]	29.22	385	49.2	29.2	99	52	29.4	7.60	2.8
मध्यस्तरीय सर्वेक्षण	275	64.1	30.1	181	67.7	26.8	153	69.3	26.8	8.20	1.66

सारणी-7 कक्षा 2 के बच्चों का क्षेत्र के आधार पर गणित का आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुल्नात्मक अध्ययन।

लिंग	शहरी			ग्रामीण			औसत अंतर
	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	
आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण	417	41.79	28.68	343	36.79	27.3	5
मध्यसत्रीय सर्वेक्षण	334	76.2	24.8	275	73.6	23.8	2.60

सारणी-8 कक्षा 2 के बच्चों का जातिश्रेणीवार गणित का आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय अध्ययन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

सर्वेक्षण	अ0जा0/अ0ज0जा0			अन्य पिछड़ी जाति			अन्य			मध्यमान अंतर अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य	मध्यमान अंतर अन्य पिछड़ी जाति/अन्य
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन		
आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण	280	37.21	28.54	385	40.07	27.7	90	45.93	31.11	8.72	5.86
मध्यसत्रीय सर्वेक्षण	275	71	26.2	181	77.3	20.5	151	79.3	24.3	8.3	2.00

सारणी-9 कक्षा 5 के बच्चों का क्षेत्र के आधार पर भाषा का आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

सर्वेक्षण	शहरी			ग्रामीण			औसत अंतर
	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	
आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण	87	39.75	9.34	495	39.50	9.08	0.25
मध्यसत्रीय सर्वेक्षण	78	42.50	11.30	414	42.90	14.10	0.40

[illegible]

सर्वेक्षण	[illegible]			[illegible]			औसत अंतर
	संख्या	मध्यमान %	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान %	मानक विचलन	
बालक	366	40.09	9.2	216	38.57	8.93	1.52
बालिका	235	42.7	13.4	257	43	14.1	0.30

सारणी-11 कक्षा 5 के बच्चों का ग्राम श्रेणी के आधार पर अधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय अध्ययन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

सर्वेक्षण	अ0जा0/अ0ज0जा0			अन्य पिछड़ी जाति			अन्य			मध्यमान अंतर अ0जा0/अ0ज0जा0 अन्य	मध्यमान अंतर अन्य पिछड़ी जाति अन्य
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन		
आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण	163	39.4	9.7	336	38.6	9.39	83	41.41	9.19	2.01	[illegible]
मध्यसत्रीय सर्वेक्षण	15	42.2	13.1	193	42.9	14.8	138	43.6	12.9	1.4	

सारणी-12 कक्षा 5 के बच्चों का क्षेत्र के आधारभूत गणित का आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

सर्वेक्षण	शहरी			ग्रामीण			मध्यमान अंतर
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	
आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण	87	26.95	8.07	495	30.87	10.5	3.92
मध्यसत्रीय सर्वेक्षण	78	38.1	12.6	414	38.6	17.1	0.50

सारणी-13 कक्षा 5 के बच्चों का लिंग के आधार पर गणित का आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय अध्ययन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

सर्वेक्षण	शहरी			ग्रामीण			औसत अंतर
	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	
आधारभूत सर्वेक्षण	366	21.77	10.55	216	27.77	9.22	6
मध्यसत्रीय सर्वेक्षण	236	38.5	16.2	257	38.6	16.7	0.10

सारणी-14 कक्षा 5 के बच्चे का गणित श्रेणी के आधार पर गणित का आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (1997) एवं मध्यसत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण (2000) में सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

सर्वेक्षण	अ0जा0 / अ0ज0जा0			अन्य पिछड़ी जाति			अन्य			मध्यमान अंतर अ0जा0 / अ0ज0जा0 अन्य	मध्यमान अंतर अन्य पिछड़ी जाति / अन्य
	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान प्रतिशत	मानक विचलन		
आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण	163	30 25	10 12	336	30 22	10 32	83	30 57	10 25	0 32	0 35
मध्यसत्रीय सर्वेक्षण	161	39.33	15 01	193	39	18 2	138	37	15 5	2 33	2 0[illegible]

सारणी-15 कक्षा शैक्षिक योग्यता के आधार पर शिक्षकों का वितरण।

कुल निदर्श विद्यालय	लिंग	शिक्षकों की संख्या					
		कक्षा 10 से नीचे	कक्षा 10	कक्षा 12	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
50	पुरुष	1 (1.2%)	18 (20.9%)	35 (40.7%)	16 (18.6%)	17 (19.8%)	86 (73.5%)
	महिला	2 (6.5%	7 (22.6%)	11 (35.51)	2 (6.5%)	9 (29%)	31 (26.5%)
	योग	3 (2.6%)	25 (21.4%)	46 (39.3%)	18 (15.4%)	26 (22.2%)	117 (100%)

सारणी-16 कक्षा "व्यावसायिक योग्यता के आधार पर शिक्षकों का वितरण"।

चयनित विद्यालय	लिंग	शिक्षकों की संख्या			
		प्रारम्भिक शिक्षा मे डिपलोमा प्रमाण-पत्र	बी.एड.	एम. ए	अप्रशिक्षित
50	पुरुष	78 (90.7%)	15 (17.4%)	3	4 (4.7%)
	महिला	30 (96.8%)	5 (16.1%)	1 (3.2%)	0.0 (0%)
	योग	108 (92.3%)	20 (17.1%)	4 (3.4%)	4 (3.4%)

तालिका
शिक्षकों के पदस्थापन के आधार पर विद्यालयों की स्थिति

विद्यालय स्तर	शिक्षक विहीन विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार/अधिक शिक्षक विद्यालय
प्राथ० स्तर योग - 973	18	372	160	227	196
उ०प्रा० स्तर योग - 181	13	38	49	60	21

जनपद फिरोजाबाद में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 973 हैं। जिनमें दुर्भाग्य से 18 विद्यालयों में अभी भी किसी शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो सकी है। 372 प्रा० विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक है जिसमें शिक्षा मित्रों की व्यवस्था कर दी गई है। चार या चार से अधिक शिक्षकों वाले 196 विद्यालय हैं। जो शहरी आबादी के नजदीक हैं और काफी प्रयास करने के बाद भी शिक्षकों का समान वितरण राजनैतिक या अन्यान्य दबावों के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में कुल 13 विद्यालय अध्यापक विहीन हैं। जिन्हे खोलने के

लिये प्राथमिक स्तर से शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है। पदोन्नति सूची जारी होनें वाली है और यह आशा की जाती है कि इस माह तक इन विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था हो जायेगी।

परिपदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के गणित शिक्षकों का एस0ओ0 पी0टी0 प्रशिक्षण 5 शिवरों में संस्थान में आयोजित किया गया जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के न्यूनतम एक गणित शिक्षक द्वारा प्रतिभागिता की गयी। प्रायः देखा जाता है कि कक्षा 6,7 एवं 8 की कक्षाओं में गणित शिक्षण, हिन्दी, सामाजिक विषय आदि की तरह पाठ्यपुस्तक की सहायता से किया जाता है और मुख्य बल गणितीय सूत्रों को रटने-रटाने पर होता है, गणितीय संकल्पनाओं को समझने समझाने पर नहीं अतः राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (एस0आई0एस0ई0) द्वारा विकसित शिक्षक संदर्शिका के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त संस्थान के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा यह दस दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया जिसमें कक्षा 6,7 एवं 8 की गणित पाठ्यपुस्तक की आधार भूत मूल सख्याओं को उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा विविध क्रिया कलापों के माध्यम से सरलतम् करने का प्रयास किया गया जिससे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण एक रोचक क्रिया कलाप का रूप ले सके और विद्यार्थी रटने के स्थान पर इन संकल्पनाओं को भली भांति समझ सके और दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके ब्लाक स्तर पर प्रतिभागिता निम्न सारिणी के आधार पर की गई।

तालिका

उ0प्रा0वि0 के गणित शिक्षकों का एस0ओ0पी0टी0 दस दिवसीय प्रशिक्षण

क्रमांक	ब्लॉक/नगर क्षेत्र	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या
1	अरॉव	24
2	एका	21
3	जसराना	23
4	खैरगढ़	30
5.	मदनपुर	38
6.	शिकोहाबाद	36
7	फिरोजाबाद	54
8	टूण्डला	24
9	नारखी	23
10	नगर क्षेत्र फिरो0/ शिकोहाबाद	06
	योग	279

उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित और विज्ञान के शिक्षकों का छात्र नामांकन कक्षा के अनुसार अभाव है। प्रायः देखा जाता है कि अध्यापक में सम्बन्धित विषय (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) की पाठ्यपुस्तक पर आधारित समान्य विषय वस्तु की जानकारी भी नहीं रखते हैं और कक्षा 6, 7 और 8 के विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को भी स्वयं हल नहीं कर पाते हैं अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर पर इन अध्यापकों को शिक्षण विधा के साथ ही साथ इन तीनों विषयों में विषय वस्तु की जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित किट, विज्ञान किट का नितान्त ही अभाव है तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित न होने के कारण इन्हें किसी प्रकार की संसाधन सहायता भी नहीं दी जा सकी है।

बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों की अंग्रेजी ज्ञान सम्बन्धी कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती है तथा चयन होने के उपरान्त उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति के उपरान्त वे कक्षा 3 से कक्षा 8 तक अंग्रेजी शिक्षण कार्य करेंगे। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे शिक्षकों का भाषागत विषयवस्तु का ज्ञान शून्य होता है और वे कक्षा 3 से लेकर 8 तक की अंग्रेजी भाषा की राज्य सरकार द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर समझने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। अतः ऐसे शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण में विषयगत सम्बोधों को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

III

कार्ययोजना एवं गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित ~~आवश्यकताधारित प्रशिक्षण~~ :- प्रस्तावित गतिविधि

सर्व शिक्षा अभियान विद्यालयी व्यवस्था के सामुदायिक स्वामित्व एवं प्रबन्धन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु एक प्रयास है

- यह निश्चित समयावधि में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का कार्यक्रम है
- यह वेसिक शिक्षा के द्वारा सामाजिकता को बढ़ाने का सुअवसर है
- यह पंचायत राज संस्थाओं, विद्यालयों प्रबन्धन समितियों, ग्रामीण तथा शहरी शिक्षा समितियों मलिन बस्तियों, शिक्षक अभिभावक संघों, जन जातीय स्वायत्तशासी निकायों और अन्य आधारभूत संस्थाओं को प्राथमिक (प्रारम्भिक) विद्यालयों के सक्रिय प्रबन्धन में जोड़ने का प्रयास है

- यह पूरे देश में सर्वव्यापक प्रारंम्भिक शिक्षा को प्राप्त की राजनीतिक इच्छा का पाकट्य है
- सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिए सन् 2010 तक उपयोगी और उपयुक्त प्रांरभिक शिक्षा प्रदान करने का अभियान है इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य लिंग, सामाजिक क्षेत्रीय खाई को समुदाय को सक्रिया सहभागिता तथा उचित विद्यालय प्रबन्धन द्वारा पाटना है
- इसका उद्देश्य बच्चों को अपने प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से इस तरह संयोजित करना है कि वे अपनी मानवीय क्षमताओं का सम्पूर्ण उपयोग कर सकें

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य :-

- सभी बच्चों को सन् 2003 तक विद्यालय, ई0जी0एस0 केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर से संयुक्त करना
- इस प्रकार संयुक्त सभी बच्चों द्वारा सन् 2007 तक पाँच वर्षीय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना
- "जीवन के लिए शिक्षा" पर मुख्य बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा की संतोषजनक गुणवत्ता प्राप्त करना
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2010 तक सभी लिंग और सामाजिक समूहों के बीच खाई को पाटना

सर्वशिक्षा अभियान की रणनीति :-

- संस्थागत सुधार : जनपद में सम्प्रति में कार्यरत प्रारम्भिक शिक्षा संस्थाओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके अपेक्षित वांछित सुधार करना
- सामुदायिक स्वामित्व : वास्तविक एवं प्रभावकारी विकेन्द्रित व्यवस्था जिसमें महिला समूह, ग्राम शिक्षा समितियो, अन्य पंचायत राज संस्थाओं की अधिकाधिक क्रियाशीलता हो
- संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन : जनपद फिरोजाबाद में बस्ती, मजरा, ग्राम, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, डायट एवं अन्य समूहों का प्रशिक्षण एवं विभिन्न अन्तक्रिया कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी क्षमता में अभिवृद्धि करना। जिससे वे पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओ का निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर सकें।

- सूचना व्यवस्था (ई०एम०आई०एस०) : जनपद फिरोजाबाद में बालश्रम समस्या का प्रादुर्भाव होने के कारण गली, मोहल्ले, वार्ड एव अर्द्धशहरी क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु व्यापक सूचना तंत्र की व्यवस्था। जिससे 6-14 वय वर्ग के सभी बालश्रमिकों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ा जा सके

- किसी भी छोटी-छोटी बस्ती/आबादी को नियोजन की इकाई मानते हुए व्यापक सर्वेक्षणोपरान्त जिला योजना तैयार करना

- समुदाय को सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर जिम्मेदार बनाना

- लड़कियों की (विशेष रूप एस०सी०,एस०टी० तथा अल्पसंख्यक समूह) विशेष रूप से शिक्षा व्यवस्था करना

- विशिष्ट समूहों जैसे फिरोजाबाद कॉच उद्योग से जुड़ी मलिन बस्तियो जिसमें अधिकांशतया अल्पसंख्यक वर्ग के बालक, बालिका से है की विशिष्ट आवश्यकताओं का ऑकलन कर समुचित प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना

- सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व परियोजना चरण में सभी लक्ष्य समूहों का डोर टू डोर सर्वेक्षण कर समुदाय आधारित सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालयी मानचित्रण किया जाना है साथ ही साथ समुदाय विशेष के प्रतिनिधियों को सीधेरूप से इस कार्य हेतु उत्तरदायी बनाने हेतु सघन रूप से प्रशिक्षित किया जाना है। बालश्रम समस्या से निपटने के लिए नियोजको एवं कारखाना मालिकों एवं ठेकेदारों को भी प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना है।

- गुणवत्ता पर विशिष्ट बल : सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम की पुनः समीक्षा कर विशिष्ट समस्या समूहों (बाल श्रमिकों) को उनके वयवर्ग के आधार पर क्रिया आधारित एवं बाल केन्द्रित बनाना तथा इसी तरह की अन्य प्रभावकारी शिक्षण अधिगम नीतियों का निर्धारण करना।

- शिक्षकों की भूमिका : सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की केन्द्रीय एवं विशिष्ट भूमिका है अतः उनकी क्षमता अभिवृद्धि एवं सम्वर्धन हेतु निरन्तर प्रभावकारी प्रयास प्रशिक्षण के माध्यम से ... प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकता आधारित तथा क्षेत्र विशेष की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर किये जायेंगे।

- जिला प्रारंम्भिक शिक्षा योजना :- जनपद फिरोजाबाद की प्रारंम्भिक शिक्षा व्यवस्था के पुर्नगठन हेतु एक समेकित योजना तैयार की गयी है जिसमें स्थानीय स्तर पर आवादी की सबसे छोटी इकाई (बस्ती) को जिला योजना हेतु पर्याप्त महत्व दिया गया है शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यकता आधारित वृहद योजना डायट द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर प्रत्यक्ष विद्यालय शिक्षण अनुभव के माध्यम से आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण शिक्षकों द्वारा स्वअनुभूत विशिष्ट कठिनाइयों के आधार पर किया जायेगा।

शोध, मूल्यांकन पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण :-

जैसा कि गुणवत्ता सम्वर्द्धन सर्वशिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषता है, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सदैव इसकी प्राथमिकता होगी।

गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि इस अभियान की क्रिया विधि तथा उद्देश्यों से सभी भलीभाँति परिचित हो जायें तथा विद्यालय प्रबन्धकारणी समितियों एवं अन्य संस्थाओं के साथ पूर्ण साझेदारी और समन्वय स्थापित रहे। उपर्युक्त निरीक्षण प्रपत्रों का विकास विविध अभिमुखीकरण कार्यक्रमों से किया जायेगा और इनमें लगातार सुधार अपेक्षित होगा ताकि गुणवत्ता को स्थिर रखने हेतु सतत् प्रयास अनवरत जारी रहे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशि० परिषद, नई दिल्ली (एन.सी.ई.आर.टी.) के सहयोग से जनपद फिरोजाबाद में कक्षा 6 से 8 तक का शैक्षिक उपलब्धि के सदर्भ में आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण (बी.ए.एस.) कराया जायेगा।

सभी मूल्यांकन । शिक्षण पर्यवेक्षण एक निश्चित समयावधि बाद किये जायेंगे और इनके प्रपत्रों में वांछित परिवर्तन और परिवर्द्धन गुणवत्ता के स्थायी बनाये रखने के लिए किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों, शिक्षक अभिभावक संघ, माता-अध्यापक संघ, नियमित मासिक या पाक्षिक बैठकें आयोजित की जायेंगी तथा विद्यालय की सम्पूर्ण शैक्षिक प्रगति सूचनापट पर जन सामान्य हेतु पारदर्शिता बनाये रखने के लिए सहज सुलभ होगी। बच्चों की शैक्षिक प्रगति के मापन हेतु सर्व शिक्षा अभियान आरम्भिक होने से प्रत्येक 3 वर्ष में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वृहद आवधिक सम्प्राप्ति मूल्यांकन कराया जायेगा तथा इसकी तुलना बेस लाइन सर्वेक्षण के उपलब्ध आंकड़ों से की जायेगी जिससे वांछित प्रगति का निर्धारण किया जा सके।

राज्य, जिला, शाखा, न्या० पंचायत, संदर्भ समूह, एस.सी.ई.आर.टी., डायट बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करेंगे।

इन समूहों के गठन तथा कार्यकलापों के बारे में समस्त सूचनायें परियोजना सूचना प्रबन्धन का अभिन्न अंग होगी।

जनपद स्तर इन समूहों का गठन डी.आई.ई.टी. (डायट), जिला संसाधन समूह, उच्च शिक्षा संस्थायें, एन.जी.ओ.एस. तथा ऐसे अध्यापकों को मिलाकर किया जायेगा। जिन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिनव प्रयोग किये है।

सारणी

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	165	165
परीक्षा	10	10
अन्य वर्ग	15	15
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
समुदाय से सम्पर्क	10	10

सारणी

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार

	प्राथमिक स्तर यादन / समय	उच्च प्राथमिक स्तर यादन / समय
भाषा - 1 हिन्दी	प्रति घंटा 40 मिनट x 9	40 मिनट x 9
भाषा - 2 अंग्रेजी	प्रति घंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 5
भाषा - 3 संस्कृत	प्रति घंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 5
विज्ञान	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
गणित	प्रति घंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 10
सामाजिक विषय	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
समाजोपयोगी कार्य	प्रति घंटा 40 मिनट x 5	40 मिनट x 4
कला शिक्षण	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 3
अन्य प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा कृषि शिक्षा पर्यावरणीय अध्ययन	प्रति घंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 3

उपयुक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 165 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवस की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में आकादमिक नेतृत्व प्रदान करने तथा शिक्षकों की शिक्षण विधा को निरन्तर उत्कृष्ट बनाने की दिशा में समय-समय पर आवश्यकतानुसार (जिसे विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं सर्वेक्षण द्वारा आंकलित किया जावेगा) प्रशिक्षण आयोजित करेगा जिसके लिये प्रशिक्षण आयोजित करने से पूर्व उपयुक्त प्रशिक्षण पैकेज तथा संदर्भ व्यक्तियों / प्रशिक्षकों का चयन निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में करना अभीष्ठ होगा। शिक्षकों द्वारा अनुभूत सामान्य कठिनाइयों एवं विषयगत कठिनाई स्थलों को दृष्टिगत रखते हुय उनका श्रेणीकरण किया जायेगा और निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रथम वर्ष से पांच वर्ष तक आयोजित किये जायेंगे जिनमें परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन सम्भव है।

(अ) प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण

प्रथम वर्ष 2002-03

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
०१	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का कक्षा १-५ तक की पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक संदर्शिकाओं पर आधारित प्रशिक्षण	८ दिवसीय	सेवारत प्र०अ०/स०अ० एव शिक्षामित्र
०२	कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की कार्यशाला	३ दिवसीय	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी समन्वयक
०३	कार्यशाला	बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु कार्यशाला (एन.पी.आर.सी. स्तर पर)	१-२ दिवसीय	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्राथ० विद्यालयों के प्र०अ०/स०अ०
०४	प्रदर्शनी	एक दिवसीय मैटीरियल मेला न्याय पंचायत स्तर पर	-	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०
०५	मासिक बैठक / कार्यशाला	विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बैठक कार्यशाला	१ मासिक	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०

द्वितीय वर्ष 2003-04

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
०१	प्रशिक्षण	सेवारत प्राथमिक शिक्षकों का भाषा, गणित विषयक प्रशिक्षण	७ दिवसीय	सेवारत प्र०अ०/स०अ० एव शिक्षा मित्र
०२	कार्यशाला	बहुकक्षा शिक्षण एवं बहुस्तरीय शिक्षण पर बी.आर.सी. स्तर पर कार्यशाला	२ दिवसीय	ब्लाक के समस्त प्र० अ० / स० अ०
	कार्यशाला	एन.पी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण फालोअप कार्यशाला	१ दिवसीय	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०
०४	प्रशिक्षण	प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक शिक्षण समय बढाने हेतु शिक्षण रणनीतियों निर्धारण विषयक प्रशि० (न्याय पंचायत स्तर)	३ दिवसीय	

तृतीय वर्ष

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
०१	प्रशिक्षण	सेवारत प्राथमिक शिक्षकों का कक्षा १ से ५ तक पर्यावरण अध्ययन/, सामाजिक विज्ञान/विज्ञान विषयक प्रशिक्षण	८ दिवसीय	सेवारत प्र०अ०/स०अ० एवं शिक्षामित्र
०२	कार्यशाला	विज्ञान शिक्षण को रूचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ्य योजना निर्माण विषयक कार्यशाला	२ दिवसीय	ब्लाक के समस्त एन पी आर सी सम एवं प्र०अ०/स० अ०
०३	कार्यशाला	कक्षा-३,४,५, में सामाजिक विषय शिक्षण विषयक बी आर सी स्तर पर	२ दिवसीय	ब्लाक के समस्त एन पी आर सी सम एवं प्र०अ०/स० अ०
०४	कार्यशाला	बी आर सी स्तर पर सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्नो/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु कार्यशाला	२ दिवसीय	ब्लाक के समस्त एन पी आर सी सम० एवं प्र०अ० स० अ०
०५	मासिक बैठक / कार्यशाला	विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फॉलोअप के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बैठक कार्यशाला	१ मासिक	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०

चतुर्थ वर्ष

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
०१	प्रशिक्षण	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित प्रशिक्षण	५ दिवसीय	सेवारत प्र०अ०/स०अ० एवं शिक्षा मित्र
०२	कार्यशाला	न्याय पंचायत स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठयोजनाओं की प्रस्तुति तथा सामग्री निर्माण की कार्यशाला	३ दिवसीय	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०
०३	कार्यशाला	एन पी आर सी स्तर पर कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला	२ दिवसीय	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०
०४	मासिक बैठक कार्यशाला	विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशि० के फालोअप के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बैठक कार्यशाला	१ मासीय	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०

पंचम वर्ष

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
०१	प्रशिक्षण	सेवारत प्रा० शिक्षकों का पूर्व प्रशि० कार्यक्रमों के आधार पर अनुभूत प्रमुख कठिन स्थलों का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण	८ दिवसीय	सेवारत प्र०अ०/स०अ० एवं शिक्षामित्र
०२	प्रशिक्षण	प्रत्येक प्राथ.वि. में कक्षा - ३ में अंग्रेजी/संस्कृत विषयक प्रशि० ब्लाक स्तरीय	५ दिवसीय	समस्त न्याय पंचायत प्रभारी एवं प्रत्येक विद्यालय से प्र०अ० + एक स०अ०
०३	प्रशिक्षण	प्रत्येक उर्दू प्राथ.वि. में कक्षा-३ में उर्दू विषयक ब्लाक स्तरीय प्रशि०	५ दिवसीय	समस्त सम्बन्धित न्याय पंचायत प्रभारी एवं प्रत्येक प्रा०वि० से प्र० अ०+एक स०अ०
०४	प्रशिक्षण	नव नियुक्त स० अ० के लिए सेवापूर्वागम प्रशि० डायट स्तरीय	१० दिवसीय	नवनियुक्त समस्त स० अ०
०५	प्रशिक्षण	प्र०अ० पद पर नवीन पदोन्नत स.अ. का नेतृत्व, समय प्रबन्धन, विद्यालयी अभिलेख रखरखाव, विद्यालय पर्यवेक्षण आदि-२ विषयक पाँच दिवसीय डायट स्तर पर कार्यशाला	५ दिवसीय	समस्त सम्बन्धित प्र० अ० जनपद फिरोजाबाद
०६	मासिक बैठक / कार्यशाला	विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर		न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र०अ०+स०अ०

1. शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी का 30 दिवसीय प्रशिक्षण

2 शिक्षा मित्र एवं आचार्य हेतु 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

3. वैकल्पिक शिक्षा के अभिकर्मियों का आधारभूत 15 दिवसीय प्रशिक्षण

4. वैकल्पिक शिक्षा के अभिकर्मियों का 10 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।

5. ई.सी.सी.ई. कार्यकत्रियों का 07 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

6 बी.आर.सी./न्यायपंचायत समन्वयकों का उच्च प्राथमिक शिक्षा के नवीन उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में क्षमता वृद्धि विषयक 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर

7 जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा बी.एस.ए., डिप्टी बी.एस.एस., ए.बी.एस.ए., जिला समन्वयक एवं नवागन्तुक डायट स्टाफ अभिकर्मियों का सर्वशिक्षा अभियान के विशिष्ट उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट प्रशिक्षण

8 उ0प्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 मई 2000 द्वारा गठित ग्राम शिक्षा समितियों (5 सदस्यीय) का एस.एस.ए. के सन्दर्भ मे 03 दिवसीय सघन प्रशिक्षण।

नवाचार शिक्षा/वैकल्पिक शिक्षा -

जनपद फिरोजाबाद अपनी विशिष्ट स्थानीय एवं व्यावसायिक विशिष्टताओं के कारण सदैव ही बाल श्रम से शापित रहा है यहाँ अधिसंख्य निर्बल आय वर्ग (जिसमें हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय की लगभग आधी आबादी है) के 6-14 वय वर्ग के अधिसंख्य बच्चे कांच उद्योगों से सम्बन्धित प्रक्रियाओ में संलग्न है। और इस तरह यह वर्ग प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की दिशा में मुख्य बाधा रहा है।

अनेक प्रयास पूर्व में भी किये जाते रहे हैं परन्तु वांछित सफलता अभी तक नहीं मिल सकी है। और यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका है कि ये बाल श्रमिक प्रतिदिन 6 घंटे का समय प्राथमिक विद्यालय या वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (ज्ञान केन्द्र/ ज्ञानशाला) को दे सकें। अतः बाल श्रमिकों की वास्तविक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये मलिन बस्तियों (जिनकी संख्या नगर पालिका फिरोजाबाद के अनुसार चार है।) एवं अपने माता-पिता, भाई-बहिन के

साथ अपने आवा ो मे खाद्य की चूढ़ी की चुड़ाई कटाई, छटाई आदि प्रक्रियाओं में संलग्न रहते हैं। असंगठित क्षे के 6-14 वय वर्ग के बाल श्रमिकों जिनमें अधिकांश संख्या बालिकाओं की है, की शिक्षा व स्था छोटे-छोटे समूहों में उनकी सुविधा के अनुसार ही सम्पादित की जा सकती है। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि ऐसे बालश्रमिकों की पहिचान गली, मुहल्ला, वार्ड स्तर पर स्थानी उत्साही युवक/युवतियों की सहायता से की जाय और बाद में उन्हीं को अनुदेशकों को र ोजित कर प्रशिक्षित किया जाए और प्रारंभिक शिक्षा के विशिष्ट पाठ्यक्रम में इन बालश्रमि ।, आयु, मानसिक योग्यता और ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर लागू किया जाय।

गुणवत्ता सम र्द्धन में डायट की भूमिका :-

डायट की स्थापना निम्नांकित 03 उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की गई है :-

1. प्रशिक्षण सेवा पूर्व एव सेवारत)
2. क्रियात्मक अनुसंधान (शैक्षिक समस्याओं के निवारणार्थ)
3. शैक्षिक अनुसमर्थन (समस्त क्षेत्रीय इकाइयों बी.आर.सी. एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एव एन.जी.ओ.एस. को गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु)

डायट से पेक्षा होती है कि वह सम्पूर्ण जनपद को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करे अतः सर्वशिक्षा अभि न को सफल बनाने में तथा गुणवत्ता सम्वर्द्धन में डायट की केन्द्रीय भूमिका होती है तथा इ के द्वारा अनेकानेक कार्यक्रम किये जायेंगे कुछ निम्नांकित है-

- क्षमता स वर्द्धन :- सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित इकाइयों एवं समूह का
- आकदमि समूहों का सुदृढीकरण :- सतत् मूल्यांकन एवं अनुश्रवण द्वारा
- क्रियात्मक अनुसंधान - प्रशिक्षणों के उपरान्त उनके प्रभाव प्रगति का आँकलन तथा रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में
- सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री के बहुस्तरीय उपयोग के सम्बन्ध में सेवारत शिक्षकों को प्रदान की जा रही अध्यापक अनुदान का समुचित उपयोग कराने हेतु न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान नगला अमान फिरोजाबाद की जनशक्ति

सारणी

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की [illegible] - अक्टूबर 2001

क्र०सं०	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	प्राचार्य	01	-	01
2.	उप प्राचार्य	01	01	-
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
4	प्रवक्ता	17	08	09
5	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	
6	तकनीकी सहायक	01	01	
7	[illegible]	01	01	
8	पुस्तकालय अध्यक्ष	01	-	01
9	कार्यालय अधीक्षक	01	01	-
10.	लेखाकार	01	01	-
11.	आशुलिपिक	01	01	-
12	कनिष्ठ लिपिक	09	05	04
13.	प्रयोगशाला सहायक	02	-	02
14.	परिचारक	05	05	
	योग	48	26	22

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण/कार्यशाला एक दृष्टि में

क.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विभागीय कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य डी.पी.ओ. स्टाफ ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण (1 आधारभूत प्रशिक्षण (2 रिफ्रेशर प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्य जी	10 दिन
4	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण (1 आधारभूत प्रशिक्षण (2 रिफ्रेशर प्रशिक्षण	अनुदेशक	25 दिन 15 10
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयक.	03 दिन
6	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाये	07 दिन
7	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयक	05 दिन
8	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु वी.आर.जी. का प्रशिक्षण	वी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन

10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्रा0 विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागत प्रशिक्षण	नव नियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृ [illegible] प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक [illegible] न रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटे [illegible] रियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत [illegible] व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक डायट स्टाफ चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अका [illegible] दमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	[illegible] प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित उ0 प्राथ0 वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनु [illegible] अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक, शिक्षिकायें	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथ0 कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन

22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	क[illegible] शिक्षण में श्रव्य दृश्य मा[illegible]म से उपयोग संबंधी क[illegible]शाला	बी.आर.सी. सम. के चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	स[illegible] श्रेणी शिक्षण हेतु "[illegible]ल्फ लर्निंग मेटीरियल" क[illegible] विकास सम्बंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26	व[illegible]तविक शिक्षण समय को ब[illegible]ने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	स[illegible]थान क्षमता विकास [illegible]र्यशाला	डायट संकाय के सदस्य	03 दिन
28	[illegible] श्रमिकों के लिए वै[illegible]ल्पिक/पूरक सामग्री [illegible]र्माण कार्यशाला	डायट संकाय के सदस्य	05 दिन

अव[illegible]मिक शैक्षिक सपोर्ट में डायट बी. आर. सी., एन. पी. आर. सी. की समेकित [illegible]मिका - जनपद में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा न्यायपंचायत स्तर पर क्रमशः डायट, बी. आर. सी. तथा एन. पी आर. सी. शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण प्रदान करने वाली सस्थायें है शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण का प्रवाह क्रमशः डायट → बी. आर. सी. → एन. पी. आर. [illegible] → विद्यालय तथा विद्यालय → एन. पी. आर. सी. → बी. आर. सी. → डायट तथा डायट से सीधे → एन. पी. आर. सी. व विद्यालय आदि चतुर्दिश चलेगा। जैसा कि निम्नलि[illegible]खित चक्रिय चक्र से स्पष्ट है और यह सभी क्रियायें बालक को ध्यान में रखकर की जायेगी।

गुणवत्ता संवर्द्धन का मार्ग

पाठ्यक्रम सहायक शिक्षण सामग्री / प्रक्रिया

- पाठ्यपुस्तकें
- अनुपूरक अध्यापन सामग्री
- छात्रों का मूल्यांकन

शिक्षक शसक्तीकरण

- शिक्षण प्रशिक्षण (क्षमता सम्वर्द्धन, अभिवृत्ति परिवर्तन, लिंग संवेदन शीलता)
- शिक्षक अनुदान (सं० 500/-)

विकेन्द्रीकृत अकादमिक सहायता

- डी.पी.ई.पी. द्वारा ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को उपलब्ध करायी जाने वाली अकादमिक सहायता
- शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण
- एस० सी० ई० आर० टी० / डायट /क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों यथा एस.डी. आई./ए.बी.एस.ए. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता

संस्थगत क्षमता अभिवृद्धि

- एस० सी० ई० आर० टी० / डायट वी० आर० सी० / एन० वी० आर० सी०

↓

- बच्चों का अपेक्षाकृत सुधरा हुआ सम्प्राप्ति स्तर
- विद्यालय सुधार एवं कक्षा कक्ष प्रक्रिया का आनन्ददायी क्रियाधारित एवं बालकेन्द्रित होना

प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला मासिक बैठक भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण कर प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जाता है।

अभी तक डी.पी.ई.पी. में यह कार्य प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-5 तक) तक ही किया जाता था। परन्तु अब सर्व शिक्षा अभियान में यह कार्य परिषदीय/अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाई स्कूल तथा इण्टर कॉलेजों में 6-8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, छात्रों, वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

बी.आर.सी. (ब्लॉक संसाधन केन्द्र) - ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता विकास हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी. आर. सी.) की स्थापना की गई है। जो निम्न लिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों ई.जी.एस. तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण
- सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु ग्रा० शि० समितियों तथा स्वयं सेवी संस्थानों का प्रशिक्षण
- शैक्षिक सूचना प्रबन्ध (ई.एम.आई.एस.) आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण
- अकादमिक समस्याओं के समाधान हेतु डायट, एन.पी.आर.सी. तथा विद्यालय से सीधा सम्पर्क
- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सन्दर्भ समूह (बी.आर.जी.) का गठन एवं उसका प्रशिक्षण
- क्रियात्मक शोध एवं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों को सहयोग
- विद्यालयी विकास कार्यक्रम का निर्माण एवं उसका अनुश्रवण
- ब्लॉक स्तर पर सहा० शिक्षण सामग्री के निर्माण विषयक कार्यशालायें।
- विद्यालय भ्रमण तथा आदर्श पाठ योजनाओं का प्रस्तुतीकरण

एन. पी. आर. सी. (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र) शैक्षणिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण की दृष्टि से न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित एन. पी. आर. सी. के प्रमुख कार्य इस प्रकार है।

- वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण करना
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा सेमिनार का आयोजन करना।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों ई.सी.सी.ई केन्द्रों तथा ई.जी.एस. केन्द्रों को अकादमिक सहायता प्रदान करना
- सामुदायिक सहभागिता हेतु न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों, महिला प्रेरक समूह, अध्यापक-अभिभावक संघ, अध्यापक माता संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठ योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करना
- विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा उस पर कार्य करना।

सप्लीमेण्टरी रीडिंग मैटीरियल का निर्माण - न्याय पंचायत स्तर ब्लॉक स्तर तथा जनपद स्तर पर कार्यशालायें कर जनपद विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत एवं ग्रामीण स्तर की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना, स्थानीय बोली, लोगों का रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान तथा महत्वपूर्ण स्थल एवं घटनाओं से सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री (सप्लीमेण्टरी रीडिंग मैटीरियल) का निर्माण कराया जायेगा जिसे छात्र अपने स्थानीय परिवार से भली भाँति परिचित हो सके।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय न्याय पंचायत ब्लॉक तथा जनपद स्तर पर क्रमशः शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन निरन्तर किया जायेगा।

योजना निर्माण की प्रक्रिया - सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए बनायी गयी योजना में निम्न घटकों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

- जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ बैठकों में विचार विमर्श
- फोकस ग्रुप डिस्कशन के अन्तर्गत डायट स्तर पर डायट स्टाफ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहा. बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक के साथ विचार विमर्श।
- योजना निर्माण की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण एवं स्रोत के रूप में डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं बी.आर.सी. समन्वयक तथा एन. पी. आर. सी. समन्वयको का सहयोग
- योजना निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं तथा समुदाय के सभी सदस्यों का सहयोग।

- वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण करना
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा सेमिनार का आयोजन करना।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों ई.सी.सी.ई केन्द्रों तथा ई.जी.एस. केन्द्रों को अकादमिक सहायता प्रदान करना
- सामुदायिक सहभागिता हेतु न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों, महिला प्रेरक समूह, अध्यापक-अभिभावक संघ, अध्यापक माता संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठ योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करना
- विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा उस पर कार्य करना।

सप्लीमेण्टरी रीडिंग मैटीरियल का निर्माण - न्याय पंचायत स्तर ब्लॉक स्तर तथा जनपद स्तर पर कार्यशालायें कर जनपद विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत एवं ग्रामीण स्तर की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना, स्थानीय बोली, लोगों का रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान तथा महत्वपूर्ण स्थल एवं घटनाओं से सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री (सप्लीमेण्टरी रीडिंग मैटीरियल) का निर्माण कराया जायेगा जिसे छात्र अपने स्थानीय परिवार से भली भाँति परिचित हो सके।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय न्याय पंचायत ब्लॉक तथा जनपद-स्तर पर क्रमशः शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन निरन्तर किया जायेगा।

योजना निर्माण की प्रक्रिया - सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए बनायी गयी योजना में निम्न घटकों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

- जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ बैठकों में विचार विमर्श
- फोकस ग्रुप डिस्कशन के अन्तर्गत डायट स्तर पर डायट स्टाफ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक के साथ विचार विमर्श।
- योजना निर्माण की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण एवं स्रोत के रूप में डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं बी.आर.सी. समन्वयक तथा एन. पी. आर. सी. समन्वयकों का सहयोग
- योजना निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं तथा समुदाय के सभी सदस्यों का सहयोग।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्याख्या

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद स्तर पर पुरस्कार तथा प्रोत्साहन के नियम इस प्रकार हैं।

नाम पुरस्कार/प्रोत्साहन प्राप्तकर्त्ता	धनराशि	मूल्यांकन कर्त्ता
• जनपद की सर्वश्रेष्ठ दो बी.आर.सी.	प्रत्येक को रू0 10,000.00	
• प्रत्येक विकास खण्ड का एक सर्वश्रेष्ठ एन.पी.आर.सी.	प्रत्येक को रू0 7000.00	
• प्रत्येक विकास खण्ड को सर्वश्रेष्ठ एक ग्राम शिक्षा समिति को	प्रत्येक को रू0 5000.00	
• प्रत्येक विकास खण्ड के एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को/शिक्षा मित्र को	प्रत्येक को रू0 1000.00	

पुरस्कार में प्राप्त उपरोक्त धनराशि का उपयोग बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. - समन्वय को व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सम्वर्द्धन में सामुदायिक सहभागिता :-

शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि के लिए स्थानीय जन समुदाय एवं ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं। विद्यालयों में शैक्षिक क्रिया कलापों के निरीक्षण एव अनुश्रवण के अवसर प्राप्त होने से शिक्षा में सुधार हुआ है। इस प्रक्रिया से ग्रा0 शि0 समितिया विद्यालयों में भौतिक संसाधन एवं विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों एवं प्रशासन में सहयोग प्रदान कर रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभिभावकों को विद्यालयों में जाकर अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति एव अन्य शैक्षिक सुझाव देने के अवसर प्राप्त होंगे। और विद्यालय के अध्यापकों के साथ साथ शैक्षिक गुणवत्ता बनाये रखने में अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अधिकार प्राप्त होगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण :-

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रु0 लाख में)
1	कार्यानुभव कक्ष की छत तथा ऊपर कक्ष	8.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
4.	कम्प्यूटर कक्ष (ए.सी. सहित)	8.00
	योग	26.00 लाख

उपकरण / साज सज्जा :-

		अनुमानित लागत (रु0 लाख में)
1.	कम्प्यूटर (4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी-मेज	1.50
3.	जनरेटर, वाटर कूलर	1.00
	योग	8.50 लाख

आवर्तक (प्रतिवर्ष) -

		अनुमानित लागत (रु0 लाख में)
1.	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2	कार्यशालाएं / सेमीनार	4.00
3	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेसी	2.00
5.	वाहन रख-रखाव / पी.ओ.एल.	1.00
	योग	13.00

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय –10
परियोजना कियान्वन एंव अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि मे 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओ को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिए जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चत कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा ओर यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही , दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमो का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापको व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चत की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रकियाओं मे सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशो को अवधि प्रवाह प्रदान करने और वाचारात्मक विधियो के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है ।

संगठनात्मक ढाँचा नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यो के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहा एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापको में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।
3. बेसिक स्कूलो के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे। — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी–

(क) पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलो के निष्पादन हेतु प्रशासन , नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलो के विकास , प्रसार और सुधार के लिए योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा , सदाचार शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलो , उनके भवनो और उपकरणो के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ज) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो कि बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियो के समय पालन ,

और उपथिति को सुनिश्चत करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यो को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विधालय भवनो का निर्माण , परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणो की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो मे जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विधालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यो को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओ में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनो का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रो , अनुदेशको , आचार्यो , आंगनवाडी केन्द्रो के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृतियों का वितरण , पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण मे किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0 पी0 आर0 सी0) :–

इस जनपद मे सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया गया है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियो की नियुक्ति कर उन्हे प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रवण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार–विमर्श एंव उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयो मे गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन। -

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य /सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयो का अनुपालन सुनश्चित करना तथा ब्लाक पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियायन्न एव अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा [illegible] समिति ग्राम शिक्षा समितियों एव जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र [illegible] कार्य [illegible] रोजगार योजना /जे0 जी 0 एस0 वाई0 के लिए आवंटित धन [illegible] आवश्यकता के आधार पर धन उपलब्ध करानें में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक आनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर

प्रत्येक ब्लाक पंचायत स्तर पर [illegible] बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विधालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को कियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विधालय निरीक्षक परियोजना कियान्वयन एव प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हे आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विधालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने मे विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :-

1. सर्व शिक्षा अभियान की [illegible] एव कार्यकमों का कियान्वयन।
2. विधालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकडे एकत्रित कर संकलित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
7. खाद्यान्न वितरण [illegible] सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
8. विधालयों में अध्ययनरत [illegible] बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को [illegible] पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
9. विधालयों का निरीक्षण [illegible] शिक्षा गुणवत्ता मे सुधार लाना।
10. विधालयों में मानक के [illegible] अध्यापक--छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों एवं ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
12. अध्यापकों के वेतन बिल [illegible] करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई. जी. एस. तथा ए. आई. ई. के [illegible] अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विधालय निरीक्षक करेंगे तथा ई. जी. एस. तथा ए. आई. ई. केन्द्रो पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एव कार्यकम [illegible] नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यकम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के [illegible] हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व मे ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में [illegible] की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान मे विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका मे समस्त दायित्वो का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढाने के उद्देश्य से एक मोटर

[illegible] के साथ यात्रा भत्ता रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति [illegible] खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है [illegible] ई. जी. एस. / ए. आई. ई. योजना के कार्य [illegible] हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता [illegible] बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया [illegible]

[illegible] संसाधन केन्द्र (बी0 आर0 सी0):-

[illegible] जनपद में डी. पी. ई. पी. चल रही है और सभी विकास खण्डो ब्लाक संसाधन [illegible] के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन [illegible] विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण [illegible] प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च [illegible] स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक [illegible] सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के [illegible] करने के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के [illegible] एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता [illegible]

शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन व [illegible] हेतु देखा गया है कि बी0 आर0 सी0 समन्वयक [illegible] समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0 [illegible] सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढीकृत करने की योजना है। [illegible] लिए प्रत्येक बी0 आर0 सी0 पर [illegible] रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी [illegible] अध्यापक / समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

[illegible] एवं दायित्व :-

- [illegible] अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
- [illegible] विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
- विकास खण्डों की अकादमिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन करना.
- शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
- [illegible] स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
- [illegible] पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- [illegible] स्तर के अधिकारियों [illegible] अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में [illegible] निस्तारण करना।
- विकास खण्ड के अन्तर्गत [illegible] के [illegible] बच्चों के संबंध में वस्तीवार तथा बच्चों [illegible]
- [illegible] में [illegible] समय [illegible] एवं एकत्रीकरण व सम्पत [illegible]

जनपद स्तरीय समिति:-

[illegible] शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर [illegible] जिला शिक्षा परियोजना समिति [illegible] बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही [illegible] है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

[illegible] समिति के सदस्य निम्नवत है

जिलाधिकारी — अध्यक्ष

[illegible] विकास अधिकारी	[illegible]
[illegible] बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
[illegible] डायट	सदस्य
[illegible] श्रम आयुक्त	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
[illegible] एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
[illegible] अभियंता (आर.ई.एस.)	सदस्य
[illegible] अभियंता (पी0डब्ल्यू0डी0)	सदस्य
[illegible] विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
[illegible] शिक्षा विद(विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

[illegible] क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)

[illegible] शिक्षक (राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त)

[illegible] संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

[illegible] शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्वः–

[illegible] अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति है। जिले स्तर पर [illegible] शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये उसे जनपद [illegible] पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है । रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य [illegible] में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने रणनीति निर्धारण के संबंध में [illegible] होंगे। प्रवेश , धारण , गुणवत्ता संवर्धन , निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण [illegible] का निर्धारण एवं प्रचार – प्रसार के लिये [illegible] समिति द्वारा निर्धारण किये [illegible]।

[illegible] के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये [illegible] सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 से संबन्धित [illegible] अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समितिः–

[illegible] शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र [illegible] लिये [illegible] शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार हैः–

1	[illegible] पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	[illegible] बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
3	जिला मजिस्ट्रेट	पदेन सदस्य
4	[illegible] समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5	[illegible] विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6	[illegible] बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो [illegible] उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7	[illegible] जो जिला पंचायत के सदस्यों में से [illegible] द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
8	[illegible] उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का [illegible] होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृ[illegible] का [illegible] करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलो के विकास, प्रसार–सुधार के लिये योजनाये तैयार करना।
अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा क्षेत्रो में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र--जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एंव कार्यकमों का प्रभावी कियावयन, उसका दायित्व होगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यकमो का कियावनयन करेगें इस कार्य में जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमे आवश्यक स्टाफ के पद उ०प्र० सभी के लियें शिक्षा परियोजना परिषद के नियमो के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।
जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एंव कर्मचारी होगें।

1	जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी		पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2	उप जिला शिक्षा अधिकारी (ई०जी०एस०/ ए०आई०ई०)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतनमान पर
4	सलाहकार	2	रू. 10000/– नियत वेतन प्रति पद
5	ई एम आई एस अधिकारी	1	रू. 10000/– नियत वेतन प्रति पद
6	कम्प्यूटर आपरेटर/ साख्यिकी सहायक	3	रू. 7000/– नियत वेतन प्रति पद
7	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9	परिचारक	3	नियत मानदेय के आधार पर

शिक्षा में रा उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एंव कर्मचारी जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एंव पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम के कियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बधित सभी कार्य के परियोजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।
उक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की करेंगे। परियोजना के कियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम की भाँति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई के अभियन्ताओ से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा।

[illegible] [illegible] ... विद्यालय [illegible] पूर्व [illegible] जनपद स्तर पर अभियन्ता [illegible] है। [illegible] दर [illegible] निर्धारित [illegible] प्रस्ताव [illegible] वर्ष में [illegible] आयेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू0 [illegible],000 और रू0 [illegible] की [illegible] है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के [illegible] हेतु अलग मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से [illegible] परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

एजुकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0)

[illegible] शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस सॉफ्टवेयर संस्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997--98 से वर्ष 2000--2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये सॉफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायगी। [illegible] जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। [illegible] [illegible] योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा [illegible] शिक्षा योजना संबंधी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टमों [illegible] [illegible] एक अद्यावधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग [illegible] उपलब्ध हो सकेगा।

[illegible] एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक / [illegible] शिक्षा योजना [illegible] शैक्षिक [illegible] के [illegible] कार्य को [illegible] करने के लिए स्थापित [illegible] ई0एम0आई0एस0 के अधिकारी एवं [illegible] कम्प्यूटर [illegible], [illegible] [illegible] जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक [illegible] [illegible] तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके [illegible] जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक रूप में विकसित हो सकेगा। [illegible] उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

[illegible] कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर [illegible] सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात [illegible] के निर्धारित [illegible]

[illegible] [illegible] प्राप्त [illegible] व [illegible] करना।

[illegible] (बी0 आर0 सी0 समन्वयक, [illegible] और [illegible]) [illegible] प्रशिक्षण आयोजित करना।

[illegible] के प्रथम सप्ताह में [illegible] से भरे हुए प्रपत्रों का [illegible] करना।

[illegible] सम्पूर्ण [illegible] परिवर्तन यदि कोई हो, [illegible]

[illegible] दिसम्बर, 200[illegible] के अन्त तक [illegible] एन्ट्री पूर्ण करना तथा रिपोर्ट तैयार [illegible] परियोजना कार्यालय को भेजना।

[illegible] विकासखण्ड वार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप मे कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठको/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण , विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सबंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता , कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण , प्रक्षेपण तंकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :-

विधालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर , प्रधानाध्यापक , सकुल प्रभारी , बी0आर0सी0 समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 संबंधी प्रपत्र तथा उन्हें भरने , सकलन विश्लेषण की जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त विधालय संबंधी आकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जॉच हो सके।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)
   यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी , सभी समन्वयक , स्टाफ , कम्प्यूटर आपरेटर , लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।
2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)
   यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विधालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।
3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)
   यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विधालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।
4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर)
   एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमे डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भग लेगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्राजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडो का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जॉचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा , नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विधालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विधालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकड़ो को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विधालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विधालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ो का उपयोग :–

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ो के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे जी0 ई0 आर0, एन0 ई0 आर0, ड्राप आउट दर, रिटेंशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्षा अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिरिजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओ के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना के अनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। डायस के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ो से स्कूलों के बाहर के बच्चो की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथ स्कूलों के बाहर बच्चो की संख्या का विश्लेषण एक ही स्त्रोत से प्राप्त आंकडो के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ो तथा ई0एम0आई0एस0से प्राप्त आंकड़ो का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमो का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माइक्रोप्लांनिग के आंकडो का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा:–

1. नवीन विद्यालयो हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गांरटी केन्द्र हेतु बस्तियो की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयो का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयो की पहचान।
6. बालिकाओ के कम नामांकन वाले विद्यालयो व न्याय पंचायतो का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तको के वितरण हेतु लाभार्थी समूहो की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण
9. शिक्षको का विवरण
10. विभिन्न स्तरो पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकड़ो के अनुसार उपकरणो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षो एवं सूचनाओं का उपयोग संबंधित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से संबंधित कार्यक्रमो के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा , जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:–

छात्र–छात्राओ के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद मे ड्राप-आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन बर्ष मे एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक–पृथक की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:–

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों क क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीयप्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

आंकडो का उपयोग :-

ई0एम0आई0एस0 आंकडो के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0 ई0 आर0, एन0 ई0 आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन मेकिंग सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओ के एकत्रीकरण मे समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना मे तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'आयस' के अर्न्तगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडो से स्कूलो के बाहर के बच्चो की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलो के बाहर बच्चो की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकडो के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडो तथा ई0एम0आई0एस0से प्राप्त आंकडो का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना मे वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकडो का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयो हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियो की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियो की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या मे वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षो की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयो का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रो की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयो की पहचान।
6. बलिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयो व न्याय पंचायतो का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तको के वितरण हेतु लाभार्थी समूह की संख्या का आकलन
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण
9. शिक्षको का वितरण
10. विभिन्न स्तरो पर विद्यालय निरीक्षण का संचालन।
11. विकलांगतावार आंकडो के अनुसार उपकरणो की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओ का उपयोग संबंधित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण मे किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव मे वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद मे ड्राप आउट का आकलन करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी कराया जायेगा। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण समिति द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू.2 लाख रखा गया है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

पी0एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद मे परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों मे प्रगति धीमी है उनको और जनपद के संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान:-

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे -

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर पर सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षों की जानकारी सम्बंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तापरक अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों का मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों से एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों का नियोजन करना।
8. जिले स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
11. शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड) :-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायगी। प्रशिक्षण, आन्तरिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0

को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण , वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे-- ग्राम शिक्षा समिति , स्वयं सेवी संस्थाओं , अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्राविधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा अधिकर्मी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय सदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट में नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये है, जो परियोजना में भी अपनाये जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बंधित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय--समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें।परियोजना कार्यक्रमो की अधिकाश धनराशि ग्राम समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है । जिला कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलो को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

↓

जिला परियोजना कार्यालय

↓

1. बी0 आर0 सी0 एंव एन0पी0आर0सी0
2. ग्राम शिक्षा समिति
3. अध्यापक
4. स्वयं सेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान

↓

बी0 आर0 सी0 एंव एन0पी0आर0सी0

संपरिक्षा व्यवस्था :--

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अर्न्तगत प्रतिवर्ष सर्वशिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र संपरिक्षा (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व उनकी आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व

शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे की संपरिक्षा (आडिट) महालेखाकार , उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक संपरिक्षा (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

<u>मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :-</u>

परियोजना का कियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , जिला समन्वयको , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों / प्रति उप विधालय निरीक्षकों , बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानिय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा सकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयको की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के कियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियो का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।
प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइंज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी , जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के कियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के कियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेगें ।
आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाईयों , प्राप्त विभिन्न इन्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेगें।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक ता का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के र्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग पेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह ावश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए था दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल-श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ...05............ [illegible] ...05............ उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनु[illegible] स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित	
2004-05	120	
2005-06	—	
2006-07	—	
योग	120	

कुल लक्ष्य 120 का है

loorjahan\Hkkjrh_Ilcopy

SSA - ANNUAL WORK PL AN & Begl

Approved Fresh Propo

Head	Unit Cost	31- FIROZABAD	
		Physical	Financial
2	3	64	65
BRC			
Asstt Coordinator(1 No.) @ 5.5 for 12 Months	9.00	0	0.00
Furniture/fixture & Equipments	10.00	0	0.00
Travelling Allowance & Meeting	6.00	9	54.00
Maintenance of equipments	0.00	0	0.00
Maintenance of building	0.00	0	0.00
TLM	5.00	9	45.00
Contingency	12.50	9	112.50
TOTAL BRC		**27**	**211.50**
CRC			
Furniture/fixture & Equipments	10.00	0	0.00
Salery Condinator @12 for 12 Months	0.00	0	0.00
TLM	1.00	79	79.00
Contegency	2.50	79	197.50
Meeting & TA	2.40	79	189.60
TOTAL CRC		**237**	**466.10**
CIVIL WPRKS			
New Primary School	259	138	35742.00
New Upper Primary School	280	66	18480.00
Additional Classrooms PS	70.00	15	1050.00
Additional Classrooms UPS	70.00	0	0.00
Toilets PS	10.00	0	0.00
Toilets UPS	10.00	0	0.00
Reconstruction PS	191.00	5	955.00
Reconstruction UPS	383.00	0	0.00
Drinking Waters PS	15.00	0	0.00
Drinking Waters UPS	15.00	C	0.00
Repair PS	20.00	0	0.00
Repair UPS	70.00	0	0.00
Updation of Microplaning	250.00	0	0.00
TOTAL Civil Works		**224**	**56227.00**
EGS (0.845*25*camps)			
TOTAL EGS	**0.845**	100	2112.50
AIE			
AIE (P.S.) (0.845x25x8)	0.845	70	1478.75
AIE (U.P.S.) (1.2x30x14)	1.20	70	2520.00
Bridge Course at NPRC level (.845x30x104)	0.845	79	2670.20
Bridge Course (P.S.) (3x60x3)	3.00	11	1980.00
Honoraria	0.00	0	0.00
TOTAL AIE		**230**	**8648.95**
TOTAL EGS/AIE		**330**	**10761.45**
FREE TEXT BOOKS			
Free Text Books PS	0.05	118918	5945.90
Free Text Books UPS	0.15	35110	5266.50
TOTAL Text Book		**154028**	**11212.40**
IED			
TOTAL IED	**1.20**	2687	3224.40
INNOVATIVE ACTIVITIES		0	5000.00
TOTAL Computer Education		0	0.00
TOTAL ECCE		0	0.00
TOTAL Girls Education		0	0.00
TOTAL SC/ST Intervention		0	0.00
TOTAL Innovative Activities		**0**	**5000.00**
MAINTENANCE			
P.S.	5.00	983	4915.00
U.P.S.	5.00	181	905.00
TOTAL Maintenance		1164	5820.00
DPO			
Management Cost		0	2970.00
RESEARCH, MONITORING & EVALUATION			
P.S.	1.40	983	1376.20
U.P.S.	1.40	181	253.40
TOTAL Research, Monitoring & Evaluation		**1164**	**1629.60**
SCHOOL GRANT			
School Improvement Grants PS @ 2	2.00	1003	2006.00
School ImprovementGrants UPS @ 2	2.00	281	562.00
Total School Grant		**1284**	**2568.00**
SALARY GRANT (2001-2002 & 2002-03)			
Salary of Asstt Teacher PS	9.00	0	0.00
Salary of Asstt Teacher UPS	10.00	66	7920.00
Salary of Additional Teachers PS	8.00	0	0.00
Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25	2.25	0	0.00
TOTAL Salary Grant (2001-2002 & 2002-03)		**66**	**7920.00**
SALARY GRANT (2003-04)			
Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)	9.00	138	7452.00
Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (U.P.S.)	10.00	198	11880.00
Salary of Additional Teachers (PS)	8.00	0	0.00
Salary of Fresh SM (PS)	2.25	[illegible]	1953 [illegible]
Salary of Fresh SM (PS) to increase PTR	2.25	736	9936 [illegible]
TOTAL Salary Grant (2003-04)		**1210**	**31131.00**
TOTAL TEACHERS' SALARY GRANT		**1276**	**39051.00**
TEACHER GRANT (TLM)			
Teacher Grants PS @ 0.5	0.50	2960	1480.00
Teacher Grants UPS @ 0.5	0.50	410	205.00
TOTAL Teacher Grant		**3370**	**1685.00**
TEACHING LEARNING EQUIPMENTS			
TLE PS @10	10.00	138	1380.00
TLE UPS @50	50.00	66	3300.00
TLE UPS @50 (Not Covered OBB)	0.00	0	0.00
TOTAL Teaching Learning Equipments		**204**	**4680.00**
TEACHER TRAINING			
Induction Training of SM	0.07	138	289.80
In service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC)	0.07	3300	4620.00
Teachers (UPS)	0.07	510	535.50
TOTAL Teacher Training		**3948**	**5445.30**
STRENGTHENING OF VEC			
VEC Training (30x2x8)	0.48	514	246.72
TOTAL Strengthening of VEC		**514**	**246.72**
EMIS CELL			
TOTAL EMIS Cell		0	574.00
STRENGTHENING OF DIET			
TOTAL DIET		0	0.00
GRAND TOTAL			**151772.47**

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Firozabad

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003 Phy	2002-2003 Fin	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin	2004-2005 Phy	2004-2005 Fin	2005-2006 Phy	2005-2006 Fin	2006-2007 Phy	2006-2007 Fin	Total Phy	Total Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	138	35742	0	0	5	1280	0	0	143	37022
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	66	18480	0	0	5	1400	0	0	93	29802
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7560	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	39240
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	138	1863	138	3415.5	143	35[illegible].25	143	3539.25	562	12357
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	138	7452	138	14904	143	15444	143	15444	562	53244
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	198	11880	198	23760	213	25560	213	25560	822	86760
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	138	1380	0	0	5	50	0	0	143	1430
A8.2	UPS	50	42	2100	66	3300	0	0	5	250	0	0	113	5650
A9	TLE UPS not covered OBB	50	20	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1000
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**20582**	0	**88017**	0	**49999.5**	0	**55443.25**	0	**52463.25**		**266505**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	100	2112.5	100	2112.5	100	2112.5	100	2112.5	400	8450
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	70	1478.75	0	0	0	0	0	0	70	1478.75
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	70	2520	5	180	5	180	5	180	85	3060
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	11	1980	2	360	2	360	2	360	17	3060
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	79	2670.2	1	33.8	1	33.8	1	33.8	82	2771.6
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	11	168.85	11	168.85	11	168.85	33	506.55
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**20582.00**	0	**98778.45**	0	**53104.65**	0	**58548.40**	0	**55568.40**	**0**	**286581.90**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	5	955	0	0	0	0	0	0	5	955
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	15	1050	500	35000	500	35000	251	17570	1266	88620
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	11	770	0	0	188	13160	150	10500	50	3500	399	27930
R4.1	Toilets Upper Primary	10	30	300	0	0	46	460	0	0	0	0	76	760
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	120	1200	0	0	0	0	120	1200
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	983	4915	983	4915	983	4915	988	4940	3937	19685
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	181	905	181	905	181	905	181	905	186	930	910	4550
	[illegible]	8	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	181	362	281	562	259	518	264	528	264	528	1249	2498
R12	**Promoting Girls Education**		0	2537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2537
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	10	45	10	45	10	45	30	135
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	27	108	27	108	27	108	81	324
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	235	5875	235	5875	235	5875	705	17625
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	1491	4174.8	1491	4174.8
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	514	246.72	0	0	0	0	0	0	514	246.72
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	6	30	6	30	6	30	18	90
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	612	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	2012.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	10	600	5	300	5	300	20	6200
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1457	3642.5	1470	3675	1470	3675	4397	10992.5
	RETENTION Sub Total		0	**5486**	0	**25575.72**	0	**186052.7**	0	**188151.15**	0	**174707.95**	0	**579973.47**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	138	289.8	815	1711.5	61	128.1	56	117.6	1070	2247
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	126	264.6	0	0	815	1711.5	75	157.5	56	117.6	1072	2251.2
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	3300	4620	2940	4116	3706	5188.4	3760	5264	13706	19188.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	510	535.5	774	812.7	789	828.45	789	828.45	2862	3005.1
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	874	1223.6	1640	2296	1686	2360.4	4200	5880
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	10	21	0	0	0	0	10	21
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	27	18.9	27	18.9	27	18.9	81	56.7
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	79	55.3	79	55.3	79	55.3	237	165.9
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	45	63	45	63	45	63	135	189
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	9	3.15	9	3.15	9	3.15	27	9.45
Q2	IED Provision for disable children	1.2	371	148.4	2687	3224.4	3050	3660	3200	3840	3500	4200	12808	15072.8
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17 2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.10	*Awareness workshop*	5.3	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	2960	1480	4570	2285	4691	2345.5	4803	2401.5	17024	8512
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	210	105	410	205	1236	618	1251	625.5	1251	625.5	4358	2179
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	118918	5945.9	136231	6811.55	138819	6940.95	140394	7019.7	534362	26718.1
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	38051	5707.65	35110	5266.5	61232	9184.8	62457	9368.55	63706	9555.9	260556	39083.4
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1457	218.55	1470	220.5	1470	220.5	4397	659.55
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	7887	394.35	7302	365.1	7419	370.95	22608	1130.4
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1173	17595	1173	17595	1173	17595	3519	52785
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	305	2287.5	305	2287.5	305	2287.5	915	6862.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**6225.65**	0	**21567.1**	0	**62863.9**	0	**52399.9**	0	**53177.45**		**186234**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10.	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	9	1296	9	1296	9	1296	27	3888
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	18	1188	18	1188	18	1188	54	3564
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	9	324	9	324	9	324	27	972
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	9	54	9	54	9	54	9	54	36	216
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	9	18	9	18	9	18	27	54
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	9	90	9	90	9	90	27	270
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	9	45	9	45	9	45	9	45	36	180
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
C2.11	Contigency	12.5	0	0	9	112.5	9	112.5	9	112.5	9	112.5	36	450
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	79	284.4	79	284.4	79	284.4	237	853.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]	[illegible]	2.5	0	0	79	197.5	79	197.5	79	197.5	79	197.5	316	790
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	79	189.6	79	189.6	79	189.6	79	189.6	316	758.4
C4	District Project Office/Management		0	300	0	2970	0	0	0	0	0	0	0	3270
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	2	36	2	36	2	36	6	108
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	28	280	28	280	28	280	84	840
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	10	1200	10	1200	10	1200	30	3600
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	983	1376.2	839	1174.6	839	1174.6	839	1174.6	3500	4900
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	223	312.2	181	253.4	278	389.2	278	389.2	278	389.2	1238	1733.2
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**612.2**	0	**5277.2**	0	**20144.8**	0	**20144.8**	0	**20144.8**		**66323.8**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	574	0	0	0	0	0	0	1	574
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**612.2**		**5851.2**	0	**20668.8**	0	**20668.8**	0	**20568.8**	**0**	**68369.8**
	GRAND TOTAL		0	**32905.9**	0	**151772.47**	0	**312690.00**	0	**319768.25**	0	**304022.60**	0	**1121159.17**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Firozabad**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	10992.0	56227.0	49820.0	48180.0	21070.0	186289.0
Management	312.2	1629.6	5403.8	5403.8	5303.8	18627.2
Programme	21601.7	93915.9	257466.2	266184.5	277648.8	916243.0
Total	**32905.9**	**151772.5**	**312690.0**	**319768.3**	**304022.6**	**1121159.2**
Percentage - Civil	**33.4**	**37.0**	**15.9**	**15.1**	**6.9**	**16.6**
Percentage - Management	**0.9**	**1.1**	**1.7**	**1.7**	**1.7**	**1.7**
Percentage - Programme	**65.6**	**61.9**	**82.3**	**83.2**	**91.3**	**81.7**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**